खण्ड-281, अंक-4
शुक्रवार, 29 फाल्गुन, शक संवत् 1891
(20 मार्च, 1970 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 281 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७०

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	३१५–३१९
प्रश्नोत्तर	३१९–३४४
कतिपय विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	३४४–३४५
स्वास्थ्य निदेशक, श्री डी० एन० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अनुज्ञा नहीं दी गई)	३४५–३४६
जिलाधीश, हरदोई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना .. (निर्णय स्थगित)	३४६–३४८
जिलाधीश, बलिया द्वारा गलत सूचना देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (निर्णय स्थगित)	३४८–३४९
श्री अशफाक अहमद के विरुद्ध उपस्थिति पंजी में दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर बनाने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	३४९–३५०
नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के सम्बन्ध में जानकारी की मांग ..	३५०–३५१
१० मार्च, १९७० के श्री महरम सिंह के प्रश्न १ व २ से सम्बन्धित श्री लक्ष्मीरमण आचार्य के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में शोधन वक्तव्य ..	३५२
मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (जारी)	३५३–४०२
नत्थियां	४०३–४१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २० मार्च, १९७०

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--४०३

अजब सिंह श्री
अजीत प्रताप सिंह , श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
आनन्द ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशा सिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ , श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्र नाथ, श्री
उमाकान्त बाजपेयी, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैया लाल, श्री
कन्हैया लाल बाल्मीकी, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्ण चन्द्र, श्री
कृष्ण दत्त, श्री
(उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)

कोरी सुखलाल, श्री
खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री
गँदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसिंह, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रपाल आजाद, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरण सिंह, श्री
चित्तर सिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादूर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिबेनी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनरायन बन, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारेलाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धूम प्रसाद श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाल सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री

प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारे लाल ,श्री
प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम चन्द्र शर्मा, श्री
प्रेमनारायण अहेरवार एडवोकेट, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्त लाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्त लाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बिशनलाल, श्री
बिहारी लाल, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्या, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला मुरादाबाद)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दूबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राज मंगल पांडेय, श्री
राजितराम पांडेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री

राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपर)
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर, श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद, श्री
रमाबचन, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
रामरतन पाण्डेय श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन, सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास पाण्डेय, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
रामसिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
राम सेवक, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर राफे खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्षमणस्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह श्री
विजयबहादुर सिंह, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्र स्वरूप, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भू नाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ती चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिवमहेन्द्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)

शिवराज सिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू, श्री
शेर अली खां, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्रीकृष्ण बजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सतीश चन्द्र, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदारसिंह श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजलाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश साहय, श्री
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह श्री
हुकुमसिंह परिहार, श्री
हुकुम सिंह, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट---खाद्य तथा रसद मंत्री, श्री श्रीपति मिश्र भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २० मार्च, १९७०

तारांकित प्रश्न

*१-२---श्री रियासत हुसैन---
[४थे मंगलवार के प्र० सं० २६-२७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*३---श्री रूपनाथ सिंह यादव---
[१७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६४ के अन्तर्गत उत्तरित]

*४-५-श्री राम देव---
[१७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६५-६६ के अन्तर्गत उत्तरित]

एच० बी० टी० आई०, कानपुर, के मुअत्तल कर्मचारियों की बहाली के आदेश

*६—श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एच० बी० टी० आई, कानपुर के पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी गत कई वर्षों से निलम्बित हैं, किन्तु सरकार उनके विषय में कोई निर्णय नहीं ले सकी ? यदि हां तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

एच० बी० टी० आई०, कानपुर एक स्वशासी संस्था है। इस संस्था के अब पांचों निलम्बित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भिन्न-भिन्न प्रकार के दण्ड देते हुये सेवा में लिये जाने के आदेश दे दिये गये हैं।

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के भूतपूर्व डाइरेक्टर, श्री मित्रा के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

*७—श्री कृष्ण स्वरूप (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि हार कोर्ट बटलर टेक्नालाजिकल इंस्टीट्यूट के पूर्व डाइरेक्टर, श्री मित्रा के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु संविद सरकार के शिक्षा मंत्री, श्री राम प्रकाश ने कोई जांच कमेटी नियुक्त की थी ? यदि हां, तो उस कमेटी की रिपोर्ट कब तक प्रकाशित की जायेगी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

एच० बी० टी० आई०, कानपुर के भूतपूर्व डाइरेक्टर के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच की रिपोर्ट शासन को प्राप्त हो गई है, और वह इस समय संस्था के प्रशासकीय परिषद् के विचाराधीन है।

रोहेलखण्ड विश्वविद्यालय की मांग

*८—श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बरेली या मुरादाबाद में रोहेलखंड विश्वविद्यालय खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री राम किंकर)—

नहीं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि ये विश्वविद्यालय किस आधार पर किस जगह खोले जाते हैं ?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, जहां पर विश्वविद्यालय अधिक हैं और जरूरत महसूस की जाती है वहां पर खोले जाते हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जहां उन्होंने "नहीं" कहा है वहां पर "हां" कह देने में उन्हें क्या दिक्कत थी ?

श्री राम किंकर--

जहां के लिये आप कह रहे हैं वहां के लिये कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है। अभी वहां जरूरत महसूस नहीं की जा रही है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि सब कमिश्नरियों के हेडक्वार्टर पर विश्वविद्यालय हैं सिवाय रोहेलखंड कमिश्नरी के और वहां पर इसकी काफी मांग है ?

श्री राम किंकर--

मान्यवर, इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

*९--श्री जगदीश गांधी--

[४थे मंगलवार के प्र० सं० २८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गौरीशंकर हिन्दू इन्टर कालेज, सिकन्दराराऊ के प्रबंधक के विरुद्ध जांच

*१०--श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित) तथा श्री ईश्वर दयाल त्यागी--(जिला मेरठ) (अनुपस्थित)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गौरीशंकर हिन्दू इण्टर कालेज सिकन्दराराऊ, अलीगढ़ जिनके प्रबन्धक, जिनके खिलाफ हजारों रुपये के सरकारी अनुदान एवं विद्यालय के धन को गबन करने का अभियोग लगा हुआ है, हटाने के लिये विद्यालय कार्यकारणी की प्रधान महोदया द्वारा शिक्षा विभाग को कोई हाल में पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो सरकार ने इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की है ?

शिक्षा मन्त्री (श्री श्रीपति मिश्र)--

अजी हां। इस सम्बन्ध में जांच कराने के उपरान्त विद्यालय का अनुदान निलम्बित कर दिया गया है। अग्रिम कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

*११-१२--श्री अनन्त राम जायसवाल--

[१७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६७-६८ के अन्तर्गत उत्तरित]

इलाहाबाद जिले में अध्यापकों का बकाया वेतन

*१३--श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर एवं जिले में कितने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय लड़कों एवं लड़कियों के हैं जिनमें पिछले ४ माह से अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को वेतन नहीं मिला है ?

श्री रामकिंकर--

इलाहाबाद नगर एवं जिले में सात ऐसे सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनमें पिछले ४ माह से अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं को वेतन नहीं मिला है।

*१४--श्री रामगोपाल सण्ड--

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कितने ऐसे हैं जिनके अध्यापकों तथा कर्मचारियों को वेतन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद देते हैं ? क्या वे इन विद्यालयों के अध्यापकों को प्रतिमास वेतन दे देते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिंकर—

इलाहाबाद नगर एवं जिले में आठ ऐसे सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं जिनके अध्यापकों तथा कर्मचारियों को वेतन सीधे जिला विद्यालय निरीक्षक देते हैं। इन विद्यालयों के खाते में धनराशि होने पर तथा सस्था अधिकारियों द्वारा नियमित रुप से शुल्क—आय जमा करने पर जिला विद्यालय निरीक्षक अध्यापकों को प्रति मास वेतन देते हैं।

श्री रामगोपाल सण्ड· ·

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इन विद्यालयों के नाम बताने की कृपा करेंगे और चूंकि इन विद्यालयों के अध्यापकों को ४- ४, ५- ५ महीने तक नियमित रूप से वेतन नहीं मिलता, इसलिये क्या सरकार कोई ऐसी योजना तैयार कर रही है कि सीधे खजाने से इनको वेतन मिल जाया करे ?

श्री राम किंकर--

७ विद्यालय हैं जिनके नाम इस प्रकार हैं :

१--तिलक महा विद्यालय इंटर कालेज, कोटवा, इलाहाबाद

२-- जवाहरलाल नेहरू इंटर कालेज, सरसवां, इलाहाबाद

३--आर० पी० उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गांधीनगर, मलाक हरहैर, इलाहाबाद

४-- गांधी स्मारक इंटर कालेज, कल्यानपुर, इलाहाबाद

५-- कृषक इंटर कालेज, लालापुर, इलाहाबाद

६-- फीरोज गांधी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बापूनगर, गारोपुर, इलाहाबाद

७-- गांधी मेमोरियल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, दारानगर, इलाहाबाद।

श्री रामगोपाल संड--

क्या सरकर प्रदेश के सारे अध्यापकों को नियमित रूप से सरकारी खजाने से वेतन मिले, ऐसी योजना की घोषणा करने जा रही है ?

श्री रामकिंकर—

यह प्रश्न तो अभी विचाराधीन है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या इसके पूर्व की सरकार ने यह उत्तरदायित्व लेने का निर्णय लिया था कि अध्यापकों का वेतन समय से भुगतान किया जा सके, तो उस निर्णय को मान लेने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री रामकिंकर—

सरकार इस सम्बन्ध में प्रयास कर रही है और ज्यों-ज्यों सरकार के पास धन आ जायगा इसको लागू करने पर विचार करेगी।

श्री कल्पनाथ सिंह--

अगर धन के कारण सरकार को दिक्कत महसूस हो रही है तो सिद्धान्ततः इस बात को को कबूल करने में उसे क्या दिक्कत है कि सरकार इस बात का उत्तरदायित्व ले कि अध्यापकों को नियमित रूप से वेतन मिल जाया करे ?

श्री रामकिंकर--

सरकार के सामने साधनों की दिक्कत है, इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

क्या शिक्षा मंत्री सिद्धान्त रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि अध्यापकों को कोषागार से समय पर वेतन दिया जाय ?

श्री रामकिकर--

अभी तक तो कोई इस तरह का निर्णय हुआ नहीं, विचाराधीन है। इसलिये अभी मैं इस सम्बन्ध में कुछ जवाब नहीं दे सकता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

अभी यह कहा गया कि प्रश्न विचाराधीन है तो क्या मंत्री जी सदन को अवगत करायेंगे कि अध्यापकों के वेतन के संबंध में वह कौन सी योजना है जिस पर सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

यह वेतन सरकारी कोष से सरकार बांट सके इस पर सरकार ने अभी विचार नहीं किया है और आप ने जो पूछा वह अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इलाहाबाद के अनेकों अध्यापकों को अर्से से वेतन नहीं मिला है तो यह प्रश्न कब तक विचाराधीन रहेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जायगा।

राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अस्थायी अध्यापक

*१५---श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्य करने वाले सभी स्तरों के ऐसे अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं की संख्या कितनी है जोकि अपने वर्तमान पदों पर ४ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, परन्तु उन्हें स्थाई नहीं किया गया है क्यों ?

श्री राम किंकर--

३,२३३ अध्यापक तथा अध्यापिकायें। इनको स्थायी न किये जाने के निम्नांकित कारण हैं:--

(१) स्थायी रिक्तियों का उपलब्ध न होना।

(२) उच्च वेतन-क्रमों में स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे अध्यापकों एवं अध्यापिकाओं का वहां स्थायी न होना।

(३) विभागीय चुनाव समिति/लोक सेवा आयोग द्वारा निर्वाचित न होना।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार इन बहुत पुरानी ३,२३३ रिक्तियों को, जो स्थायी नहीं हैं, स्थायी करने के लिए सरकार कोई कदम उठा रही है?

श्री राम किंकर--

अभी तो प्रश्न नहीं उठता। मैंने पहले ही ३ कारण बतलाये हैं, जिनके कारण दिक्कतें हैं। एक तो विभागीय चुनाव समिति कुछ लोगों का चुनाव करती है और कुछ का लोक सेवा आयोग करेगा। जब इनका चुनाव हो जायगा तो बहुत से लोग स्थायी हो जायेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

पहला जो कारण है कि स्थायी रिक्तियां नहीं हैं, तो क्या सरकार स्थायी रिक्तियां बनाने का कोई विचार रखती है क्योंकि इन अध्यापकों की संख्या ३ हजार के लगभग है ?

श्री रामकिंकर--

इसमें तो कुछ स्थायी हो भी चुके हैं और कुछ का प्रश्न विचाराधीन है । कागजात वगैरह मंगाये गये हैं ।

श्री शम्भुनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि अध्यापकों को एक निश्चित अवधि के भीतर लगातार कार्य करने के उपरान्त उनको स्थायी कर दिया जायगा?

श्री रामकिंकर--

सरकार इस पर तो हमेशा विचार करती है कि उनको निश्चित समय के अन्दर स्थायी किया जाय लेकिन कागजात वगैरह मंगाने और दूसरी सब चीजों पर विचार करने में, देर तो लग ही जाती है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

विभागीय चुनाव समिति द्वारा चुनाव किये जाने के बाद भी ४-५ साल हो गये हैं लेकिन फिर भी ऐसे शिक्षक हैं, जिनको स्थायी नहीं किया गया है, इसके क्या कारण हैं ?

श्री रामकिंकर--

इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

लगभग ४ वर्ष हो गये हैं और अध्यापकों की इतनी अधिक संख्या अस्थायी है और माननीय मंत्री जी द्वारा कारण यह बताया गया कि इसमें लोक सेवा आयोग को जाना पड़ता है और उसके कारण ही ये रिक्तियां नहीं भरी जा सकीं । तो मैं जानना चाहता हूं कि इन लोगों को लोक सेवा आयोग में भेजने के लिए सरकार की ओर से कोई प्रयास किया गया है? और अगर नहीं किया गया है, तो क्यों?

श्री रामकिंकर--

यह प्रयास तो हमेशा किया जाता है । किस तारीख में किया गया यह तो मैं इस समय नहीं बता सकता हूं ।

श्री राम करन (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि ४ वर्ष से अधिक समय से इन अध्यापकों को काम करते हुए हो गया हैं लेकिन इनको स्थायी नहीं किया गया है । तो स्थायी करने के नियम क्या हैं जिनके कारण स्थायी स्थान पड़े हुए हैं और कहा जाता है स्थायी स्थान नहीं है?

श्री रामकिंकर--

स्थायी करने के नियम हैं । कुछ लोग तो आफिशियेटिंग पद पर काम करते हैं जब वे वहां पर स्थायी हो जाते हैं तो नीचे वालों को स्थायी किया जाता है क्योंकि उनके लिमन वगैरह होते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उन लोगों को ४-५ साल से भी अधिक हो गये हैं काम करते करते, उनको अब स्थायी करने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री रामकिंकर--

इन सब बातों पर जरूर विचार किया जायगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि शिक्षकों को इसलिए स्थायी नहीं किया जाता है क्योंकि हर साल प्रबन्धक लोग उनको वर्ष के अन्त में हटा देते हैं ताकि इनको वेतन वगैरह न देना पड़े और सत्र के आरम्भ में फिर रख लिया जाता है ?

श्री रामकिंकर--

यह तो राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों से सम्बन्धित प्रश्न है इसलिए इसका कोई प्रश्न नहीं उठता ।

इन्टरमीडिएट कालेजों में कथित सरप्लस अध्यापक

*१६---श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या शिक्षा मन्त्री को इस बात की जानकारी है कि वर्ष १९६७ में इन्टरमीडिएट के लिए केवल चार विषय करने के कारण सरप्लस घोषित अध्यापकों को नौकरी से न निकाले जाने संबंधी कोई राजाज्ञा प्रसारित की गई थी ? यदी हां, तो अब जब कि ५ विषय पुनः कर दिये गये हैं, तो क्या सरकार उक्त राजाज्ञा को वापस लेने की कृपा करेगी ?

श्री रामकिंकर--

शासन द्वारा ऐसी कोई राजाज्ञा नहीं जारी की गई थी, अतः इसके वापस लेने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी राजाज्ञा जारी न होने पर भी क्या कुछ अध्यापक हटा दिये गये हैं ?

श्री रामकिंकर--

इसकी तो कोई सूचना नहीं है, किन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, कोई अध्यापक हटाये नहीं गये हैं ।

*१७-- श्री मंजूर अहमद--

[१७ मार्च, १९७० को प्र० सं० ६९ के अन्तर्गत उत्तरित]

कैण्टूनमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकराता में छात्रवृत्ति न मिलना

*१८---श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी गढ़वाल)---

क्या शिक्षा मन्त्री जांच करवा कर बताने की कृपा करेंगे कि कैन्टूनमेंट हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकराता, जिला देहरादून में सन् १९६८ के परीक्षा फल पर १०वीं कक्षा में १० रुपये की छात्रवृत्ति किसी छात्र को अब तक दी गई या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकिंकर--

कैन्टूमेन्ट हायर सेकेन्डरी स्कूल, चकराता, जिला देहरादून में सन् १९६८ की परीक्षा फल के आधार पर १० वीं कक्षा में १० रु० की कोई छात्रवृत्ति देने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री गोविन्द सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर इस बात की जानकारी करायेंगे कि एक छात्र को जिसे छात्रवृत्ति दी जाने चाहिये थी, वह उसे नहीं दी गयी है, इसकी जांच करायेंगे ?

श्री रामकिंकर—

यदि माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो उसकी जांच करा लेंगे। वैसे जो विद्यार्थी फर्स्ट क्लास फर्स्ट होते हैं और वे गरीब होते हैं तभी उनको नवें और दसवें दर्जे में १० रुपया का वजीफा दिया जाता है। इसमें कुछ झंझट पैदा हो गयी थी जिसके कारण पेमेंट नहीं हो पाया।

श्री गोविन्द सिंह--

गरीब से उनका क्या अभिप्राय है ?

श्री रामकिंकर—

इसके लिये आय संबंधी कुछ नियम बने हुये हैं कि इतनी आय तक वाले गरीब हैं, इसके ऊपर वाले नहीं। इस वक्त मुझे उसकी सूचना नहीं है।

श्री संजीवन लाल (जिला उन्नाव)--

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि कुछ झंझट पैदा हो गयी, उससे उनका क्या मतलब था?

श्री रामकिंकर--

झंझट यह थी कि एक विद्यार्थी था, वह फर्स्ट क्लास फर्स्ट था मगर उसने अपने पिता की आय जानबूझ कर कम लिखा दी थी। जब कि वह इनकमटैक्स भी देता था। एक दूसरी लड़की थी जो इसके बाद दूसरे नम्बर पर आती थी, वह वीना कुमारी थी, वह स्कूल के अध्यापक की लड़की थी। जिला विद्यालय निरीक्षक के यहां जब उसको संस्तुति के लिए भेजा तो वह स्वीकार नहीं की गयी।

श्री राम चरण (जिला इलाहाबाद)—

छात्रवृत्ति मेधावी होने पर मिलती है या गरीब होने पर?

श्री राम किंकर--

नियम के अनुसार मेधावी और गरीब दोनों ही होना चाहिये तभी छात्रवृत्ति मिलती है।

पशु चिकित्सकों की नियुक्तियां

*१९--श्री नौनिहाल सिंह (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्ष १९६७-६८ व १९६८-६९ में राजकीय पशु चिकित्सा महाविद्यालय, मथुरा एवं कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर से प्रत्येक वर्ष कितने कितने छात्रों ने स्नातक की उपाधि प्राप्त की और राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कितने-कितने स्नातकों को पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया ?

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४०३ पर)

*२०--श्री नौनिहाल सिंह--

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि वर्ष १९६७-६८ तथा १९६८-६९ में दूसरे प्रदेशों के स्नातकों को पशु-चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह--

जी हां, दूसरे प्रदेश के स्नातकों को भी पशु चिकित्सक के पद पर नियुक्त किया गया है क्योंकि इनको सेवा में ले लेने में कोई रोक नहीं है।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने पशु चिकित्सक इस पद पर नियुक्त किये गये हैं ? उनमें से कितने इस प्रदेश के हैं और कितने अन्य प्रदेशों के हैं ? जो अन्य प्रदेशों के हैं वे दूसरे प्रदेश के रहने वाले हैं या इसी प्रदेश के रहने वाले हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, सन् ६८ में १२२ पशु चिकित्सकों का चयन किया गया और उनको नौकरी दी गई । उसमें से ९६ इस प्रदेश के थे यानी कि जो इसी प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के स्नातक थे अर्थात् यहीं से उपाधियां प्राप्त की थीं और २६ ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे प्रदेशों के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। परन्तु इन २६ में से १८ व्यक्ति ऐसे थे जो उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे, ८ व्यक्ति केवल ऐसे थे जो बाहर के थे। इसके अलावा सन् ६९ में ७८ व्यक्ति लिए गये थे, वे इसी प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के स्नातक हैं ।

श्री नौनिहाल सिंह—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय प्रदेश में पशु चिकित्सकों के कितने स्थान रिक्त हैं। और जो स्नातक इस प्रदेश के बेकार घूम रहे हैं, उनको जल्दी नियुक्त कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

वर्तमान सरकार के काल में यह आदेश प्रसारित किया गया है कि विभिन्न परियोजनाओं मे जितने भी स्थान रिक्त हैं उनकी तुरन्त पूर्ति कर ली जाय और उसी के अनुसार अभी हाल में समस्त स्थानों की पूर्ति कर दी गई है ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या मंत्री जी बतायेंग कि पशु चिकित्सकों के पद पर नियुक्त करने के समय अभ्यर्थियों को कोई परीक्षा देनी पड़ती है और उनका साक्षात्कार होता है ? यदि हां, तो किनके माध्यम से ?

श्री शिवराज सिंह—

रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिये शासन ने एक समिति का निर्माण किया है और वह इस प्रकार के चयन करती है ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

ये एप्वाएन्टमेंट किसी कम्पीटीशन–कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन के द्वारा हुये हैं या पर्सनल एप्रोचेस पर ही इनकी नियुक्ति कर दी गई है ?

श्री शिवराज सिंह—

इनकी नियुक्ति न एप्रोचेस पर हुई न किसी एक्जामिनेशन के आधार पर हुई है। ये नियुक्तियां हुई हैं जो उन्होंने अपने अन्तिम इम्तहान में नम्बर प्राप्त किये हैं उनके आधार पर ।

श्री कल्यान सिंह (जिला अलीगढ़)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब अपने ही प्रदेश में पशु चिकित्सक बेकार पड़े हुए हैं, तो जब तक अपने प्रदेश के लोगों के सारे एप्वाएन्टमेंट न हों तब तक दूसरे प्रदेश के लोगों को न लिया जाय ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह राष्ट्रीय एकता विरोधी कार्य होगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बरेली)---

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश के स्नातक नहीं लिये जा सके तो कैसे-किन बाहर के लोगों को स्थान दिया गया ?

श्री शिवराज सिंह---

सन् ६८ के अन्तर्गत २६ स्नातक बाहर से लिये गये थे और उसका आधार यह था कि उनके प्राप्त अंक, इस प्रदेश के अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक से अधिक थे और वह न्यायसंगत ही था ।

श्री सजीवनलाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो समिति चयन के हेतु बनी हुई है, उस समिति में कौन-कौन से व्यक्ति हैं ? और क्या उनके अधिकार हैं ?

श्री शिवराज सिंह---

समिति के सदस्य इस प्रकार से हैं :---

निदेशक, पशु पालन विभाग, उत्तर प्रदेश, डीन, कालेज आफ वेटेरिनरी मेडिसिन, उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर,उत्तर प्रदेश, प्रधानाचार्य उत्तर प्रदेश पशु चिकित्सक विज्ञान एवम् पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा ।

राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, हस्तिनापुर के फार्म का आय-व्यय

*२१---श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)---

क्या पशु पालन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हस्तिनापर, मेरठ में लगभग १६०० एकड़ का जो सरकारी फार्म है उसका १९६७-६८ और १९६८-६९ की आमाद व खर्च का क्या हिसाब है ? यदि फार्म घाटे में है, तो क्यों ?

श्री शिवराज सिंह---

राज्य पशुधन एवं कृषि प्रक्षेत्र, हस्तिनापुर, जिला मेरठ, का कुल क्षेत्रफल १३५१.०३ एकड़ है । फार्म पर ६७-६८ और ६८-६९ के आमद व खर्च का विवरण संलग्न तालिका 'क' में दिया है । फार्म घाटे में है ।

घाटे के कारण तालिका के नीचे दे दिये गये हैं ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४०४ पर)

श्री मंजूर अहमद---

माननीय मंत्री जी के उत्तर से सम्बन्धित, मंत्री जी ने खुद एकरार किया है कि सन् ६७-६८ में एक लाख तैंतीस हजार रुपये का घाटा हुआ और सन् ६८-६९ में एक लाख एक्तालिस हजार रुपये का घाटा हुआ, तो ऐसा फार्म है और मेरठ जिले में है जहां भूमि से सोना पैदा होता है, तो जो अधिकारी वहां फार्म का घाटा दिखलाते चल जा रहे हैं, क्या मंत्री जी हाउस को बतलायेंगे कि ऐसे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच बिठायेंगे ?

श्री शिवराज सिंह---

मान्यवर, प्रश्न के आधार से ही मैं सहमत नहीं हूं । यह फार्म सोना उगलने वाली मिट्टी पर स्थित नहीं है । वर्ष १९४८-४९ में गंगा खादर की जो भूमि बेकार पड़ी थी उसको ट्रैक्टरों से जोत कर शरणार्थियों तथा राज पीड़ितों को बसाने हेतु तैयार किया गया था । इसी भूमि में १ हजार एकड़ में से एक राजकीय कृषि क्षेत्र तथा ६८१ एकड़ में एक दुग्ध एवं पशु प्रजनन प्रक्षेत्र स्थापित किये गये थे । यह बाद में बढ़कर १३५१.०३ एकड़ हो

गया था । यह सही है कि वर्तमान सरकार बहुत चिंतित है कि यह फार्म या जो फार्म घाटे में चल रहे हैं उनका घाटा समाप्त हो कर लाभ में चलना चाहिये । मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह उन चन्द कामों में से है जिनके प्रति मैं जागरूक हूं और चेष्टा कर रहा हूं ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इस फार्म पर कितने ट्रैक्टर और कितने ट्यूबवेल हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, यह बहुत ब्यौरे का प्रश्न है और इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

श्री गोविन्द सिंह—

माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह फार्म लगातार घाटे में चल रहा है, इस फार्म को बजाय सरकारी फार्म बनाने के खेतिहर मजदूरों में बांटेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इस फार्म के दो हिस्से हैं । एक कृषि फार्म है और एक लाइव स्टाक फार्म, पशु धन उन्नति फार्म है। कृषि फार्म को १९६५ में कार्मशियल घोषित कर दिया गया है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि उसी के मुताबिक उसको चलाये । उस ओर हम चेष्टा कर रहे हैं। फार्म का जो दूसरा हिस्सा है, वह पशुधन विकास के लिए है। वहां अच्छे जातियों के प्रजनन और अच्छी नस्ल के सांड और बछड़े उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। उसकी पूर्ति किसी हद तक फार्म कर रहा है। इसलिये इस प्रश्न पर विचार करना संभव नहीं है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सरकारी कृषि फार्मों में जहां घाटा है क्या वर्तमान सरकार की नीति उन फार्मों को सरकार के अधीन न रखकर जो खेत जोतता है उसको दिये जाने के हक में है, लैन्ड टू दि टिलर?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैंने निवेदन किया कि उन फार्मों को स्थापित करने के कुछ उद्देश्य हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पायेगी, वे उद्देश्य अपूर्ण रह जायेंगे, इसलिये भूमि वितरण करने से मजबूर हैं ।

श्री रामकुमार शास्त्री—

व्यौरे का नहीं है । इस तरीके से साफ किया जा सकता है । क्या वहां पर गन्ने की खेती नहीं की जाती है और जो गन्ना वहां उपजता है, और कैश क्राप का जिस प्रकार मुनासिब दाम मिलना चाहिये उसकी ठीक व्यवस्था नहीं है ?

श्री शिवराज सिंह—

सन् १९६५ में यह फैसला लिया गया था कि इस, फार्म पर गन्ना नहीं उगाया जायगा । इस नुक्सान को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि यह फैसला बदला जाय और गन्ना उगाने की इजाजत इस फार्म पर दी जाय । शेष जो माननीय सदस्य का सुझाव है उस ओर भी उन्नति करने के क्रम में यह सम्मिलित है कि फसल उगाने के लिए नये तरीके खेती के क्षेत्र में आ गये हैं उनके आधार पर फसल के ढंग को बदला जाय ।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मैं यह जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी अवधि के बाद और इतने साधनों के मिलने पर भी वहां कृषि के लिए क्यों नहीं उन तरीकों को अपनाया गया ?

श्री शिवराज सिंह—

वहां आज भी २९ फीसदी भूमि ऊसर है और इसके अतिरिक्त जो ७१ फीसदी भूमि है वह भी ऊसर ही है। इस सब के रिक्लेमेशन करने में समय लगता है और धन भी लगता है। इसी कारण पूर्णरूप से उन्नति उन फार्मों में अभी तक नहीं हो पाई है ।

मछलियों की नीलामी

*२२—श्री रियासत हुसैन—

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के ३१ जलाशयों के नीलाम की सूचना प्रसारित की गई थी ? उनको नीलाम कराने के बाद (९ और १० सितम्बर) नई शर्तों के आधार पर अधिकारियों ने रियायतन कुछ और शर्तें अपनी तरफ से रख दीं ?

श्री शिवराज सिंह—

नीलाम के बाद कोई शर्त अधिकारियों द्वारा नहीं रक्खी गई ।

*२३—श्री रियासत हुसैन—

क्या सरकार उपरोक्त प्रश्न के आधार पर इस बात की छानबीन करेगी कि ९ और १० सितम्बर को हुये नीलाम की झिंगा मछली को निःशुल्क निकालने का अधिकार ठेकेदारों को दिया गया ? यदि हां, तो क्यों और उससे राज्य के राजस्व को कितनी हानि उठानी पड़ी ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां ।

परन्तु नीलाम करने के पहले सब शर्तें उपस्थित ठेकेदारों को पढ़कर सुना दी गई थीं और उन शर्तों में यह शर्त भी थी कि यदि मछलियों के शिकार के साथ वर्गीकृत मछलियों के अतिरिक्त, जो ठेके के कोटे में शामिल रहती हैं, झींगा भी निकल आती है तो ठेकेदार को उसको ले लेने का अधिकार होगा। ठेकेदारों ने अपनी बोलियों में इस बात का ध्यान रक्खा और वह १,५२,४०० रु० पर नीलाम हुए । पिछले वर्ष इन्हीं जलाशयों से ५७,३०० रु० की आय हुयी थी । अतः राज्य के राजस्व में कोई हानि नहीं हुई ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही नहीं है कि ठेकेदार को डाइरेक्टर ने जबानी लगभग २० हजार रुपया लेकर यह आज्ञा दे दी थी कि वह झींगा मछली निकाल ले, यदि यह सत्य है तो मंत्री जी खासतौर पर जांच करक उस अधिकारी क विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

इस प्रकार की शिकायत कोई रिकार्ड पर नहीं है। माननीय सदस्य लिख कर देंगे तो मैं जांच करा लूंगा। जैसा कि मैंने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा था । इन शर्तों की घोषणा के पश्चात् राजस्व बढ़ा है और उसका एक विशेष कारण यह भी है कि झींगा मछली, चाहे वह ठेकेदार कितनी भी निकाले, वह अतिरिक्त समझी जायगी उस मात्रा से जो नियम की शर्तों में प्रत्येक जलाशय की ऐसी शर्तों के अन्दर दर्ज है ।

श्री रियासत हुसैन—

झींगा मछली वह जितनी निकालेगा वह अतिरिक्त समझ कर ठेकेदार ले लेगा, यह किसी शर्त के अन्दर नहीं होता है । ठेके की शर्तें मेरे पास भी हैं और मंत्री जी के पास भी होंगी ।

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह कौन-सी शर्त में लिखा है कि जो झींगा मछली निकलेगी वह सब ठेकेदार ही ले लेगा ?

श्री शिवराज सिंह--

वस्तुस्थिति यह है कि ठेके के समय ठेकेदारों ने इस संबंध में आपत्ति की । पहले यह शर्त नहीं थी लेकिन बाद में बदल दी गयी और बोली बोलने के समय तमाम ठेकेदारों को यह शर्त सुना दी गयी जिसका अभिप्राय यह है कि यह शर्त भी लगा दी गयी थी ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

सभी जलाशयों का नीलाम कितनी धनराशि पर हुआ और उनके सुधारने के लिए गत वर्ष कितना रुपया खर्च किया गया ?

श्री शिवराज सिंह--

जिनका नीलाम हुआ और उनसे कितनी धनराशि प्राप्त हुई, वह मूल प्रश्न के उत्तर में दी हुई है।

श्री आर० के० सक्सेना, उपनिदेशक मत्स्य की नियुक्ति के संबंध में जांच का आश्वासन

*२४--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री, मत्स्य विभाग बतायेंगे कि क्या वर्ष १९६८ में शासन द्वारा मत्स्य विभाग में एक उप निदेशक की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो उन उपनिदेशक का नाम क्या है और क्या वह उस नियुक्ति के पूर्व मत्स्य विभाग में ही सहायक निदेशक थे और उन्हें वर्ष १९६३-६४ व १९६४-६५ की अवधि में बैड इंट्री मिली थी ?

श्री शिवराज सिंह-

जी हां । मत्स्य विभाग में वर्ष १९६८ में उप निदेशक मत्स्य (उत्प्रेरित प्रजनन) के पद पर लोक सेवा आयोग के चुनाव के आधार पर श्री आर० के० सक्सेना की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के पूर्व श्री सक्सेना मत्स्य विभाग में ही सहायक निदेशक (मत्स्य नियोजन) के पद पर थे । उन्हें वर्ष १९६३-६४ में सुझावात्मक तथा वर्ष १९६४-६५ में प्रतिकूल प्रविष्टि मिली थी जोकि शासनादेश संख्या २-स्थापना/६(१)--६८-२, दिनांक १५ अप्रैल, १९६९ द्वारा रद्द कर दी गई थी ।

*२५--श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या मंत्री, मत्स्य विभाग यह भी बतायेंगे कि क्या उपर्युक्त नियुक्ति के संबंध में पी० एस० सी० द्वारा लखनऊ के अंग्रेजी दैनिक, नैशनल हेराल्ड, दिनांक १६ सितम्बर, १९६७ में छपवाये गये विज्ञापन की अर्हता की शर्तों के अनुसार उपर्युक्त उपनिदेशक अपने नये पद पर नियुक्त किये जाने के लिये पूरी तरह अर्ह (क्वालीफाइड) नहीं थे ?

श्री शिवराज सिंह--

उपर्युक्त उपनिदेशक पद के लिए निर्धारित अनिवार्य अर्हतायें रखते थे ।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि जिस समय सक्सेना साहब की नियुक्ति हुई उस समय यह प्रतिकूल प्रविष्टियां विद्यमान थीं तो नियुक्ति के समय उन पर ध्यान दिया गया था ?

श्री शिवराज सिंह—

यह बात सत्य है जो रिकार्ड मेरे पास है उससे यह विदित होता है कि उनकी नियुक्ति वर्ष ६८ में हुई है और उनकी जो प्रविष्टियां हैं ये ६९ में की गयीं। मैं आभारी हूं माननीय सदस्य का और इस संबंध में जांच करके सदन को पुनः अवगत कराऊंगा कि विभाग ने ऐसा क्यों किया ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री सक्सेना की क्या क्वालिफिकेशंस हैं और अखबार में जो एडवर्टाइजमेंट हुआ उसमें क्वालिफिकेशंस की शर्तें कौन-कौन-सी दी गयी हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

पत्रों में जो क्वालिफिकेशंस विज्ञप्ति द्वारा निकाली गयीं वे इस प्रकार से थीं–एम०एस-सी० (जुलोजी), ५ वर्ष का फिशरीज में एक्सपीरियंस, हिन्दी की जानकारी तथा प्रिफरेंशियल जुलाजी में डाक्टरेट, मछलियों के पालने में उनकी विशेष योग्यता हो।

अब जहां तक श्री सक्सेना की योग्यता का सवाल है वह जुलाजी में एम०एस-सी० हैं। एक्सपीरियंस के लिये जितनी न्यूनतम अवधि रखी गयी है उससे अधिक एक्सपीरियंस उनको है। हिन्दी का भी वह ज्ञान रखते हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

आयु संबंधी भी उनकी कोई शर्त थी ?

श्री शिवराज सिंह–

प्रस्तुत रिकार्ड से मैं कह सकता हूं कि ऐसी कोई भी शर्त इस में नहीं है।

श्री कल्यान सिंह—

मंत्री जी ने कहा कि श्री सक्सेना के खिलाफ ६३–६४ में बैड एंट्री थी और यह ६९ में वेव की गयी और ६८ में उनकी पदोन्नति की गयी जो बहुत अनियमित हुई तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक क्या माननीय मंत्री उनको डिमोट करने को तैयार हैं ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैंने माननीय सदन को आश्वासन दे दिया है कि मैं इसकी जांच और छानबीन कराऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि इस उत्तर से सदन को संतुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मान्यवर, इसमें लिखा है कि लोक-सेवा-आयोग द्वारा चुनाव के आधार पर नियुक्ति की गई तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सक्सेना साहब किसी लिखित परीक्षा में या साक्षात्कार में बैठे थे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या मंत्री जी सूचना प्राप्त करके सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

जरूर करायेंगे।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, मैं सदन का सेवक हूं, अवश्य कराऊंगा।

तराई भावर वन खण्ड के बीट सावल्दे में पेड़ों की नाजायज कटाई

*२६—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि तराई भावर वन खंड के अन्तर्गत बीट सावल्दे में माह अप्रैल व मई, १९६९ में सैकड़ों पेड़ साल के नाजायज तौर से काटे गये हैं ? यदि हां, तो शासन ने उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्री शिवराज सिंह—

तराई भावर वन खंड के अन्तर्गत बीट सावल्दे में माह अप्रैल व मई, १९६९ में विभिन्न व्यास के साल के ७ पेड़ व शीशम के २ पेड़ (कुल ९ पेड़) नाजायज तरीके से काटे पाये गये । इस संबंध में निम्नलिखित कार्यवाही की गई:—

४ पेड़ नजदीक के गांव वालों द्वारा सोख्तें के लिये काटे गये प्रतीत होते हैं । इन मे से १ पेड़ का केस कम्पाउन्ड हो गया है, २ पेड़ों के जुर्म काटे गये हैं, १ पेड़ का माल चौकी पर ढुलवाया गया है, जांच जारी है ।

४ पेड़ों का माल मौके पर पाया गया जिसे फारेस्ट गार्ड की चौकी पर सुरक्षित रख दिया है । नाजायज कटान के विषय में बहुत छानबीन की गई परन्तु मुलजिम नहीं पकड़े गये ।

१ पेड़ का ठूंठ जला पाया गया, जांच जारी है ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन ९ पेड़ों का नाजायज कटान किया गया है उनकी अनुमानित कीमत क्या है और जिन चार पेड़ों को रिजर्व रखा गया है वे कब तक विचाराधीन रहेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, ये चीरने के काबिल नहीं थे इस से जाहिर है कि बहुत कीमती नहीं थे लेकिन कितनी लागत थी इसके लिए सूचना की आवश्यकता होगी । कब तक ये पेड़ पड़े रहेंगे इसका मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं कि शीघ्र ही अंतिम कार्यवाही की जायेगी ।

बांसगांव तहसील में पेड़ों को काटने के लिये परमिट

*२७—श्रीमती मसाली देवी (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील में हरे और फलदार पेड़ों को काटने के लिए कितने परमिट दिये गये ?

श्री शिवराज सिंह—

गोरखपुर जिले की बांस गांव तहसील में हरे और फलदार पेड़ों को काटने के लिये वर्ष १९६९ व १९७० (अब तक) में कोई भी परमिट नहीं दिये गये ।

*२८—श्रीमती मसाली देवी (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि बिना परमिट पेड़ काटने वालों के विरुद्ध यू० पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में कितने मुकदमें विचाराधीन हैं और कितने मुकदमों का निर्णय हुआ ?

श्री शिवराज सिंह—

बिना परमिट पेड़ काटने वालों के विरुद्ध यू०पी० प्राइवेट फारेस्ट ऐक्ट में वर्ष १९६९ में दो मुकदमें विचाराधीन थे तथा दोनों मुकदमों का निर्णय हो चुका है।

वर्ष १९७० में कोई मुकदमा विचाराधीन नहीं है ।

सहारनपुर जिले में डालूवाला निवासियों का वन अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*२९—श्री मंजूर अहमद—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनको ग्राम डालूवाला, जिला सहारनपुर, के ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र-दिनांक १२ अगस्त, १९६९ प्रश्नकर्ता द्वारा मिल गया है, जिसमें वन विभाग के शिवालिक डिवीजन के डी० एफ० ओ० और कंजरवेटर के विरुद्ध लाखों रुपये हड़प कर जाने व छोटे कर्मचारियों को सताने की शिकायत है, उस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री शिवराज सिंह—

जी हां । इस पर विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच कराई जा रही है ।

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इसकी जांच कौन अधिकारी कर रहा है ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, इसकी जांच विभाग द्वारा एक डी०एफ०ओ० कर रहे हैं ?

श्री मंजूर अहमद—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डी०एफ०ओ० की जांच डी० एफ० ओ० कर रहे हैं तो उनसे हटा कर किसी सी०आई०डी० अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, सरकार का इरादा यह है कि यह जांच सतर्कता अधिष्ठान द्वारा कराई जाय परन्तु इस अधिष्ठान का कार्य करने का तरीका यह है कि पहले प्राथमिक जांच विभाग द्वारा कराई जाय । इसलिये इस कार्य की पूर्ति के लिए यह प्राथमिक जांच कराई जा रही है और इसमें माननीय सदस्य का सहयोग वांछनीय और प्रार्थनीय है ।

श्री सतीश चन्द्र (जिला एटा)—

क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह शिकायत कब प्राप्त हुई थी ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, माननीय सदस्य, मंजूर अहमद साहब द्वारा, १२—८—६९ को यह शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके संबंध में सदन में विचार चल रहा है ।

श्री मंजूर अहमद—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से एक ही सवाल किया है कि क्या वह डी०एफ०ओ० की जांच डी०एफ०ओ० द्वारा न करा कर उससे आला आफीसर से जांच करायेंगे ?

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, उनसे आला एक ही आफिसर प्रदेश में है और मैं यह भी सदन को बतला दूं उससे शायद तसल्ली हो जावेगी कि जिस आफिसर के सम्बन्ध में शिकायत थी उसका स्थानान्तरण कर दिया गया है और वह तबादला अमल में आ गया है ।

शिक्षा निदेशालय के अधीन राजपत्रित अधिकारियों के दक्षता रोक पारण केसों में विलम्ब

*३०--श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय के अधीन कितने राजपत्रित अधिकारी ऐसे हैं, जिनके दक्षता रोक का पारण १९६५ में या उसके पूर्ण ही ड्यू हो चुका है, किन्तु उनको दक्षता रोकपार करने की अनुमति अभी तक नहीं मिली है? इस विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री रामकिंकर--

९ अधिकारी ।

इनके कार्य का संतोषजनक न होना ।

*३१--श्री रामचन्द्र विकल--

क्या शिक्षा मंत्री ऐसा आदेश जारी करने की कृपा करेंगे कि दक्षता रोक पारण के सभी केसों में अविलम्ब निर्णय लिया जाय ?

श्री राम किंकर--

शासन के ऐसे आदेश पहले से ही हैं और पुनः भेज दिये गये हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या शिक्षा मंत्री जी बतलायेंगे कि पहले आदेश किस तिथि में दिये गये हैं और दूसरे किस तिथि में दिये गये हैं ?

श्री राम किंकर--

मान्यवर, ८ जनवरी, ७० को निदेशक को आदेश दिये गये कि ३१ मार्च, ७० तक इन सब मामलों में निर्णय हो जाय । उसके बाद १८-३-७० को आदेश दिये गये कि जल्द से जल्द निर्णय लिये जायं ।

श्री रामचन्द्र विकल--

क्या मंत्री जी उन ९ अधिकारियों के नाम और पद बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राम किंकर--

श्री रामकृष्ण विशारद, जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर, श्रीमती शारदा अरोड़ा, प्रधानाचार्या, राजकीय कन्या इंटर कालेज, देहरादून, श्री श्रीधर कुलश्रेष्ठ, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, बदायूं, श्री मानिक नारायण श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक, राजकीय दीक्षा विद्यालय, दिलीपपुर, प्रतापगढ़, श्री गोपालराम बहुगुना, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, जोशीमठ, चमोली, श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर, श्री के० सी० मिश्र, प्रधानाचार्य, राजकीय इंटर कालेज, चकिया, वाराणसी, श्री आर० एस० मिश्र, प्रधानाध्यापक, राजकीय सेवारत प्रशिक्षण केंद्र, शाहगंज, जौनपुर, श्री विपत प्रसाद सोनकर, विद्यालय उप निरीक्षक, टेहरी-गढ़वाल ।

जिला समाज कल्याण समितियों का विघटन

*३२--श्री इन्द्रलाल तथा श्री लालसा (जिला आजमगढ़)--

क्या समाज कल्याण मंत्री कृपया बतावेंगे कि शासनादेश, दिनांक ६ जून, १९६९ तथा १९ सितम्बर, १९६९ के अन्तर्गत गठित जिला समाज कल्याण समितियां, माह जनवरी, १९७० ई० के प्रथम सप्ताह में विघाटित कर दी गई है। यदि हां, तो किस कारण शासन ने यह आदेश जारी किया ?

श्री राम किंकर——

जी हां ।

राजाज्ञा सं० ८२१२ क/छब्बीस–९४३/६५, दिनांक २ जनवरी, १९७० की एक †प्रतिलिपि संलग्न है जिसमें विघटन के कारण उल्लिखित हैं । तदुपरान्त राजाज्ञा ९३९/छब्बीस-९४३/६५, दिनांक १६ फरवरी, १९७० में नई जिला हरिजन समाज कल्याण समितियों के गठन के आदेश भी जारी किये जा चुके हैं ।

श्री इन्द्रलाल—

क्या समाज कल्याण मंत्री जी बतलायेंगे कि १६ फरवरी को यह आदेश गये कि फायनेन्शियल ईयर खतम होने जा रहा है और अभी तक सदस्यों को सूचना नहीं पहुंच पाई है, तो वर्ष १९६९-७० खतम हो रहा है, उसके अन्तर्गत जो अनुदान मिलने वाले हैं वह लैप्स तो नहीं हो जावेंगे ?

श्री राम किंकर—

मान्यवर, यह बात सही है कि १६ फरवरी को आदेश गये हैं । जिन परिस्थितियों में यह आदेश गये हैं, मान्यवर, उसकी सारे सदन को जानकारी है । लैप्स होने का सवाल नहीं उठता । यहां सारी व्यवस्था की जायगी, लैप्स नहीं होगा ।

श्री इन्द्रलाल—

प्रश्न यह है कि मैं मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक सदस्यों को जैसा कि संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य इसके सदस्य हैं उनको अभी तक सूचना नहीं पहुंच पाई है । और जो नामिनेशन होने हैं उनका प्रश्न नहीं उठता । अभी तक जो अधिकारी हैं, सदस्य हैं, यदि उन्होंने अनुदान को बांट दिया तो क्या वह वेलिड माना जायगा या नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि १६ फरवरी को इन समितियों का पुनर्गठन हुआ है और ये समियां बहुत बड़ी हैं और उनका काय सुचारु रूप से संचालित करने में कठिनाई हो रही है ?

श्री राम किंकर—

यह सत्य है कि ये जो कमेटियां बनी हैं बहुत बड़ी हैं और इनसे असुविधा होगी ।

श्री जगदम्बा प्रसाद –

क्या माननीय मंत्री जी यह महसूस करते हैं कि ये कमेटियां बहुत बड़ी बनी हैं और उनसे कठिनाई होगी ?

श्री राम किंकर—

जी हां ।

---

†छापी नहीं गयी ।

कन्हैयालाल इन्टर कालेज, करनैलगंज, की जांच

*३३—श्री श्रीराम सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि करनैलगंज, जिला गोंडा स्थित कन्हैयालाल इंटर कालेज में व्याप्त भ्रष्टाचार तथा अनियमितताओं की कोई जांच वर्ष १९६८-६९ अथवा १९६९-७० में कराई गई ? यदि हां, तो जांच किसने की ? जांच के परिणामस्वरूप क्या तथ्य प्रकाश में आये तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

इस विद्यालय की जांच उपशिक्षा निदेशक, फैजाबाद मंडल तथा शिक्षा विभाग के आडिटरों द्वारा १९६९-७० में कराई गई । आर्थिक एवं प्रशासनिक अनियमितताओं के कतिपय तथ्य प्रकाश में आये जिसके फलस्वरूप संस्था के विरुद्ध प्रशासकीय आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जूनियर हाई स्कूल, गोंडा के परीक्षा फल का टेबुलेशन

*३४—श्री त्रिवेणी सहाय तथा श्री कृष्ण स्वरूप—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६८–६९ में जूनियर हाई स्कूल, गोंडा की परीक्षाओं का टेबुलेशन बर्क उप जिला विद्यालय निरीक्षकों अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा न करा कर जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय, गोंडा, के कर्मचारियों द्वारा कराया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री रामकिंकर—

यह सत्य नहीं है ।

वर्ष १९६८–६९ में जूनियर हाई स्कूल, गोंडा, का परीक्षाफल केवल कार्यालय सहायकों द्वारा ही टेबुलेशन नहीं कराया गया वरन् टेबुलेशन रजिस्टर के आठ पंजिकाओं में से चार पंजिकायें कार्यालय सहायकों द्वारा तथा शेष चार पंजिकाओं में से तीन प्रत्युप विद्यालय निरीक्षकों तथा एक रजिस्टर राजकीय इंटर कालेज के एक प्रवक्ता द्वारा टेबुलेशन कराया गया । ऐसा कोई आदेश नहीं है जिसके अन्तर्गत टेबुलेशन कार्य केवल उप विद्यालय निरीक्षक अथवा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों द्वारा ही कराया जाना है ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४ पंजिकाओं को इस प्रकार से क्यों करवाया गया ?

श्री रामकिंकर—

मान्यवर, इसमें कापियां जाती हैं और वे सब काम करते हैं । उनको १०० छात्रों पर केवल ८ रु० मिलते हैं जिसके लिए कोई तैयार नहीं होता । इस लिये विश्वासपात्र आदमियों पर ही यह काम सौंपा गया और उन्होंने ही यह काम किया ।

श्री त्रिवेणी सहाय—

उत्तर में यह कहा गया कि इस प्रकार के कोई आदेश नहीं हैं । क्या इस प्रकार की गलत रिपोर्ट देने के अपराध में तुरन्त ही जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही की जायगी ?

श्री रामकिंकर—

अगर कोई लिखित शिकायत करेंगे तो शासन उस पर कार्यवाही करेगा ।

प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों को समान वेतन तथा महंगाई भत्ता देने का विचार

*३५—श्री जगननाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिकाओं द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों को जो वेतन तथा महंगाई भत्ता देने का प्राविधान है क्या वही महंगाई भत्ता तथा वेतन-क्रम उन प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों पर लागू करने का विचार कर रही है जो गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के साथ चल रहे हैं । यदि हां, तो व्यवस्था कब से लागू होगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री रामकिंकर—

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है किन्तु यह व्यवस्था कब से लागू की जा सकेगी यह इस विषय में लिये गये निर्णय पर निर्भर होगा ।

श्री जगननाथ खन्ना—

मान्यवर, प्रदेश के ऐसे हजारों अध्यापक और अध्यापिकायें हैं जिनका संबंध प्राइमरी स्कूलों से है, महंगाई का जमाना है तो क्या उनके लिये मंत्री जी जल्दी विचार करने का आश्वासन दे सकेंगे ?

श्री रामकिंकर—

यह बात ठीक है कि महंगाई का जमाना है और सरकार यह चाहती है कि अध्यापकों को समय से वेतन मिल सके उसका यह प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यह मामला तय हो जाय ।

शाहजहांपुर जिला परिषद अध्यापकों को वेतन न मिलना

*३६—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को पता है कि शाहजहांपुर जिला परिषद के अध्यापकों को गत ६ महीने से वेतन प्राप्त नहीं हुआ है जिसके कारण अध्यापकों में घोर असंतोष व्याप्त है और पढ़ाई का कार्य ठप्प हो गया है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं ।

इस परिषद में अध्यापकों का केवल माह अक्टूबर, १९६९ से वेतन अवशेष है उसके भी अब बिल बन चुके हैं । अध्यापकों में कोई असंतोष नहीं है । पढ़ाई का कार्य भी ठप्प नहीं है ।

*३७—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को यह भी पता है कि जिला परिषद् के अध्यापकों ने अध्यक्ष जिला परिषद्, शाहजहांपुर, को लिखित रूप से सूचित कर दिया है कि यदि वेतन का भुगतान १५ दिन के अन्दर न हुआ तो पढ़ाने का कार्य सामूहिक रूप से बन्द कर देंगे ? यदि हां, तो सरकार ने तुरन्त क्या कार्यवाही की ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी हां ।

इस परिषद् के अध्यापक ने १५ दिन का नोटिस दिया था । जो वेतन इस समय अवशेष था उसका भुगतान कर दिया गया है ।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

*३८--श्री राम निहोर राय (जिला मिर्जापुर) तथा श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति जो हरिजन विद्यार्थियों को जिला परिषद् के द्वारा बांटी जाती है उसको हरिजन कल्याण विभाग द्वारा वितरित करने की व्यवस्था पर विचार कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

मिर्जापुर जिले में बीड़ी की पत्ती की बिक्री

*३९--श्री रामनिहोर राय--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि मिर्जापुर जिले में कुछ क्षेत्र में बीड़ी की पत्ती की बिक्री का एकाधिकार किसी व्यापारिक अथवा औद्योगिक संस्थान को दिया गया है ? यदि हां, तो कैसे तथा क्यों ?

श्री शिवराज सिंह--

मिर्जापुर जिले के किसी भी वन क्षेत्र में बीड़ी की पत्ती की बिक्री का एकाधिकार किसी को भी नहीं दिया गया है।

हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग संबंधी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट

*४०--श्री राम लखन (जिला वाराणसी) तथा श्री रामसागर (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के कार्यों के मूल्यांकन के लिये आचार्य जुगुल किशोर की अध्यक्षता में जो मूल्यांकन समिति बनी थी उसकी रिपोर्ट सरकार को कब प्राप्त हुई तथा अब तक सरकार ने उक्त कमेटी की किन-किन सिफारिशों को मान कर कार्यवाही शुरू कर दी है तथा कौन कौन सी सिफारिशें ऐसी हैं जिस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई, और क्यों ?

श्री श्रीपति मिश्र--

मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट औपचारिक रूप से शासन को ८ अगस्त, १९६९ को प्राप्त हुई। समिति की संस्तुतियों का सारांश रिपोर्ट के अध्याय १२ में दिया हुआ है। अब तक जिन संस्तुतियों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया जा चुका है, उनके सम्बन्ध में सूचना संलग्न है। शेष संस्तुतियां विचाराधीन हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४०५-४०६ पर)

हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत पाठशालाओं का अनुदान

*४१--श्री राम वचन यादव--

क्या समाज कल्याण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार उन पाठशालाओं को पुनः अनुदान देने के बारे में सोच रही है जो कि संविद शासन काल के पहले हरिजन तथा समाज कल्याण विभाग की ओर से चलाये जाते थे तथा अब सहायता न मिलने के कारण टूट रहे हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं।

झांसी जिले में माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य को भविष्य निधि के राजकीय अंश का भुगतान न होना

*४२—श्री त्रिवेणी सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के ऐसे कितने प्रधानाचार्य हैं जिन्हें झांसी जिले में काम करने के बाद अवकाश ग्रहण किये २ वर्ष से अधिक हो गया है परन्तु उनकी भविष्य निधि का राजकीय अंश दिनांक २० जनवरी, १९७० तक न दिये जाने का क्या कारण है तथा भुगतान कब तक दे दिया जायगा ?

श्री श्रीपति मिश्र—

केवल एक प्रधानाचार्य की भविष्य निधि के राजकीय अंश का भुगतान नहीं हो सका है। पत्रादि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद, को अधिकार पत्र निर्गत करने के लिये भेजे गये हैं। अधिकार पत्र प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

बस्ती जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलना

*४३—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री रामकरन तथा श्री पारसनाथ सिंह (जिला बहराइच)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् बस्ती के लगभग १,२०० अप्रशिक्षित अध्यापक व अध्यापिकाओं को नवम्बर, १९६९ से जनवरी, १९७० तक वेतन नहीं दिया गया ? यदि हां, तो दिनांक २० जनवरी, १९७० तक सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र—

जी नहीं। सरकार द्वारा कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मेरठ जिले की शिक्षा संस्थाओं में वेतन न मिलना

*४४—श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेरठ जिले में कितनी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं हैं जिन्होंने २ या २ से अधिक महीनों का वेतन अपने अध्यापकों व अध्यापिकाओं को वितरित नहीं किया है ? यदि हां, तो सरकार उन विद्यालयों में वेतन वितरित कराने का क्या उपाय कर रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना एकत्र की जा रही है।

*४५—श्री लालसा—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

*४६—४७—श्री कल्यान सिंह—

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त।]

इलाहाबाद जिले में प्राइमरी स्कूलों को घाटा पूर्ति अनुदान

*४८—श्री राम पूजन पटेल (जिला इलाहाबाद)—

क्या हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री बतलायेंगे कि जनपद इलाहाबाद में कितने ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जिनकी घाटापूर्ति का अनुदान हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है ? उन विद्यालयों के नाम क्या हैं और उन्हें कितनी धनराशि दी जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

हरिजन सहायक विभाग द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों को घाटा पूर्ति का अनुदान नहीं दिया जाता । अन्य प्रश्न नहीं उटते ।

*४९--श्री रामपूजन पटेल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद, के अन्तर्गत कितने ऐसे प्रारंभिक विद्यालय हैं जिनकी घाटापूर्ति का अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहबाद, द्वारा भुगतान किया जाता है? उन विद्यालयों के क्या नाम हैं और उन्हें कितनी धनराशि दी जा रही है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

चालू वित्तीय वर्ष में जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद, द्वारा केवल एक प्राइमरी स्कूल को घाटापूर्ति अनुदान दिया गया । यह विद्यालय डा० एस० एम० बासू प्राइमरी स्कूल, बहादुर गंज है तथा इसे २८४ रु० की धनराशि दी गई ।

डी० एन० डिग्री कालेज, फर्रुखाबाद, के हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न मिलना

*५०--श्री मलिखान सिंह (जिला मैनपुरी)--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फर्रुखाबाद के डी० एन० डिग्री कालेज के हरिजन छात्रों को हरिजन छात्रवृत्ति माह फरवरी, व मार्च, १९६९ के न मिलने की शिकायत उनको माह अक्तूबर में तथा अन्य संबंधित अधिकारियों निदेशक, हरिजन समाज कल्याण, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, जिलाधीश, फर्रुखाबाद एवं मंत्री, हरिजन समाज कल्याण, को माह जनवरी, १९७० में मिली ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सचिवालय के हरिजन सहायक विभाग अथवा हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशालय में जनवरी, १९७० में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई । भूतपूर्व शिक्षा मंत्री तथा मंत्री हरिजन एवं समाज कल्याण को कोई शिकायत प्राप्त होने के विषय में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*५१--श्री मलिखान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनका ध्यान १६ जनवरी, १९७० के नवभारत टाइम्स, के पृष्ठ ४ की ओर गया है जिसमें छात्रवृत्ति दो शीर्षक में डी० एन० डिग्री कालेज एवं क० रा० र० इन्टर कालेज के विद्यार्थियों को १९६८-६९ की हरिजन छात्रवृत्ति के न दिये जाने का समाचार छपा है ? यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र--

जी नहीं । किन्तु नवभारत टाइम्स दिनांक १५ जनवरी, १९७० में इस प्रकार का समाचार छपा है जो अब शासन की जानकारी में आया है । इस विषय में आवश्यक जांच की जा रही है ।

हरनारायण इन्टर कालेज, गंजडुडवारा के छात्रकोष में धन तथा श्री नाथूराम गुप्ता की नियुक्ति की वैधानिकता

*५२--श्री महरम सिंह (जिला फर्रुखाबाद)--

क्या शिक्षा मंत्री जांच करवा कर बताने की कृपा करेंगे कि हर नारायण इन्टर कालेज, गंजडुंडवारा, जिला एटा, के छात्रों के लिये जो छात्रवृत्ति का धन दिया गया था उसमें से लगभग

[श्री महरम सिंह]

चार हजार रुपया तथा छात्र धन का करीब सात हजार रुपया जो सन् १९६६ में कैश बुक में जमा था नये प्रधानाचार्य को चार्ज देते समय नहीं दिया गया ? यदि हां, तो उस धनराशि को किस प्रकार और कहां व्यय किया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र--

छात्रवृत्ति की अवशेष धनराशि रु० २,८०७.९४ तथा छात्रकोष की अवशेष धनराशि रु० ४,५७३ ४२ थी जिसे नये प्रधानाचार्य को चार्ज देते समय नहीं दिया गया।

छात्रवृत्ति का धन अवितरित पड़ा हुआ है तथा छात्रकोष का धन आगे महीनों के आय-व्ययक में सम्मिलित कर लिया गया है ।

*५३--श्री महरम सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हर नारायण इन्टर कालेज, गंज डुंडवारा, जिला एटा, की प्रबन्ध समिति के सदस्य श्री नाथूराम गुप्ता तथा उनके पिता लाला हर नारायण सदस्य के रूप में सन् १९५८ से सन् १९६९ तक कार्य करते रहे और सन् १९६१ में श्री नाथूराम गुप्ता लिपिक के पाद पर अवैतनिक रूप में नियुक्त किये गये और तब से अब तक उस कालेज के विभिन्न वैतनिक पदों पर कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो शिक्षा संहिता तथा सरकारी आदेशों के विपरीत कार्य करने के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री श्रीपति मिश्र--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*५४--श्री शिवानन्द नौटियाल--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

शिक्षा प्रसार विभाग में राइटर के पद

*५५--श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि दिनांक ३० अक्तूबर, १९६५ को जो व्यक्ति राइटर के पद के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये थे उनमें कितने मितव्ययिता के कारण सन् १९६६ में सेवा से मुक्त कर दिये गये थे और फिर उनमें से कितने सेवा में लिये गये हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र--

शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश में दो राइटर के पद थे, जिनमें से एक पद १९६५ में मितव्ययिता के कारण समाप्त किये जाने के फलस्वरूप एक व्यक्ति को सेवा से मुक्त किया गया था। बाद में फरवरी, १९६६ में इस व्यक्ति को विभाग के एक अन्य पद पर नियुक्ति दे दी गई थी।

विद्याविनोदिनी परीक्षा को मान्यता देने का सुझाव

*५६--श्री कल्यान सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि अंग्रेजी विषय सहित केवल दो खण्डों में उत्तीर्ण की गई विद्या विनोदिनी की परीक्षा को सन् १९६३ तक हाई स्कूल की परीक्षा के समकक्ष मान्यता प्राप्त थी ? क्या उपरोक्त परीक्षा की मान्यता से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का हाल में कोई ज्ञापन सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

यह परीक्षा वर्ष १९४६ से मई, १९६४ तक इन्टरमीडिएट परीक्षा कक्षाओं में प्रवेश के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के समकक्ष मान्य थी। इस विषय में प्रश्नकर्त्ता का एक ज्ञापन दिनांक २९ जनवरी, १९७० प्राप्त हुआ था किन्तु उसमें दिये गये सुझावों को स्वीकार करना संभव नहीं है ।

जी० एस० एच० इन्टर कालेज व एम० आई० इन्टर कालेज, सिकन्दराराऊ, का परीक्षा फल रोकना

*५७---श्री जगदीश गांधी---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, के जी० एस० एच० इंटर कालेज व एम० आई० इन्टर कालेज के परीक्षा केंद्रों पर सन् १९६९ की हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षा के समय नकल करने के अभियोग में कितने विद्यार्थियों के परीक्षाफल घोषित करने से रोक लिये गये तथा रुके हुए परीक्षाफल कब तक घोषित किये जायेंगे ?

श्री श्रीपति मिश्र---

सिकन्दराराऊ, जिला अलीगढ़, की जी० एस०एच० इन्टर कालेज तथा एम०आई० इन्टर कालेज कन्द्रों के क्रमश: १८ हाई स्कूल तथा ८३ इन्टरमीडिएट परीक्षार्थियों के परीक्षाफल परीक्षा में सामूहिक नकल करने के आरोप में रोक लिये गये थे। इन समस्त परीक्षार्थियों के विषय माध्यमिक शिक्षा परिषद् , उत्तर प्रदेश, द्वारा निर्णीत कर दिये गये हैं और निर्णय की सूचना संबंधित विद्यालयों व केंद्रों को भेज दी गई है।

आर० आई० जी० एस० , आगरा, के कार्यालय में नियुक्तियों के मामले

*५८---श्री कल्यान सिंह---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर० आई० जी० एस०, आगरा, के कार्यालय में अध्यापिकाओं की नियुक्तियों के अनुमोदन (approved) के कितने मामले दिनांक ३१ जनवरी, १९७० तक लंबित पड़ हैं ? उनमें से किस-किस जिले की कितनी-कितनी प्रशिक्षित (trained) और कितनी-कितनी अप्रशिक्षित (untrained) अध्यापिकाओं की न नियुक्ति के अनुमोदन के मामले में है तथा अभी तक अनुमोदन प्रदान करने का क्या कारण है ?

श्री श्रीपति मिश्र---

आगरा मण्डल की २० अध्यापिकाओं के अनुमोदन के मामले दिनांक ३१ जनवरी, १९७० तक आर० आई० जी० एस०, आगरा, के कार्यालय में लम्बित पड़े थे। ये सभी २० अध्यापिकाएं अलीगढ़ जिले की हैं। इनमें से १५ प्रशिक्षित (ट्रेंड) तथा ५ अप्रशिक्षित हैं। दिनांक ३१ जनवरी, १९७० तक अनुमोदन न दिये जा सकने का मुख्य कारण विद्यालयों द्वारा नियुक्तियों के प्रस्ताव त्रुटिपूर्ण भेजना है।

*५९---श्री त्रिवेणी सहाय---

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया ।]

*६०---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

[४थे शुक्रवार के लिये स्थगित]

अतारांकित प्रश्न

आगरा मण्डल में जिला विद्यालय निरीक्षकों का ग्रेड

१—श्री सियाराम (जिला एटा) तथा श्री नेतराम सिंह (जिला एटा)—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के आगरा मण्डल के कौन-कौन जिले किस-किस ग्रेड के हैं तथा उनके जिला विद्यालय निरीक्षक किस-किस ग्रेड के हैं ?

श्री श्रीपति मिश्र—

आगरा मण्डल के अलीगढ़, एटा, आगरा तथा मथुरा जिले प्रथम ग्रेड में और मैनपुरी जिला द्वितीय ग्रेड में है । प्रथम ग्रेड के जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (ज्येष्ठ) वेतन-क्रम ६००—१,२५० में और द्वितीय ग्रेड के जिले जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा (कनिष्ठ) वेतनक्रम ३००—९०० रु० में हैं ।

अलीगढ़ जिले में कृषि-शिक्षा देने वाली संस्थाएं

२—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में कितने हाई स्कूल व इन्टर कालेज हैं जहां कृषि की पढ़ाई होती है और उनके पास कितनी-कितनी जमीन है ?

श्री श्रीपति मिश्र—

अलीगढ़ जिले के २३ हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में कृषि की पढ़ाई होती है । भूमि का विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" में प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०७—४१० पर)

३—श्री जगदीश गांधी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि अलीगढ़ के इन कालेजों में से प्रत्येक को १ अप्रैल, सन् १९६७ से ३१ मार्च, १९६९ तक कितना-कितना रुपया कृषि के लिये तथा बैल के लिये और कृषि अध्ययन से संबंधित दूसरे कार्यों के लिये दिया गया ?

श्री श्रीपति मिश्र—

सूचना परिशिष्ट "ख" में प्रस्तुत है ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४०७—४१० पर)

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के संबंध में मुझे कुछ निवेदन करना है । मुझे दफा ५१ मना कर दिया गया था । मैंने नीति संबंधी अल्पसूचित तारांकित प्रश्न किया था जिसका जवाब सरकार दे सकती है । १० रोज हो गये लेकिन मेरा वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न अभी तक नहीं आया । वह क्यों नहीं आ रहा है ?

श्री अध्यक्ष—

यहां मैं उसका जवाब नहीं दे सकूंगा । आप मेरे कमरे में इसकी इंक्वायरी कर लें ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि बस्ती जिला परिषद् के १,२०० अध्यापक और अध्यापिकाओं को जनवरी, सन् ६६ से वेतन नहीं दिया गया....

श्री अध्यक्ष---

अब तो उसका समय निकल गया ।

श्री सुखपाल पांडेय---

आप सदन में एक बार इस प्रकार का आश्वासन दिला चुके हैं कि ३१ अगस्त तक अध्यापकों का वेतन दे दिया जायगा लेकिन अब उत्तर दिया गया है---जी नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

आप यह मुझे लिख कर दे दें ।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद, नैनी में १,६०० मजदूर लगातार १७ तारीख से...

श्री अध्यक्ष---

अभी आप मुझे विशेषाधिकार के प्रश्न पर फैसला दे देने दें ।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)

श्रीमन्, हमारे क्षेत्र में एक-एक किलो का ओला गिरा । एक आदमी मर गया और तमाम फसल बर्बाद हो गयी ।

स्वास्थ्य निदेशक, श्री डी०एन० शर्मा के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना ---(क्रमागत) †

एक सदस्य---

श्रीमन्, मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न था, उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

(अनेक सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर) आप नियमों का पालन नहीं करते हैं । पहले मैं विशेषाधिकार के प्रश्न पर अपना फैसला दे दूं ।

श्री राम कुमार जी दीक्षित जो कानपुर के हैं, उनका है । उन्होंने श्री डी० एन० शर्मा के विरुद्ध दिया है । उन्होंने कहा है कि उनसे उनकी फोन पर कुछ बातें हुईं ।

उसमें यह कहा गया है कि उन्होंने यह शब्द कहे थे कि " आप स्वार्थी हैं "। मैंने कहा कि शब्द स्वार्थी किस बात के सिलसिलेमें कहा होगा, तो यह मालूम हुआ कि कोई प्रार्थना की गयी थी कि अमुक व्यक्ति को अमुक जगह एपायंट कर दिया जाये । तो यह तो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि उस व्यक्ति को एप्वायंट करने के सिलसिले में कोई चर्चा चल गयी होगी और उस चर्चा में ये शब्द कह दिये गये होंगे । यह चीज भी अनुचित है कि किसी अधिकारी से यह कहा जाये कि हम अमुक व्यक्ति को फला जगह एप्वायंट कराना चाहते हैं ।

---

*१३ मार्च, १९७० की कार्यवाही से ।

[श्री अध्यक्ष]

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। इसके विषय में हर पार्टी का कोड आफ कंडक्ट मौजूद है और मैं यह चाहता हूं कि उसके अनुसार कार्य होना चाहिये। यदि ऐसे प्रश्न उठने शुरू हो गये तो हमारा सब समय इसी में चला जायेगा। ये व्यक्तिगत प्रश्न है यह कहना कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान पर एप्वायंट कर दो। ऐसे प्रश्न विशेषाधिकार के प्रश्न नहीं बनते हैं। यदि किसी अधिकारी ने कोई शब्द कह भी दिया हो तो भी नहीं बनते ह। इसलिये मैं इसे स्वीकृत नहीं कर रहा हूं।

जिलाधीश, हरदोई के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा प्रश्न हरदोई के आफिसर का है। इसमें भी कुछ व्यक्तिगत बातें मालूम होती हैं वे प्रश्न जिनमें सार्वजनिक बातें होती हैं और किसी का अपमान किया गया होता है विशेषधिकार समिति को भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त वे प्रश्न होते हैं जिनमें व्यक्तिगत काम को ले कर माननीय सदस्य अधिकारियों के पास जाते हैं। यदि उनके दौरान कोई बात हो जाती है या कोई बहस छिड़ जाती है तो उनको मैं स्वीकार नहीं करता हूं। इस प्रश्न के संबंध में मैंने अपना कोई फैसला नहीं दिया है, क्योंकि इसमें कुछ बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता मालूम पड़ती है। मैं इस हरदोई के मामले पर विचार करूंगा। मैं सभी पार्टियों के नेताओं से भी प्रार्थना करूंगा।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अभी आप कृपा करके बैठें। मैंने आपके सामने प्रश्न को रख दिया है। आप कोई नीति निर्धारित करें। हम लोग जो यहां पर बैठे हैं पूरे प्रान्त का शासन करते हैं। यदि कोई अफसर अला बला काम करता है तो आप उसको उसके मंत्री के द्वारा दंडित भी करा सकते हैं। यदि आप छोटे-छोटे आफिसरों के पास जा कर बहस करेंगे तो इससे तो सदन की प्रतिष्ठा कम होगी। यदि माननीय सदस्य किसी अधिकारी से किसी काम को करने के लिये कहते हैं और वह कर देता है तब तो कोई प्रश्न नहीं उठता है, परन्तु यदि वह नहीं होता है तो शिकायत शुरू हो जाती है। मैं समझता हूं कि अब इस तरह के प्रश्न बढ़ रहे हैं। आप यहां पर २८-३-१९७० को वोट डालने के लिये आ रहे हैं। मेरी सभी पार्टियों के नेताओं से प्रार्थना है कि वे कोड आफ कंडक्ट तैयार कर लें कि सार्वजनिक हित के मामले कौन से हैं जिनमें विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया जा सका है? जो व्यक्तिगत मामले हैं उन पर विचार नहीं करना चाहिये।

श्री कृष्णानन्द राय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमन्, अभी विशेषाधिकार के प्रश्न पर आप अपने विचार प्रकट कर रहे थे। विचार प्रकट कर रहे थे, मैं इसलिये कह रहा हूं कि श्री राम कुमार दीक्षित के प्रश्न पर आपने रूलिंग दी है। हरदोई के प्रश्न पर आप विचार के रूप में कुछ कह रहे थे। आदरणीय सदस्य ने उस प्रश्न के बारे में कुछ जानकारी दी है और एक प्रश्न के रूप में आपके सामने रखी है। उसकी एक प्रतिलिपि मुझे दी भी थी। उन्होंने जो एलीगेशन लगाये हैं वे प्राईमाफेशाई हैं और उन एलीगेशन्स से विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनता है। यदि यह प्रश्न विशेषाधिकार का अवहेलना का नहीं है तो फिर, श्रीमन्, कौन सा प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का हो सकता है?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

श्री कृष्णानन्द राय--

मान्यवर, मेरी पूरी बात तो आप सुन लें। जब आप अपने विचार प्रकट कर रहे थे तो मैं कुछ नहीं कह रहा था।

श्री अध्यक्ष---

आप कृपा करके बैठ जाइये। सवाल यह है कि इस विषय पर मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूं। मैंने तो यह कहा कि ये ऐसे प्रश्न हैं जिनमें तीन-तीन, चार-चार व्यक्तिगत बातें थीं।

श्री परमाई लाल (जिला हरदोई)---

मेरे कहने का मतलब है कि आपको यह व्यवस्था करनी है, क्योंकि इससे पूरे हाउस का अपमान हुआ है।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा था कि आपके प्रश्न में नीति का सवाल पैदा होता है कि हम लोग अपने यहां के लोगों को इस तरह से अफसरों के पास जाने की इजाजत देंगे और ऐसे प्रश्न उठाने की इजाजत देंगे कि नहीं ?

श्री परमाइ लाल---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं निवेदन कर दूं कि एक बार मैं गया था तो मुझसे कहा गया कि रुपये लेकर आइये। ..... (व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि माननीय परमाई लाल जी ने जो विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाया है उसको आप पेंडिंग में रख दें तो अच्छा हो, उसके ऊपर अभी आप फैसला न दें। साथ ही इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि कम से कम आप वहां के जिलाधीश को एक पत्र लिख कर पूछ तो लें कि क्या बात है और उसके सन्दर्भ में जब नेताओं की मीटिंग होगी तो हम लोग बात कर लेंगे। इसको आप रिजेक्ट न करके अभी पेंडिंग में ही रख दें, यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष---

मैं उसको अभी पेंडिंग में ही रख रहा हूं। आपने जो यह बात कही कि जिला मैजिस्ट्रेट से मैं उस सम्बन्ध में पूछ लूं, तो मैं जिला मैजिस्ट्रेट से पूछ लूंगा, उनका भी वक्तव्य आ जायेगा और उसके बाद मैं उसे आप लोगों के सामने रख दूंगा। क्योंकि जहां तक व्यक्तिगत प्रश्न के आने की बात है, इस सम्सम्बध में अपको तय करना होगा कि आयन्दा व्यक्तिगत प्रश्न के आधार पर न आ सके। सिर्फ सार्वजनिक प्रश्न ही विशेषाधिकार के रूप में उठाया जा सकता है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)---

श्रीमन्, केवल प्रश्न का एक पक्ष मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वह इसलिये रखना चाहता हूं कि जब आप उस पर विचार करें तो कृपा कर इस पर भी विचार करें कि व्यक्तिगत प्रश्न की जहां तक बात है, रिवाल्वर पाना हमारा अधिकार है और उस सम्बन्ध में जब कोई माननीय सदस्य किसी अधिकारी के पास जाते हैं और उस सम्बन्ध में कुछ बातचीत करते हैं और ऐसे मौके पर यदि कोई अपमानजनक बात किसी अधिकारी के द्वारा कही जाती है जो उसे नहीं कहनी चाहिये तो मेरे ख्याल से वह अवमान का प्रश्न बन जाता है। यदि वह किसी गलत काम के लिये कहे और तब वह किसी दूसरे प्रकार की व्यवस्था करे और जो सही बात हो उसके लिये भी वह उसी प्रकार का व्यवहार करे, तो दोनों कामों में क्या अन्तर नहीं हो सकता ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो आपसे पहले ही कह दिया कि इस पर मैं अभी कोई फैसला नहीं ले रहा हूं, अभी इसको पेंडिंग में रख रहा हूं। इन सारे प्रश्नों पर नेताओं की मीटिंग में बात हो जाये।

(व्यवधान)

जिलाधीश, बलिया, द्वारा गलत सूचना देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

श्री शम्भूनाथ चौधरी जी ने कहा है कि मंत्री जी द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा गलत सूचना देने के आधार पर दिया गया है, इसलिये उन्होंने जिला मैजिस्ट्रेट के ऊपर विशेषाधिकार की अवहेलना और सदन के अवमान का प्रश्न उठाया है। मैंने इस सम्बन्ध में उनसे कह दिया था कि उनसे मैं पूछ लूं क्योंकि मैंने उसको भी सम्बन्धित मंत्री जी के पास भेज दिया है कि आप जानकारी प्राप्त करें और स्पष्ट कहें कि तथ्य जो बतलाये गये हैं वे सही हैं या गलत हैं। अगर वे कहते हैं कि गलत उत्तर दिया गया है तो जब तक सही बात मालूम न हो मैं इसको नहीं ले सकता हूं। क्योंकि उनसे मैंने कहा है कि इसकी जानकारी लेकर सदन को सही तथ्य बतलावें। अगर गलत सूचना के आधार पर कोई बात कही गयी है तो ऐसी हालत में पहले माननीय मंत्री जी इसकी जानकारी हासिल करें और वे उस रिपोर्ट की खुद जिम्मेदारी लें। अगर वे जिम्मेदारी खुद नहीं लेते हैं और कहते हैं कि उन्हें मुगालता हुआ है तो इस विषय का तत्काल खुद उत्तर देने की जिम्मेदारी मंत्री जी की है। मैं अभी उनके किसी आफिसर पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न स्वीकार नहीं कर सकता हूं। इसको मैं पेंडिंग में रख रहा हूं। (व्यवधान)

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि क्या चौधरी साहब ने जिला मैजिस्ट्रेटों को इस तरह का संकेत दे दिया है कि हमारे खिलाफ चूंकि अविश्वास का प्रस्ताव आया है इसलिये एम० एल० एज० को किसी न किसी बहाने रोक रखा जाय ? (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)--

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सही कहा कि मंत्री जी के जरिये उस विषय पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और वह आवश्यक भी है। श्रीमन्, यह सवाल पैदा हुआ पांच छः दिन पहले और यदि मंत्री जी चाहें तो घंटे, दो घंटे बलिया से टेलीफोन पर सूचना प्राप्त कर सकते हैं कि शंभूनाथ जी ने जो प्रश्न उठाया है वह सही है या नहीं ? मुझे खेद है, श्रीमान्, कि आप कोई हिदायत करते हैं तो उसकी अवज्ञा होती है और अवहेलना करके टालते हैं।

श्री अध्यक्ष---

इसमें तो समय लगेगा। अविश्वास के प्रस्ताव पर बहुत से लोगों को बोलना है। वह ज्यादा इम्पारटेंट है।

चौधरी गिरधारी लाल (जिला बिजनौर)---

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता था कि विशेषाधिकार का प्रश्न क्या है, उसे पढ़कर सुना दें।

श्री अध्यक्ष--

वह आप उनसे जान सकते हैं। जब तक मैं उसको स्वीकार नहीं कर लेता तब तक उसकी इजाजत नहीं है।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

सन् ६९ के चुनाव के बाद से इसी सदन में तीन ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। एक तो सोशलिस्ट पार्टी के देवरिया के हैं, दूसरे चेतराम गंगवार हैं और तीसरे श्री परमाई लाल हैं चौथी घटना मेरे साथ हुई है लेकिन मैंने विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न इसलिये नहीं उठाया है कि उसके खिलाफ कोई कार्यवाही यहां से नहीं होगी। श्रीमन्, यह माननीय सदस्य का अधिकार है कि अगर उसके साथ कोई ऐसा व्यवहार होता है तो उसको सदन में रखे और मैं समझता हूं कि आप सभी पार्टियों के नेताओं को बुलाकर उनसे इस सम्बन्ध में बात करेंगे। आज हम देखते हैं कि जनता के हित में किसी काम के लिये अगर अधिकारी के पास जाते हैं तो वहां दुर्व्यवहार सदस्यों के साथ होता है। उसके विशेषाधिकार का प्रश्न यहां उठाने का अधिकार माननीय सदस्यों को है। आज प्रदेश में नौकरशाही का बोलबाला बढ़ रहा है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गयी है कि वे माननीय सदस्यों को भी अपमानित करने लगे हैं।

श्री अशफाक अहमद के विरुद्ध उपस्थिति पंजी में दूसरे सदस्य के हस्ताक्षर बनाने के बारे में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

यह एक अशफाक अहमद के बारे में नित्यानन्द स्वामी ने दिया है। किसी एक सदस्य ने दूसरे सदस्य के दस्तखत कर दिये हाजिरी के। उसी के बारे में यह प्रश्न उठाया है। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तरह की चीज सदस्यों को नहीं करनी चाहिये। इससे मर्यादा भंग होती है। उसकी इंक्वायरी के लिये मैंने कह दिया है। मैंने दोनों सदस्यों को अपने कमरे में बुलाया है कि हमारे आदमियों ने इस तरह की रिपोर्ट की है। मैं उनका एक्सप्लेनेशन लूंगा और जांच करने के बाद सदन को अवगत कराऊंगा और जो भी कार्यवाही उनके खिलाफ हो सकती है, होगी—अगर वे सदन में आकर अपनी भूल मान लें तब तो सदन चाहे तो माफ कर सकता है और जो दंड देना चाहे वह दंड भी दे सकता है, दोनों बातें हैं। तो ऐसी शिकायत मेरे पास आयी है और मैंने उनको बुलाया है और मैं इन्क्वायरी कर रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

मुझे निवेदन यह करना है कि यह विशेषाधिकार का प्रश्न मैंने उठाया है। माननीय सदस्य अशफाक अहमद के विरुद्ध। लेकिन जो आपने अभी वृतान्त दिया उससे कुछ ऐसा लगा कि मेरे और उनके बीच में कुछ हस्ताक्षर का आदान-प्रदान हो गया है। इसलिये मैं स्पष्ट कर दूं कि मैंने तो प्रश्न उठाया है और दूसरे हैं अलीगढ़ के माननीय सदस्य अहमद लूत खां, उनके हस्ताक्षर किये हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह बिल्कुल स्पष्ट है और यह चीज आप ही ने नहीं उठायी, हमारे आफिस ने सबसे पहले यह चीज उठायी क्योंकि उन्होंने खुद दस्तखत करते हुये देखा। इसलिये मैं श्री अशफाक अहमद और दूसरे सज्जन जिनके दस्तखत उन्होंने किये यह कहा जाता है उनको बुला रहा हूं और सब मामले की जांच करने के बाद निर्णय लूंगा।

(व्यवधान)

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती) –

आपने फरमाया कि हमारे दफ्तर के लोगों ने दस्तखत करते हुये देखा। तो क्या आपके दफ्तर का यह कर्त्तव्य नहीं है कि अगर कोई माननीय सदस्य दूसरे की जगह पर दस्तखत कर रहा हो तो उसको बता दे कि यह ठीक नहीं है ? क्यों नहीं सचेत किया उनको ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण क्या किसी के कहने से रुक जाते हैं ? जब मेरे कहने से आप लोग नहीं रुकते तो दूसरे के कहने से क्या रुकेंगे ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन (जिला मरादाबाद)—

यह दस्तखत करने के रजिस्टर लाबी म रखे जाते हैं और यह निर्णय हो चका है कि लाबी इस सदन का एक हिस्सा है। तो यह दस्तखत करने की जो प्रक्रिया हुई यह सदन के समक्ष हुई ऐसा आप समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष—

जब तक मैं जांच न कर लूं फैक्ट्स की तब तक क्या कह सकता हूं ? पहले जांच कर लूं फिर बताऊंगा ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

१७–३–७० को जो गलती हुई किसी सम्मानित सदस्य से क्या वैसी गलती और पहले की तारीखों में भी हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

अब, यह तो मैं अभी नहीं कह सकता ।

श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

जिन माननीय सदस्य ने दस्तखत किये हैं उन्होंने जाल किया है और यह आई० पी० सी० का आफेन्स बनता है। तो यह प्रिविलेज का प्रश्न नहीं उठता बल्कि यह केस पुलिस को दे देना चाहिये, वह जांच करे। यही मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी लिखा है।

श्री अध्यक्ष—

आप यह मान कर चलते हैं कि किया है और उनसे एक्सप्लेनेशन वगैर मांगे। आपके ऊपर कोई चार्ज करे और मैं एक्सप्लेनेशन न मांगूं तो नाराज हो जायेंगे। इसलिये इसके बारे में मुझे पहले पूछना पड़ेगा ।

नियम ५१ के अन्तर्गत विभिन्न विषयों के संबंध में जानकारी की मांग

श्री राम प्यारे (जिला मिर्जापुर)—

श्रीमन्, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने नियम ५१ का दिया था, वह एजेंडा में भी नहीं छपा है .....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें ।

श्री इन्द्रमणी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक जानकारी करना है कि परसों टेहरी गढ़वाल से तार आया है कि वहां पर महिलायें शराब की दुकानों पर पिकेटिंग कर रही थीं जिनको गिरफ्तार कर के

देहरादून भेज दिया गया है। हमने रेडियो पर प्रादेशिक समाचार में सुना है कि टेहरी-गढवाल में मद्य निशेध नीति घोषित की गई है सरकार की ओर से। तो यह जो जेल में भेज दिये गये हैं उनको शीध्र ही.....

श्री अध्यक्ष---

मैंने तो वह वक्तव्य के लिये भेज दिया है।

श्री इन्द्रमणी---

मेरी आप से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि एक मिनट में सुन लें, हमारे यहां की औरतों को १०० मील दूर भेज दिया गया है .....

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, वह कल इस पर वक्तव्य देंगे।

श्री राम प्यारे---

श्रीमन्, मैं ने कहा कि मैंने भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न नियम ५१ के अन्तर्गत दिया था, यह बहुत ही महत्व का प्रश्न है। हमारे यहां श्री काशी नाथ पांडेय पर घातक प्रहार हुआ है और वह अब जिस अस्पताल में भरती हैं वहां उनकी ठीक से दवा दारू भी नहीं की जा रही है.....

श्री अध्यक्ष---

आप बैठें, यही बात नेता विरोधी दल ने भी मुझ से फोन पर कही थी। मैंने इस पर भी कल वक्तव्य देने के लिये सरकार से कहा है। आप का भेज भी दिया है फिर भी आप सदन का समय लेते हैं।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)---

श्रीमन्, प्रदेश में डालडा व वनास्पति तेलों का इतना अभाव हो गया है कि हजारों लोग क्यू में खड़े रहे लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला, मैंने इस संबंध में एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था जिससे मैं चाहता था कि पहले वनास्पति और डालडा के संबंध में यहां बहस हो जाय.....

श्री अध्यक्ष---

इस संबंध में परिषद् में कतव्य हो चुका है और यहां भी कल दिया जायगा।

श्री डूंगरसिंह विष्ट (जिला नैनीताल)---

अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि १३ मार्च को हमारे यहां बड़ा आन्दोलन हुआ है और वहां महिलायें जेल में भेजी गई हैं और जिला परिषद् के अध्यक्ष और विभिन्न राजनैतिक संगठनों के लोग जेल भेजे गये हैं, उनका कहना है कि वहां शराब वगैरा के ठेके बन्द हों लेकिन वहां फिर २७ तारीख को ठेका होने वाला है। इसलिये हमारी प्रार्थना है कि इस विषय पर थोड़ी सी चर्चा होने दी जाय और इस पर वक्तव्य हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

वक्तव्य के लिये कह तो दिया, आप क्यों गड़बड़ इस तरह से करते हैं।

१० मार्च, १९७० के श्री महरम सिंह के प्रश्न १ व २ से संबंधित श्री लक्ष्मी रमण आचार्य के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर के संबंध में में शोधन वक्तव्य

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १० मार्च, १९७० को श्री महरम सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ व २ के सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह आदेश कब गये थे कि जून के अन्त तक समितियों का गठन किया जाय।

उस समम सदन में उत्तर दिया गया था कि यह आदेश अगस्त, १९६७ में जारी किये गये थे।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि समितियों के गठन के आदेश अगस्त, १९६७ में जारी किये गये थे और इन समितियों की बैठक जून माह के अन्त तक अवश्य किये जाने के आदेश १६ जून, १९६९ को जारी हुये थे।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य ने पूछा था कि अगस्त, १९६७ में जो आदेश गये थे उनका पालन क्या अभी तक नहीं हुआ है।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि अभी तक १९ जिलों में मीटिंग हो चुकी है और मथुरा और पीलीभीत से उत्तर आ गये हैं, मथुरा में समिति की बैठक शीघ्र बुलाने की कार्यवाही हो रही है और पीलीभीत में १९६८ व १९६९ में दो बैठकें हो चुकी हैं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि जिला मथुरा को छोड़कर, सभी जिलों की समितियों की बैठकें हो गई हैं। मथुरा की समिति की बैठक शीध्र बुलाने की कार्यवाही हो रही है।

श्री नित्यानन्द स्वामी ने पूछा था कि क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन समितियों का गठन मध्यावधि चुनाव के बाद जो माननीय सदस्य जीत कर आये हैं उनको सम्मिलित करते हुये किया गया है। आपका उत्तर है कि १९६७ में गठन किया गया। मेरा निवेदन है कि माननीय मन्त्री जी फिर दोबारा अवलोकन कर के बतायें कि क्या यह गठन १९६७ में हुआ या १९६९ के बाद हुआ।

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि आप सही कहते हैं, मैं जरा हिन्दी के समझने में कमजोर हूं। सन् १९६७ में राजनैतिक स्तर पर सलाहकार समिति का निर्णय हुआ और १६ जून, १९६९ को निर्णय लिया गया कि ये कमेटियां बनाई जायं, मैं इस गलती के लिये क्षमा चाहता हूं।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है कि कि समितियों के गठन के आदेश अगस्त, १९६७ में हुये थे और इन समितियों की बैठकें जून माह तक अवश्य किये जाने के निर्देश १६ जून, १९६९ को जारी हुये थे।

मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर निम्न है।

२--क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलों में स्वास्थ्य समितियों की बैठकें बुलाने से सम्बन्धित राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना जिन अधिकारियों ने की है उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

किन्हीं न किन्हीं कारणों से उक्त १९ जिलों जिलों में इस समिति की बैठकें निर्धारित तिथि तक नहीं हो पायीं, यद्यपि इन बैठकों को बुलाने के लिये आवश्यक प्रयास किया गया। इसमें शासनादेश की अवहेलना करने का कोई उद्देश्य नहीं था, अतः किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

अनवार अहमद,

स्वास्थ्य मन्त्री।

मंत्रि परिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव (क्रमागत)†

श्री अध्यक्ष—

अविश्वास के प्रस्ताव पर माननीय मिश्र जी बोल रहे थे जिस दिन सदन उठा था। अब वे अपनी बात समाप्त कर लें। उनका केवल ५ मिनट का समय बाकी है।

श्री मदन मोहन मिश्रा (जिला रायबरेली)—

आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास का जो प्रस्ताव माननीय नेता विरोधी दल द्वारा प्रस्तुत हुआ है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं और उसी संदर्भ में मैं आप का ध्यान कुछ बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह अविश्वास का प्रस्ताव पिछले कामों के ऊपर नहीं आ सकता है और अगर आ सकता है तो वर्तमान सरकार के ऊपर नहीं बल्कि पिछली सरकार पर आ सकता है जिसके कार्यकलापों के कारण यह प्रदेश आज तक उस स्तर तक नहीं पहुंच सका है जितना कि उसको पहुंचना चाहिये था। वर्तमान सरकार ने तो अभी-अभी कुछ दिन पूर्व अपना कार्य भार संभाला है। यदि ४—६ महीने भी हो गये होते और यह प्रस्ताव लाया जाता तो इसका कुछ मतलब हुआ होता। सवा ६ एकड़ तक की बिना बचत की जोतों से लगान माफी के प्रश्न का समावेश भी इस अविश्वास के प्रस्ताव में है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह तो एस० वी० डी० की सरकार भी पूरा नहीं कर सकी थी। गुप्ता जी की सरकार के पैरों तले की जब मिट्टी निकलने लगी तो उन्होंने बहुमत बनाने के लक्ष्य से संसोपा की मांग को मान लिया ताकि उनकी सरकार टिक जाय। उन्होंने यह एक स्टन्ट के रूप में बात उठायी थी। अलाभकर जोत के बारे में जो कहा जाता है तो यह आवश्यक नहीं है कि वह सवा ६ एकड़ तक ही हो। यह ५० एकड़, २५ एकड़ भी हो सकती है जिसकी सिंचाई के साधन उपलब्ध न हों, बीज ठीक समय से जिसको न मिले, जमीन कंकरीली हो तो वह अलाभकर जमीन ५० एकड़ और २५ एकड़ भी हो सकती है।

(व्यवधान)

आप अविश्वास का प्रस्ताव लाते हैं और आप चाहते हैं कि सब टैक्सेज माफ हो जायं। आप बतायें कि इन्कम का, आय (आमदनी) का दूसरा और क्या जरिया है जिससे सरकार अपने दिन प्रति दिन के खर्चे को वहन कर सके ?

श्री अध्यक्ष—

आप का "आप" से क्या मतलब है ?

श्री मदन मोहन मिश्रा—

मेरा मतलब "आप" से सिंडिकेटी सरकार से है। जिसकी सरकार पहले इस प्रदेश में थी।

श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)—

श्रीमन्, ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य लिखित वक्तव्य पढ़ रहे हैं ?

श्री मदन मोहन मिश्रा—

नहीं, श्री श्रीमन्, केवल मैंने प्वाइन्ट्स नोट किए हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

यह लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। कहीं से लिखा लाये हैं, इन्हें अध्यक्ष महोदय रोकिये।

(व्यवधान)

---

†१७ मार्च, १९७० की कार्यवाही से।

श्री मदन मोहन मिश्रा---

इस तरह से सरकार के रोजमर्रा के खर्चे कैसे चलेंगे क्योंकि आपने तो आय के सभी श्रोत बन्द कर दिये जाने की बात कही है।

(व्यवधान)

इस तरह से तो प्रदेश तरक्की के बजाय तनज्जुली करेगा। इसलिये मैं समझता हूं कि कि आप को ऐसी बातें करनी चाहिये जिससे कि आपकी आय (आमदनी) बढ़े।

अब मैं आप का ध्यान सिंचाई विभाग की ओर ले जाना चाहता हूं। १९६६ में सिंचाई के निर्माण कार्यों पर २१३ करोड़ रुपये खर्च हुये जिसमें ६३ प्रोजेक्ट्स सम्पन्न हुये और जब २८ की जांच की गयी तो आडिटर जनरल की रिपोर्ट के अनुसार केवल ९ प्रोजेक्ट्स ही प्रोडक्टिव निकले, शेष १९ अनप्रोडक्टिव निकले। तो इस तरह से ३५ प्रोजेक्ट्स तो ऐसे निकले कि जिन पर सारा रुपया वेस्ट गया। इन पर ३ करोड़ ३७ लाख रुपयों की इसी वर्ष हानि हुई है। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है? कौन इसके लिये जिम्मेदार है?

(व्यवधान)

क्या इसकी जिम्मेदारी अविश्वास का प्रस्ताव लाने वाले नेता विरोधी दल की नहीं है जो २० साल तक इस सरकार में शामिल थे?

रोडवेज विभाग की करीब ९०० गाड़ियां कानपुर और बख्शी के तालाब में रिपेयर के लिये पड़ी हुई है जिन को आज तक खोला तक नहीं गया है, वैसी ही पड़ी हुई हैं। जिस रोडवेज से २- ३ करोड़ रुपया हर साल की आय होती है। उसका मुनाफा घटकर शून्य हो गया है। यह जिम्मेदारी किसकी है?

(व्यवधान)

(कई आवाजें)

(लिखा हुआ वक्तव्य पढ़ रहे हैं।)

मेरे पास प्वाइन्ट्स नोट हैं, उन्हें ही देख रहा हूं। मैं कह रहा था कि इस तरह से जनता के धन के साथ खिलवाड़ कब तक किया जायेगा? जिन लोगों ने जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ किया है, जिनके कारण सरकार को हानि हुई है, उनका इम्पीचमेंट होना चाहिये और जिस तरह से बिहार में मंत्रियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही हो रही है उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में भी मंत्रियों के कार्यकलापों की जांच होनी चाहिये।

(व्यवधान)

प्रदेश के पिछड़ेपन और उसकी बर्बादी के लिये जो भी मंत्री जिम्मेदार हों उनके खिलाफ जांच होनी चाहिये और उचित कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप का समय समाप्त।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

माननीय मिश्र जी जिस दल में बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि वे इसके लिये जांच आयोग बिठावें ताकि बिहार की तरह यहां पर भी मंत्रियों के खिलाफ जांच हो सके।

श्री मदन मोहन मिश्रा---

मैं इस मांग के लिये पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कहता हूं कि चौधरी साहब एक जांच आयोग नियुक्त करें और जिस तरह से बिहार में मंत्रियों के खिलाफ शिकायतों की जांच हो रही है उसी तरह यहां भी हो। यह पता लगाया जाना चाहिये कि प्रदेश की ९ करोड़ जनता को बर्बाद करने वाले कौन लोग हैं? उनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो। इन शब्दों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष---

कृपया बैठें, आप का समय समाप्त हो गया है।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

मान्यवर, मैं अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह विषय अवश्य विचारणीय है कि इस सरकार को काम करते हुए लगभग एक मास हुए केवल और उस एक मास में उसने विधान परिषद् में मात खाई। जो दो पहिए सरकार के हैं---विधान सभा और विधान परिषद्, उनमें से एक पहिया उलट गया। तो क्या कारण है कि एक मास के भीतर एक बार परिषद् में हार खाई और दूसरे विधान सभा में अविश्वास प्रस्ताव को लाने की आवश्यकता पड़ी? यह सोचने की बात है और आप को समझना चाहिए कि यह अवश्य ही कोई गम्भीर बात होगी। प्रदेश में आप किसी तरफ जाएं, जनता के मुंह से एक आवाज निकलती सुनाई पड़ती है कि सरकार को गिरना चाहिए। इस सरकार में कोई विश्वास रखने को तैयार नहीं है। इस सरकार में किसी का विश्वास नहीं रह गया इस सरकार को अब अधिक सहने के लिए जनता उद्यत् नहीं है। केवल ३० दिन में ही अविश्वास प्रस्ताव आया। जन मानस के हृदय से उठ कर यह आवाज आई है और उसी कारण से एक ही महीने में हमें अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है।

अब एक एक करके प्वाइन्ट मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि उधर के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए और इस तरफ से आवाज उठायी जाती है कि उधर के लोगों के लिए, उनके कामों की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमीशन कायम किया जाना चाहिए। दोनों एक दूसरे को दोषी बताते हैं और ये दोनों ही सरकार में रहे हैं, मैं निष्पक्ष हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों के लिए ही कमीशन बैठना चाहिए और खास कर उनकी तरफ अवश्य पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनके लिए एक मास में ही इंक्वायरी कमीशन बिठालने की जरूरत पड़ गई है। तो मान्यवर, यह कहना चाहता हूं, पहली बात तो यह है कि सरकार का गठन कैसे हुआ? वह पेड़ ही कैसा जिसका मूल ही गलत। श्रीमन्, इस सरकार के गठन में संविधान और जनतन्त्रीय परम्पराओं की हत्या हुई है। मैं आप से पूछता हूं कि गुप्ता जी की सरकार थी जो बहुमत में थी, जिनका बहुमत कभी चैलेंज नहीं हुआ था। उन्होंने एक स्थिति में यह गवर्नर को सुझाव दिया कि वह बदली दशा में चौधरी गिरधारी लाल को सरकार गठन करने के लिये बुलाएं। लेकिन गवर्नर महोदय ने ऐसा न करके बिना किसी निश्चित आधार के चरणसिंह को सरकार गठन करने के लिए बुलाया। उन्होंने उनके बहुमत की कोई जांच नहीं की और एक अल्पमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बना दी। इसमें उन्होंने कौन सा नियम पालन किया? कौन सी नीति अपनाई? सब जनतन्त्रीय परम्पराओं के विरोध में काम किया है। उनके इस निर्णय से स्टेट का जो हेड है, राज्यपाल, उसकी गरिमा धुमिल पड़ गई है। उन्होंने संविधान की धारा १६३ व १५९ के अन्तर्गत जो शपथ ली थी उसका उल्लंघन किया है। उन्होंने अपनी स्वतंत्र बुद्धि का प्रयोग नहीं किया है। उन्होंने यह कार्य उसकी मंत्रणा से किया है जिसका

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

केवल एक ध्येय है कि प्रदेशों की उन सरकारों को कैसे गिराया जाए जो उसकी पार्टी की नहीं हैं। उन्होंने उनसे प्रेरणा लेकर दांव-पेंच करके इस सरकार का गठन कराया है।

श्री अध्यक्ष—

आप बहुत विस्तार में न जाएं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उन्होंने ऐसा करके दलबदलुओं को लेकर अपने अल्पमत की सरकार को बहुमत में लाने का दरवाजा खोल दिया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान और लोकतन्त्र—दोनों की हत्यायें हुई हैं और इसीलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया है।

दूसरी बात यह है कि राजनीति अनैतिकता की चरम सीमा पर पहुंचा है। मैं कहता हूं कि चौधरी साहब की जब दूसरे गुट से बात हो चुकी थी, शर्तें हमारी तय हो चुकी थीं तो वह किस तरह से उक्त व्यक्ति के अवसरवादी जाल में फंस गये जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपनी करप्ट प्रेक्टिसेज के लिए गम्भीर रूप से दोषी ठहराया जा चुका है। यह बड़े शर्म की बात है कि वह श्री डी० पी० मिश्रा के राजनैतिक जाल में फंस जाते हैं। यह उनके लिये राजनीतिक अनैतिकता की पराकाष्ठा है। वह इनको मंत्रिपद के लिए जाल में फंसा लेते हैं। ऐसा करते समय उनके सारे सिद्धान्त, सारे आदर्श पीछे रह गये। ऐसा करके चौधरी साहब का जो घोर पतन हुआ है उसके लिये यह प्रजातंत्र उनको कभी क्षमा नहीं कर सकता। आज दुनिया इस बात को देखती है कि क्या इसी तरह से राजनीति चलेगी? क्या इसी तरह हमारी सरकार गठित हुआ करेंगी।

तीसरी बात यह है कि यह सरकार स्थिर नहीं रह सकती। इसका कारण यह है कि दो दलों में मेल किसी सिद्धान्त, विश्वास या कार्यक्रम के आधार पर ही हुआ करता है। किन्तु यह गठबन्धन इंडीकेट व बी० के० डी० का सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन व विचारहीन है। इसमें केवल दो अवसरवादी ही मिल बैठे हैं। अध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं—

"वायस पालिय अति अनुरागा,
होय निरामिष कबहूं कि कागा।"

जिसकी आदत ही टौपलिंग की पड़ गई हो वह इसके सिवा कर ही क्या सकता है। इंडीकेटी सरकार स्वतंत्र पार्टी को गुजरात में मदद देती है और मध्य प्रदेश में स्वतन्त्र पार्टी को टौपेल करने की बात करती है। तो एक जगह स्वतन्त्र पार्टी को मदद देना और दूसरी जगह स्वतंत्र पार्टी को गिराना—यह इस प्रकार की पौलिसी है···

श्री अध्यक्ष—

मध्य प्रदेश आपने कह दिया।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

गुजरात और उड़ीसा। उड़ीसा में स्वतन्त्र दल को गिराने की बात है, और गुजरात में उन्हीं का प्रतिष्ठापन करना चाहते हैं। नेशनलाइजेशन की बात करते हैं लेकिन नेशनलाइजेशन का घोर विरोधी स्वतंत्र दल उसी को पदासीन करना चाहते हैं। कोई उसूल नहीं। उसूल टापलिंग का है। आप के ऐक्ट का पहला प्रकरण, दूसरा प्रकरण हो गया और अन्तिम प्रकरण सब समाप्त होगा जब यह सरकार गिर जायगी। इसलिये इस सरकार में अस्थिरता नहीं है। आपने दल सिद्धान्त में निष्ठा समाप्त कर दी आपने प्रजातंत्र में दल बदलुओं की कीमत लगायी, दल बदलओं को प्रोत्साहन मिला। इस सरकार के शरीर का कोई रेशा मजबूत नहीं है, सभी रेशे ढीले हैं।

तीसरी बात मैं यह कह रहा था। आप कहते हैं कि यह सरकार गरीबों की है, किसानों की है, आपके सामने सवा छः एकड़ का प्रश्न आया। आपने कहा कि मालगुजारी नहीं माफ करेंगे। आपने एक सिद्धान्त को स्वीकार किया। उसके बाद सवा तीन एकड़ पर आ गये। जहां सवा छः तक के किसानों को राहत देने की बात थी, आप साढ़े तेरह एकड़ तक आ गये लेकिन सवा छः एकड़ को पसन्द नहीं किया। जब चौधरी चरण सिंह जमींदारी अबालिशन कमेटी के चेयरमैन थे तो उन्होंने कहा कि अलाभकर जोत सवा छः एकड़ है। कौन-सा आज कारण था जो उसको नहीं माना। आपने छोटे गरीब किसानों की बात नहीं मानी। इसलिए वह भी नाराज हैं। उनका भी विश्वास इस सरकार ने खो दिया है। आपने साढ़े तेरह एकड़ तक राहत देने की बात सोची। ३१ अक्तूबर को चौधरी साहब ने कहा था कि उस सरकार ने जो नहर सिंचाई में २५ प्रतिशत और नलकूप में ५० प्रतिशत जो गुप्ता जी की सरकार ने बढ़ाया था, तो मैंने भी मांग की थी, और आप ने क्या कहा था, और जब सरकार में आ गये तो चुप हैं, कुछ नहीं कहते। आप गरीबों का हित नहीं चाहते। इन दोनों बातों को जानकर, सारे किसान बौखला उठे हैं। इस सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं। यह सरकार रहने के काबिल नहीं है।

सीलिंग के बारे में केवल इतना कहूंगा कि आप अपनी नीति निश्चित कर दें, जनता जान जाय कि आपकी नीति क्या है। आपने इसको स्पष्ट नहीं किया। चौधरी साहब ने कहा कि २४ फरवरी को यह कानून लागू हो जायगा। लेकिन दूसरे मिनिस्टर से कहला दिया कि २४ फरवरी से लागू नहीं होगा। अभी एक टेलिग्राम आया है जिसमें कहा है कि आदेश हुआ कि २४ फरवरी के बाद रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज मत लो। यह क्या हो रहा है? आप की निश्चित नीति आज तक घोषित नहीं हो पायी। आप अंडर प्रेशर काम करते हैं, यह बहुत गलत है। आपने सच कह दिया। आप यों कहते कि हम कोआपरेशन से चलते हैं, यह नहीं कहा। उन्होंने कहा विधान परिषद् में कि जो सही चीज है उसके यह बिलकुल विपरीत है, जो पालिसी बनायी गयी खामोश हैं, पालिटिकल पार्टी के प्रेशर में आ कर। आज उनके दिल में मरोड़ है, कि जो वह चाहते हैं कर नहीं पाते। मिनिस्ट्री एक दल की है और बहुमत दूसरे बड़े दल का है। उनकी कोई निश्चित नीति नहीं है इसलिये गरीबों की हमदर्दी उस कारण भी नहीं हो सकती। इसीलिये मैं कहता हूं कि आपके दिल में किसानों की हमदर्दी नहीं है। इसके दो कारण मैंने पहले बता दिये हैं कि गरीब किसानों के लिये सीलिंग के बारे में और ६। एकड़ के बारे में आप की कोई भी नीति निश्चित नहीं है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पूर्वी प्रदेश के लिये आपने क्या किया। हमारा पूर्वी इलाका असन्तुलित है और असन्तुलित शरीर की तरह से है। उसके लिये आपने कुछ भी नहीं किया है। पिछली सरकार ने उसके लिये एक कमीशन बैठाया था लेकिन आप कुछ भी उसके लिये करने नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि समाज में आप के प्रति अविश्वास की भावना व्याप्त होती चली जा रही है। समाज का कोई भी अंग आप पर विश्वास करने के लिये तैयार नहीं है।

चौथी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान का विश्वास आप खो बैठे हैं लेकिन एक गरीब तबका मजदूरों का बचता था जो किसी तरह से अपना पेट पालता था उसका विश्वास भी आप के ऊपर से उठ गया है। मान्यवर, मेरी सूचना यह है कि यहां पर लखनऊ में एक समारोह हुआ जिसमें मुख्य मन्त्री जी गये और दूसरे मन्त्री भी गये थे। वह समारोह ऐसे लोगों का था जिसमें सेठ साहूकार सब सम्मिलित थे। पता नहीं लेकिन समाज में इस प्रकार की चर्चा है कि सेठ साहूकार से सांठ गांठ करने के लिये वहां ये गये थे। वहां पर गल्ले वाले सब लोग थे और उन सबने मिल कर मुख्य मन्त्री जी को मान-पत्र दिया। मुझे पता नहीं है लेकिन उसके बाद ही यहां बाजार में कीमत बढ़ती चली गई।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

गुप्ता सरकार को बदनाम आप करते थे लेकिन आपने क्या किया। आपके आते ही भी तो कीमतें बढ़ती चली गयीं। उसकी रोकथाम के लिये आपने क्या किया। आज समाज में लोग आप को क्या कहते हैं जरा रिक्शा, तांगा वालों से बात कीजिये तो पता चल जायगा कि किस तरह से वह अपना दुख बताते हैं। इसलिये गरीब समाज का आप के ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। और गरीब मजदूर इस महंगाई के कारण इस तरह से परेशान है कि उसकी आज सुनने वाला कोई नहीं है। आज उनका हृदय आन्दोलित हो रहा है। इस कारण आप के ऊपर अब उनका विश्वास नहीं रह गया है, बाजार की क्या हालत है? बाजार से डालडा गायब हो गया। चीनी, गेहूं आज मुहर्रम और होली के अवसर पर लोगों को उपलब्ध नहीं हो रहा है। गरीब जनता क्या करे और किसके पास जाय। किसी सामान के लिये आप प्रबन्ध करने के लिये तैयार नहीं है जिससे समाज का संकट दूर हो सके। इसी कारण लोग यह समझ रह हैं कि आपकी उन लोगों के साथ कोई सांठ-गांठ हो गयी है।

इसी के साथ में यह भी निवेदन करूं कि आपने शुगर इन्डस्ट्री को नेशनलाइज करने की बात की। मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं और इसकी पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन जो इधर बैठने वालों का या उधर बैठने वालों का पोलिटिकल स्टन्ट था आज वह सबको मालूम हो गया है। शुगर मिलों को नेशनलाइज करने के लिये आपने एक कमेटी बिठाई है जिसमें एक्सपर्ट्स रखे गये हैं। वे एक्सपर्ट्स कौन है। वे बड़े-बड़े माहिर लोग हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता हूं लेकिन ऐसा मालूम होता है कि जिन्दगी भर उन्होंने मशीन और मिलों में काम किया है ऐसे माहिर समझकर उनको उसमें रखा गया है। इन लोगों को एक्सपर्ट समझा गया है और उस कमेटी में रखा गया है। इसके पीछे प्ले बैक सिंगर कोई और हैं। वह मि० कौल है जो दिल्ली से आते हैं और उनके इशारे पर काम होता है। मिलों की कितनी कीमत लगनी चाहिये, कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है इस तरह की बातों में दूसरे की राय लेकर अगर कोई काम किया जाता है तो क्या यह पोलिटिकल इन्टरेस्ट नहीं हैं? इस तरह से दूसरे की राय को लेकर किसी निर्णय पर पहुंचे। आपने ७१ मिलों में से १९ को अपने हाथ में लिया और बाद को ४ मिलों को छोड़ दिया। पता नहीं किस कारण से आपने उन चारों को छोड़ दिया। समाज में चर्चा है कि कोई सांठ-सांठ करके उनको छोड़ दिया है शायद मिड टर्म पोल की बात सोची जा रही है जिसके लिये रुपये पैसे की जरूरत पड़गी तो इसी वजह से यह सब इन्तजाम किया जा रहा है। अगर आप मिलों को लेने की बात करते हैं तो इन ४ को छोड़ने की क्या जरूरत थी? आप जैसा कहते हैं वैसे ही आपको बोल्ड होना चाहिये। आपने जब एक सिद्धान्त स्वीकार किया है तो उस पर चलना चाहिये और इस तरह से इन चार मिलों को भी छोड़ने के लिये तैयार नहीं होते। आज इसी कारण से लोग शक करते हैं कि आप सांठ-गांठ कर रहे हैं और रुपये पैसे का इन्तजाम कर रहे हैं वरना इस तरह से इन तीन आदमियों को उसमें रखने की क्या जरूरत थी जिनको सलाह देने वाला कोई बाहर से सलाह देने के लिये आवे। क्या इस प्रकार गन्ने के किसानों से आपकी हमदर्दी कार्य रूप में परिणत हो सकेगी? सीधी बात है जो गन्ना खड़ा है उस सबके लिये आप जिम्मेदारी ले लीजिए और मिल मालिकों से मिल कर उसकी उचित कीमत आप दिलायेंगे। नेशनलाइज आप करेंगे तो ज्यादा कीमत दीजिए। जो भी कानूनी विधि हो उससे आप अपनाइए। लेकिन यहां तो सेंटर, सुप्रीम कोर्ट तथा दफ्तरी की अलग-अलग राय है। इसमें नेकनीयती की नहीं बदनीयती की बू आ रही है। आप अपनी नीति को स्पष्ट कीजिए। दुनिया को गुमराह मत करिए। इन्डस्ट्रियल सेक्टर आज आप में विश्वास खो बैठा है।

करप्शन की बात जहां तक है मैं चौधरी साहब की जरूर तारीफ करूंगा। उनकी नीयत अवश्य यह है कि करप्शन दूर हो जाय और जो करप्ट हैं उनको वह सजा देने का भी प्रयास करते हैं। लेकिन उनका तरीका गलत है क्योंकि ट्रांसफर करने से, सस्पेंड करने से सारे पहलू ठीक नहीं हो जाते और भी काम है जिनको उन्हें करना चाहिये। उन्होंने ही कहा है--

"If the people at the top set an examp'e by their incorruptibility in the widest se se of the term, it would have a concrete effect on the lower level."

मैं इसे मानता हूं लेकिन मैं स्पष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जो पब्लिक इंक्वायरी बिल बनाया था एस० बी० डी० की सरकार में कौन से कारण हैं आज कि आपने उसे बिदड़ा कर लिया। इस सरकार की दाढ़ी में तिनका है। बहुत से लोगों को ऐसे आपको मिनिस्ट्री में लेना है जिनका रिकार्ड खराब है, उनके खिलाफ आपको इन्क्वायरी करनी पड़ेगी ? या फिर आपके लोग खराब हैं ? जो इतना मासूम बिल है जिसकी तारीफ समाज में चारों तरफ की गई आज आप उसे वापस ले लें उसका क्या कारण हो सकता है ? प्रेस बन्धुओं ने पूछा तो उत्तर मिला कि इंक्वायरी कमीशन ऐक्ट आलरेडी है उसके तहत इन्क्वायरी हो सकती है। अगर दोनों में अन्तर नहीं था तो आपने उस बिल को क्यों बनाया था। आप उसमें ऐसे आदमी रखते जो इस सरकार के प्रभाव में नहीं आते। जनता वाह-वाह करती और कहती कि चीफ मिनिस्टर भी इसके तले आ सकता है, हर आदमी इके नीचे आ सकता है लेकिन अब आपने खुली छूट दे दी। आपने विश्वास खो दिया और लोग यही कहेंगे कि इनकी पालिसी में कोई चेंज नहीं है।

अब जरा एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स पर आइए। आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० आफिसर्स की तरक्की सीनियारिटी बेसिस पर होती है, गुड वर्क अथवा बैड वर्क का उसमें कोई सवाल नहीं। आपने पिछले सेटअप में कोई बदलाव नहीं किया। आवश्यकता यह थी कि करप्शन जिस कारण से होता है, जो अधिकारी करप्शन करता है उसके लूप होल्स को आप प्लक करते। उसकी मर्जी है लाइसेंस दे या न दे यह मर्जी न रहे। लाइसेंस वालों को मालुम रहता है कि इतना रुपया जमा कर दिया जाय तो उनको लाइसेंस मिल जायगा। आपने इन परिस्थितियों का कोई ख्याल नहीं किया। करप्शन कैसे दूर होगा यह आप ही बतलाइए ?

बड़े महत्व का एक प्रश्न है ला एन्ड आर्डर सिचुएशन। अखबार से मैंने यह खबरें उतारी है जो जुर्म के संबंध में है और बहुत से तो छूट गये होंगे जो अखबारों में नहीं निकल पाते। बरेली में स्टेशन लूट लिया गया, मथुरा में डकैती पड़ी थी और ३ आदमी जिन्दा जला दिये गये। एटा की सूचना मिली है कि एक डकैती पड़ी जिसमें एक पुलिस कांस्टेबिल शामिल था। मैनपुरी में ट्रेन डकैती हुई। यह नजीर के रूप में मैंने सदन के समक्ष रखी हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जितने माननीय सदस्य उधर बैठ हुए हैं वे निश्चित रूप से यह कहते हैं कि आज जीवन सुरक्षित नहीं है। आज रूल आफ ला आपका कहां रह गया है ? मेरा मत इंदिरा जी की तरह से गवर्नमेंट को गिराने वाला नहीं है। आपने स्वच्छ प्रशासन का वायदा दिया था लेकिन आपका वह वायदा आज कहां चला गया ? आपने गुप्ता गवर्नमेंट को तो गिरा दिया लेकिन आपने वायदे को भुला दिया। आज आपका कैसा यह स्वच्छ प्रशासन है।

मुझे सूचना मिली है कि कितने ही केसेज ऐसे हैं जो अदालत से वापस लिये जा रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत आक्षेप करने का प्रश्न कतई नहीं है। आप चाहते हैं कि रूल आफ ला के अन्दर मुख्य मंत्री और नीचे का एक सिपाही एक स्थान ग्रहण करें। क्या आपने ऐसी स्थिति अपने यहां पैदा की है। आज ८/१० केसेज अदालत से वापस लिये जा रहे हैं। उनकी छानबीन हो रही है। अगर आपको ही अदालतों में विश्वास नहीं है तो हमको फिर कैसे हो सकता है। आपने आई० जी० का ट्रांसफर कर दिया इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन का ट्रांसफर कर दिया। इससे काम चलने वाला नहीं है। मुझे किसी से पक्षपात नहीं है। लेकिन यदि आप किसी का ट्रांसफर करते हैं तो उसके स्थान पर ईमानदार निष्कलंक और चरित्रवान आदमी आना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि हमारा विश्वास कैसे रहेगा। हम भी क्या आपके दल में शामिल हो जाय। हमारे भी मुकदमे वापस ले लिये जायेंगे। आखिर कौन-सा वह समय आयेगा जब हम कह सकें कि हमारे यहां रूल आफ ला है। हमारे यहां धर्मराज्य है।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

२-३ बातें कह कर मैं अपने भाषण को समाप्त कर दूंगा। आपने किस को खुश किया है। आपने केवल दल बदलुओं को ही खुश किया है। उन्होंने डेमोक्रेसी की जड़ खोद दी है। उनके पास कांशियस नहीं है। आज जागने की जरूरत है। मैं कहता हूं कि आज वह परिस्थिति उत्पन्न हो गई है कि समाज बराबर गिरता चला जा रहा है। मुझे १०/१५ दिन की टैक्स देने में देर हो गई। इस पर मुझ से कहा गया कि आपने इतनी देर कर दी है इसलिये इतना ज्यादा देना होगा। मैंने कहा कि माननीय जगजीवन राम जी की हमारे सामने मिसाल मौजूद है। उन्होंने १५ साल से एक पैसा नहीं दिया। क्या यह कानून गरीबों के लिये है माननीय जगजीवन राम जी के लिये नहीं है। यह कह कर मैं चुप हो गया। मैं आपकी बातें यदि कोर्ट के सामने रखूं तो आप क्या समझेंगे।

मान्यवर, पिछली सरकार ने अध्यापकों के बारे में निर्णय लिया था कि उनको तनख्वाह देने का दायित्व हमारा है। इसके संबंध में एक नोटीफिकेशन भी निकला था। लेकिन एक जरा सी गलती हो गई थी। इस सरकार ने आते ही उसको बदल दिया। अगर पिछली सरकार की यह बात सही है तो इसको कर दिया जाय। इससे शिक्षक वर्ग जो आपसे नाराज है वह भी खुश हो जायेगा। हमने दसवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की फीस माफी का वायदा किया था। हमारे कांस्टीट्यूशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस सरकार ने कुछ नहीं कहा। मैं समझता था कि यह सरकार कोई गतिशील कदम उठाएगी लेकिन इसने पीछे चलने वाला कदम उठाया है। इसको देखकर मुझे एक बात याद आती है। एक विद्यार्थी देर से आया। मास्टर साहब के पूछने पर उसने कहा कि साहब इसलिये देर हो गई कि एक कदम में आगे चलता था दो कदम पीछे चला जाता था। इस पर उन्होंने कहा कि फिर तुम स्कूल कैसे आए तो उसने कहा कि साहब हमने अपना मुंह घर की तरफ कर लिया था। इस तरह से पीछे चलते हुए विद्यार्थी की तरह आज आप भी जनता का विश्वास खो बैठे हैं

(इस समय १ बजकर ५ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

मान्यवर, मैं एक बात और कह कर समाप्त करता हूं। अभी किसी माननीय सदस्य ने कल या किसी दिन भारतीयकरण की बात कही। इस सिलसिले में उसका कोई जिक्र करना अप्रासंगिक है। लेकिन क्योंकि बात कही गई है इसलिए थोड़ी सी बात उसके संबंध में कहना चाहता हूं। आज के हमारे समाज में राष्ट्रीयता का अभाव दिखाई पड़ता है। भारतीयकरण के माने हैं स्वदेशीकरण, एक ऐसा समाज जो भारतीय विचारों से ओतप्रोत हो, भारतीय राष्ट्रीय विचारधारा को जो अंगीकार करे, जिसमें माओ आदि को अपना नेता न मानकर भारतीय महापुरुषों को अपना पूर्वज समझे। कोई इंगलैंड में डाक्टरी करता है, वह उस विचार को छोड़ कर भारत में ही नौकरी करे, यहीं आकर अपनी रोटी रोजी कमाए, इसी के लिये मरे और जीये। संक्षेप में भारतीयकरण का यही अर्थ है। लेकिन आज तो टौपलिंग वाली मनोवृत्ति के अनुसार कह देते हैं कि इसके माने हैं मुसलमान अपना धर्म छोड़ दें, मुसलमान हिन्दू बन जायं। यह कहने में लोगों को जरा भी लज्जा नहीं आती। इससे और बड़ी कोई राजनैतिक निर्लज्जता नहीं हो सकती जो यह कहते हैं कि भारतीयकरण के माने होते हैं मुसलमानों को हिन्दू बनाने की प्रवृत्ति। इस राजनैतिक लज्जा में अपनी व्यक्तिगत लज्जा को भी वे खो बैठते हैं।

इस प्रकार से हमने देख लिया कि यह सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है। अगर गरीबों की हितैषी होती तो प्रोफेशन टैक्स को छोड़ देती। लेकिन पहली सरकार द्वारा की गई घोषणा से वह मुकर गई। विधान परिषद् में इस सरकार की हार हो गई, डेमोक्रेसी की चूल को इस सरकार ने हिला दिया है। दल बदलुओं को इस सरकार ने प्रोत्साहन दिया है। दल-बदलुओं के बारे में चीफ जस्टिस हिदायतउल्ला ने अपने एक भाषण में कहा और नवयुवकों से अपील की कि इन दलबदलुओं को निकाल कर बाहर कर दो क्योंकि इन लोगों की किसी उद्देश्य

के प्रति कोई निष्ठा नहीं है। इनको हटाओ नहीं तो डेमोक्रेसी को खतरा पैदा हो जायगा। उनको निकाल कर एडमिनिस्ट्रेशन को क्लीन करो और इस प्रकार से जनतंत्र को बचाओ। उत्तर प्रदेश और हरियाणा की मिसाल उनके सामने थी।

इस सरकार से सभी नाराज हैं, क्या गरीब किसान, क्या मजदूर, क्या अध्यापक, सभी नाराज है। इन्टेलीजेन्शिया तो आपसे बहुत ही नाराज है। सारे समाज में आपके प्रति जो रोष की भावना है उसका यह प्रतीक अविश्वास का प्रस्ताव है। मैं जानता हूं कि चरण सिंह साहब यहां रहेंगे तो कहीं अच्छा काम करेंगे। इसलिये उस अनमेल और अपवित्र गठबन्धन को छोड़ कर वे उधर से इधर आ जायं और हमारे इस पवित्र कार्य में सम्मिलित हों और हमारे साथ ही इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करें।

*श्रीमती शान्ति देवी (जिला बदायूं)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे नेता विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। पहली बात तो यह कि त्रिपाठी जी ने चौधरी साहब पर आक्षेप किया कि चौधरी साहब तो बड़े अच्छे आदमी थे लेकिन पद की खातिर वे इधर से उधर चले गये। आपने भी तो चौधरी साहब को चीफ मिनिस्ट्री दे रखी थी। फिर इधर आने से उनको और क्या ज्यादा लालच मिला। इसमें किसी की दो राएं नहीं हो सकतीं कि उनको दोनों ही चीफ मिनिस्ट्री दे रहे थे। इसलिये यह कहना कि चीफ मिनिस्ट्री के कारण वे उधर से इधर आ गए, बिलकुल गलत बात है।

श्री लक्ष्मीनारायण आचार्य (जिला मथुरा)—

लेकिन वह अनकंडीशनल नहीं रहा।

श्रीमती शान्ति देवी—

माननीय आचार्य जी भी ऐसी बात कहते हैं, कुर्सी निकलने के बाद। सवा छः एकड़ वाली बात गुप्ता जी ने पहले क्यों नहीं कही।

आप कहते हैं कि चौधरी साहब ने ६ १/४ एकड़ तक लगान माफ करने के लिये प्रस्ताव किया था तो उसको गुप्ताजी ने क्यों नहीं मान लिया। उन्होंने तो इसको जब कुर्सी खिसकती नजर आई तो उसको बचाने के लिये मानी है। पहले अगर उन्होंने मान लिया होता तो उनका मान बढ़ता और मर्यादा बनी रहती है किसानों के वह हमदर्द हैं। आप कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के लिये जनता में भावना अच्छी नहीं है, मैं कहती हूं कि यह झूठ है। उनकी प्रशंसा पब्लिक में है और इलेक्शन में यह बतला दिया जायगा कि वह कैसे चुनाव जीत कर आते हैं और आप कैसे चुनाव जीतकर आते हैं। हमेशा आप कहते हैं कि वह दुबारा इलेक्शन करवा देंगे। अगर आप मजबूत हैं तो इससे डरते काहे को हैं, नहीं डरना चाहिये। मैं कहती हूं कि अगर चौधरी साहब से पब्लिक का विश्वास उठ गया है तो उनके आदमी तो चुनाव में जीतकर आयेंगे नहीं, फिर डरने की क्या बात है। जहां तक ६/१।४ एकड़ तक लगान माफ करने की बात है, मैं यह नहीं मानती कि उसके माफ करने से किसान मालदार हो जावेगा। ६ १/४ एकड़ की लगान माफी से १२ रुपये प्रति परिवार यानी १ रुपया महीना का किसान को लाभ पहुंचता है। तो इसकी जगह यदि उसको खाद, पानी, सिंचाई के साधन आदि की सुविधाएं दी जायं तो उसको कहीं अधिक लाभ मिल सकता है।

दूसरी बात आपने कही कि चौधरी साहब ने गन्ने के दाम क्यों नहीं बढ़वाए हैं। गन्ने के दाम बढ़ने के समय तो आप लोग सरकार में थे तो चौधरी साहब एक महीने में सभी काम कैसे कर सकते थे। यह काम तो गुप्ता जी को कराना चाहिये था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। यह भी कहना गलत है कि जब चौधरी साहब २० साल मिनिस्ट्री में रहे तब नहीं किया। पूर्व

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्रीमती शान्ति देवी]

वाले कहते हैं कि ट्यूबवैल पूर्व में नहीं लगे हैं, पश्चिम में लगे हैं, तो गुप्ता जी ने पूर्व में क्यों नहीं लगवाये। कुछ रोडवेज के बारे में भी कहा गया है। मैं कहना चाहती हूं कि चौधरी साहब ने तीन-तीन मेम्बर एक की जगह कभी नहीं रखाये हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि इस मीटिंग में दो-दो लाख रुपया लोगों ने पैदा किया है। मैं इसके प्रमाण दे सकती हूं।

श्री बन्शीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

इसकी जांच करवा दी जाय।

श्रीमती शान्ति देवी—

जिन आदमियों की परमिट खत्म हो गई तो वह सूद तो देंगे ही। एक मेंबर की जगह एक मेम्बर हमेशा ही बना रहता था। एक की जगह पर उन्होंने तीन-तीन मेम्बर बनाये जिससे उनका बहुमत बना रहता था और इसीलिये भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं बदायूं जिले की बात जानती हूं। ऐसे-ऐसे गरीब मास्टरों ने ३०० या ४०० रु० दिये। पुराने मास्टरों से १२० रु० लिया गया और कोई रास्ता उनको नहीं मिला। जो मास्टर १०० रु० वेतन पाने वाला है और उससे ४०० रु० पहले ही ले लिया जाय तो वह अपने बच्चों को क्या खिलायेगा। यह भ्रष्टाचार नहीं था तो और क्या था ? भ्रष्टाचार तो चौधरी साहब के इधर आ जाने के कारण हो गया ? आपने २० सालों में इस भ्रष्टाचार को कम किया था और अब चौधरी साहब के इधर आ जाने से भ्रष्टाचार आ गया ? चौधरी साहब भ्रष्टाचार के कभी पक्षपाती नहीं थे और इसी कारण मतभेद होने से चौधरी साहब को इस्तीफा देना पड़ा। उनकी सच्ची और न्यायोचित बात नहीं मानी इसलिये उन्होंनें इस्तीफा दिया। ऐसी स्थिति में कोई भी इस्तीफा देने के लिये तैयार नहीं होगा लेकिन चौधरी साहब ने सच्चाई के कारण इस्तीफा दिया और इससे उनका मान सवाया और ड्योढ़ा बढ़ गया। चौधरी साहब ने उनकी बात नहीं मानी और विपक्ष में बैठ गये क्योंकि वह सच्चाई पर कायम थे। गुप्ता जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिये सवा ६ एकड़ का लगान माफ करने की घोषणा कर दी। चौधरी साहब पर जो आक्षेप लगाया जा रहा है एक महीनें में कोई आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता है कि २० वर्ष की खराबी एक महीने में ही ठीक हो जाय। यह संभव नहीं है। जो ठीक बातें हैं उन पर विचार किया जायगा कि हमारी जनता को किस प्रकार से राहत मिल सकती है और उसके अनुसार काम भी किया जायगा।

आज घी नहीं मिल रहा है बड़े-बड़े पूंजीपतियों के कारण यह हुआ। छापे मारे जायेंगे और इसमें सुधार भी होगा। चौधरी साहब के जमाने में चीजों की कमी करवा दो। इसका भी प्रबन्ध होगा। हम लोग घी खाने वाले नहीं हैं हम तो तेल खाते हैं। त्रिपाठी जी तो गुप्ता जी के आदमी हैं जो घी खाते हैं। हम लोग तो किसान आदमी हैं। हमको खुशी होगी अगर काश्तकार को १०० रु० की जगह पर १०५ रु० मिले। हुआ क्या कि फसल के समय में काश्तकार से ६०, ६० रु० में क्विन्टल के भाव से गल्ला लिया गया और उसको दबाकर १४० में बेचा गया और सारा लाभ बड़े लोगों ने अपने पास रख लिया। हम यह कभी नहीं करेंगे।

अब रहा गन्ने का सवाल। गन्ने के लिये तो आप पहले से ही सब कुछ कर चुके हैं और इस बारे में जो कुछ नियम थे उनको तो आप पहले ही बना चुके हैं। काश्तकार को उसकी पैदावार का कैसे लाभ मिल सकता है। काश्तकार की फसल पर रेट फिक्स होने चाहिये कि इस भाव पर वह गल्ला बेचेगा। इतना काश्तकार को मिलेगा। काश्तकार के रेट फिक्स न होने के कारण ही उसका अहित हुआ है। सवा ६ एकड़ लगान में १२ रु० का फर्क पड़ता है। एक रुपये में मैं समझती हूं कि काश्तकार कोई बड़ा मालदार आदमी हो जायगा, ऐसी बात नहीं है। इसके स्थान पर उसको हर प्रकार की जो सुविधा मिलेगी वह उससे कहीं बड़ी होगी।

*डाक्टर हरि प्रसाद शाही (जिला गोरखपुर)—

माननीय मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझको कुछ बोलने का अवसर दिया।

मुख्य मंत्री (श्री चरण सिंह)—

श्री त्रिपाठी जी दिल से थोड़े ही कह रहे थे ?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

हमारे सामने यह प्रश्न जरूर है कि वह सरकार जो अभी एक माह से भी कम समय हुआ, आई है, उसने कौन से ऐसे कार्य किये है जिनके कारण हमको इतनी जल्दी ही उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ा। एक माह में सम्भवत: कोई सरकार कोई ऐसे कार्य नहीं कर पायेगी जिसके कारण अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़े। उन कार्यों की जो घोषणा होगी, उन कार्यों की जो सूची बनेगी, जो उसके कार्यक्रम बनेंगे, उसके पीछे कौन सी मौलिक नीति छिपी हुयी है ? उस मौलिक नीति के आधार पर विचार प्रकट कर सकते हैं, परन्तु वे मौलिक नीति ऐसी हैं जो कि घातक होंगी। मैं समझता हूं कि जो कार्यक्रम है वह भी घातक होगा। उन घातक नीतियों को देखते हुए सरकार को पहले से ही अलग कर देना आवश्यक प्रतीत होगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका स्तर, राजनीतिक स्तर कौन से दृष्टिकोण पर आधारित है। राजनीतिक और आर्थिक स्तर के अतिरिक्त सामाजिक स्तर है।

सामाजिक न्याय की जहां तक बात है राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, जो यहां पर आया था, उसकी कोई चर्चा ही नहीं है। इसलिये उस पर कोई अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं हुयी। लेकिन राजनीतिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर विचार जरूर प्रकट किये गये हैं। उनमें यह देखना होगा कि कौन से मौलिक आधार है जिन पर हम विचार करें और फिर उनमें परिवर्तन करें। राजनीतिक स्तर पर यह मानना पड़ेगा और उस प्रस्ताव में पहले ही पैराग्राफ में लिखा है कि आज हम दिशा शून्य हैं। राजनीतिक स्तर पर जो राजनीतिक प्रश्न हैं वे भी दिशा शून्य हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक आदमी ही दिशा, शून्य नहीं है बल्कि देश के जो कर्मचारी हैं वे भी दिशा शून्य हो गये हैं। क्यों पथभ्रष्ट हुए हैं, यह हमें देखना होगा। जिस नेतृत्व में यह सरकार बनी उस नेतृत्व में कौन से राजनीतिक स्तर थे, कौन से आदर्श उपस्थित किये गये थे, और कौन से आचरण हम लोगों के सामने आये वे जिन आचरणों से हम यह कह सकते हैं कि सरकार के बनने में वे हितकर नहीं होंगे और वे अगर हितकर भी हैं तो लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं को वे कायम नहीं रख सकेंगे।

८ फरवरी, १९७० से जो घटनाएं घटीं उनके विषय में माननीय त्रिपाठी जी ने भी प्रकाश डाला। ९ तारीख को कौन सी घटना घटी और १० और ११ तारीख को कौन सी घटना घटी, जिस नेतृत्व में यह सरकार बनी और उससे पहले की जो घटनाएं थी उनके विषय में हमें सोचना पड़ेगा। यदि उन पर हम विचार करते हैं तो बड़ा समय लगेगा। यदि सभी घटनाओं को हम अपने सामने रखते हैं, सभी कृत्यों को सामने रखते हैं तो सोचना होगा कि क्या वह नेतृत्व जो सरकार का है हितकर होगा ? वे आचरण और वे आदर्श सम्भवत: लोकतन्त्रात्मक परम्पराओं के अनुकूल नहीं थे। सम्भवत: उन आचरणों और उन आदर्शों से लोकतन्त्रात्मक परम्पराएं कायम नहीं रह सकेंगी। वे परम्पराएं चल नहीं सकती हैं, यदि एक शब्द में हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज कल इस प्रकार का दृष्टिकोण बनता चला जा रहा है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वे भी कमिटेड होती जा रही हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारा दृष्टिकोण दूसरी तरह का होता है। हम पथ भ्रष्ट और दिशा शून्य हो सकते थे। हो सकता है कोई राजनीतिक चेतना आती और हम उस दिशा की ओर चले

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[डाक्टर हरि प्रसाद साही]

गये होते और उस दिशा को पकड़ लेते, मगर हमारी जो सर्विसेज हैं वे भी दिशाशून्य और पथ-भ्रष्ट हो रही हैं। यहां पर एक अधिकारी का जिक्र आया। यहां के इंस्पेक्टर जनरल आफ पुलिस को निकाल दिया गया या उन्होंने छुट्टी ले ली और भी बहुत से आफिसरों ने छुट्टी ले ली है। मैं यह कह सकता हूं कि यहां पर आज एक डर की भावना जरूर कायम हो गयी है। सर्विसेज में इस प्रकार की भावना का होना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि आज एक दल की सरकार है तो दूसरे दिन दूसरे दल की भी सरकार हो सकती है। जब दूसरे दल की सरकार आ जाती है तो फिर वही सर्विसेज आ जाती हैं। सर्विसेज की कुछ कंडीशन्स होती हैं, उनके कुछ कर्त्तव्य होते हैं और उनके कुछ कार्यकलाप होते है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि वे सर्विसेज उस परिधि में सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पायेंगी। सम्भवतः वे दूसरी परिधि में कार्य करेंगी। यह हमको मानना पड़ेगा कि हमारी सर्विसेज आज दिशाशून्य हो गयी हैं और वे पथभ्रष्ट हो गयी है। वे अपने कर्त्तव्य को छोड़ कर दूर भागती चली जा रही हैं। क्या कारण हैं कि वे छोड़ कर चले जा रहे हैं, छुट्टी लेते है और इस्तीफा देते हैं ? बड़े-बड़े आफिसर्स छुट्टी ले कर चले जा रहे हैं, इसका क्या कारण है। जिसके हाथ में सरकार का नेतृत्व है उसको भी इसे सोचना है कि आखिर क्या कारण है कि वे इस प्रकार छुट्टी पर जा रहे हैं। इसका जो भी कारण हो लेकिन सर्विसेज में कोई कमी है जिससे ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी जिसके कारण ऐसी दशा आ गयी। मैं समझता हूं कि यह लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिये बड़ा घातक हो सकता है और इसमें लोकतांत्रिक परम्परायें कायम नहीं रह सकतीं। जिन लोगों ने राजनीतिक स्तर पर इस प्रकार से विचार करने का प्रयास किया है उसके बहुत विस्तार में न जाकर मैं कहूं कि आर्थिक दृष्टिकोण को भी सामने रखें। सही बात यह है कि जो कार्यकलाप हमारे सामने आये हैं, जो कार्यक्रम सरकार ने आपके सामने रखा है और जिसकी चर्चा अन्य भाषणों में की गयी है उसका कारण एक शब्द में रखना चाहूं तो मैं यह कहूंगा कि यह छूट की सरकार है।

जहां तक चौधरी साहब से सवा ६ एकड़ तक छूट की बात कही गयी, अपनी जगह पर उन्होंने एक फार्मूला बनाया है कि ३ १।८ एकड़ से नीचे वालों को हम माफ कर रहे हैं। एक औसत उन्होंने एक सिद्धान्त की स्थापना की है। जैसे मान लीजिये हमारे सदन के ४२३ मेम्बर हैं, उनमें किसी की हाइट ६ फीट है, किसी की ५ फीट ७ इंच है और उन सबकी लम्बाई एक साथ जोड़ देते हैं और उनमें ४२३ का भाग दे दें तो एक कल्पित व्यक्ति हमारे सामने हो जायेगा जिसकी वह हाइट होगी। उसी तरह से आपने जो आंकड़े प्रस्तुत किये थे, उन आंकड़ों के आधार पर आपने कहा कि हमारे पास इतनी जोतें हैं, उन सबको जोड़ कर इतने का भाग दे दिया तो औसत ३ १/८ एकड़ आया और उसके नीचे जितने हैं उन सब का लगान हम माफ कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि औसत का यह सिद्धान्त ३ १/८ एकड़ जो करीब-करीब ५ बीघे होता है, लगान के सिद्धान्त में भी स्थापित है, आज से नहीं बल्कि टोडरमल के जमाने से। जैसे अगर कोई भूमिधर है वह अगर एक एकड़ का २.४५ रु० देता है तो १० एकड़, ५० एकड़ या ४० एकड़ जोतने वाले पर उसी के हिसाब से लगान होना चाहिये जब कि आज ज्यादा जोतने वालों पर लगान कम है। आज भी बहुत से ऐसे काश्तकार हैं, उनको जमींदार भी आप कह सकते हैं जिनके पास १६-१६ और १७-१७ हजार एकड़ जमीन है जिनको वे जोतते है उसी हिसाब से उन पर भी लगान हो, तो इस सिद्धान्त पर गरीबों को छूट कहां मिली।

हमारे यहां लगान का सिस्टम जो है उसे औसत के आधार पर ही बना दिया जाय। एक एकड़ वाला अगर २ ४५ रु० लगान दे, तो जितना एकड़ खेत जो भी जोते उसका लगान उसी के हिसाब से गुणा कर दिया जाय। यह कहने की बात है, सबूत देने की सम्भवतः आवश्यकता न पड़े लेकिन नपे तुले शब्दों में ही यह बात कहना चाहता हूं कि नेतृत्व में यह बात आयी कैसे कि सवा ६ एकड़ तक का लगान न माफ करके साढ़े १२ एकड तक की बात इसमें लायी जाय। आप जानते हैं कि हमारे पूर्वी जिलों में ९२ प्रतिशत लोग ऐसे हैं, ८२ प्रतिशत तो निश्चित ही हैं,

लेकिन गोरखपुर कमिश्नरी में ६२ प्रतिशत लोग सवा ६ एकड़ जमीन के मालिक हं और उनमें आधे आदमी ऐसे हैं जो १८ प्रतिशत जमीन के मालिक हैं। इन सारी बातों के होते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सिद्धान्त पर औसत आदमी जो पैदा करते हैं उसके नीचे रखने वाली जो बात कही गयी थी उसके पीछे कोई और भावना थी। और वह भावना यह है कि हमारे प्रदेश के कई टुकड़े करके देखे जायं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश बहुत कमजोर है। अगर शरीर का बायां भाग कमजोर हो जाय तो जब तक उस भाग में ताकत नहीं आती पूरे शरीर में ताकत नहीं आ सकती है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि पहाड़ के ८ जिले, बुन्देलखंड के ४ जिले और पूर्वी उत्तर प्रदेश के १६ जिले, ये इस प्रदेश के बहुत ही पिछड़े हुए भाग हैं और उनकी औसत आय बहुत ही कम है। पूरे उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम २४४ रु० है .....

अगर २४४ पर कैपिटा इंकम सारे उत्तर प्रदेश की है तो देवरिया की पर कैपिटा इंकम १८८ है। गोरखपुर में २१५ के करीब है। अगर आप अपने आंकड़ों को नहीं मानते तो नेशनल सैम्पिल सर्वे के आंकड़ों को ही मान लें तो उन पर औसत को बात है। २४४ अगर प्रदेश की पर कैपिटा इंकम है तो उसके नीचे जहां है वहां आपको ऊपर उठाना चाहिये। तीन सही एक बटा आठ (३ १/८) की बात कही गयी। अभिभाषण में एक बड़ा छोटा-सा शब्द है लेकिन स्पष्ट नहीं होता। ३ १/८ एकड़ भूमि जिसके पास है उसी की माफी होगी या दस एकड़ जिसके पास है उसके लिये भी ३.१/८ माफ हो जायगा। उसमें लिखा है कि जिसके पास ३.१/८ एकड़ हो। लेकिन दस एकड़ जिसके पास है उसके पास भी ३.१/८ एकड़ है। तो क्या दस एकड़ भूमि रखने वाले के पास ३.१/८ का लगान माफ होगा? अगर यह बात है तो सोचना होगा कि क्या हम दबे हुए को उभारने की बात सोच रहे हैं।

आखिरकार भूमि सुधार के सम्बन्ध में चार बातें कही गयी थी। आपने जमींदारी एबोलीशन किया जिससे जो बिचौलिये थे उनको निकाल दिया। जो भूमि जोत रहा है उसी को देना चाहते हैं। उसकी तरफ हमारा कदम उठा है। चौधरी साहब ने कहा कि ३० एकड़ करने वाले हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसमें दो बाते और भी स्थापित की गयी थीं। लाभकर और अलाभकर की बात कही गयी थी। अलाभकर है तो माफ करेंगे और लाभकर है तो और अधिक लेंगे। लेकिन उसमें कहां यह स्थापना हमारे सामने आती है। यह जो समस्या लाभकर और अलाभकर की है इसकी अन्ततोगत्वा हमें सिद्ध करना पड़ेगा और खाली यह कह देना कि इसका कोई समाधान नहीं है तो वह पलायन का दृष्टिकोण होगा। अगर लाभकर है तो आप लें लेकिन अगर अलाभकर है तो उसको खत्म कर देना चाहिये। जो औसत का आदमी खड़ा कर दिया है ३.१/८ का तो हम समझते हैं वह रियल आदमी नहीं है इसलिये वह सिद्धान्त स्थापित नहीं होता। इस सम्बन्ध में जहां हम चर्चा कर रहे थे स्वचालित व्यवस्था की बात कर रहे थे। हम चौधरी साहब के सामन रखना चाहते हैं कि मेरठ और गोरखपुर को ले लें। जब हम यह कहते हैं तो कोई बिलगाव की बात नहीं करते। लेकिन यह जो एक शरीर है उसका अगर कोई अंग दुर्बल है तो उसे ठीक करना होगा। ४४ फीसदी मेरठ कमिश्नरी में पानी देत हैं, २७ फीसदी पानी देते हैं गोरखपुर में और जिसमें भी १६ फीसदी पानी हम ढेंकुली से उठाते हैं। इस तरह केवल १२ या १३ फीसदी पानी, जिसको नलकूप या नहर के नाम से पुकारते हैं, हमें मिलता है।

श्री चरण सिंह---

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप बतलायेंगे कि सन् ४७ में मेरठ में कितना प्रतिशत था और गोरखपुर में कितना था और उसके बाद इस गवर्नमेंट ने मेरठ जिले में क्या किया और गोरखपुर में क्या किया? मेरठ जिले में अगर किया तो मैंने कर दिया या सारी गवर्नमेंट ने किया। पूरब पश्चिम की बात बार-बार कही जाती है तो जिम्मेदारी की बात है, जिम्मेदारी के साथ करनी चाहिये।

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

हम माननीय चौधरी साहब की बात का उत्तर देना चाहते हैं। सन् ४७ के आंकड़ तो सही नहीं दे सकता लेकिन सन् ४७ में २२ फीसदी तक सिंचित जमीन थी।

सिंचाई मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

माननीय सदस्य यह बता सकेंगे कि यह २२ फीसदी की सूचना किस आधार पर दे रहे हैं ?

डाक्टर हरि प्रसाद शाही—

तीन तरह से आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं, एक तो रैन्डम सैम्पलिंग के आधार पर, दूसरे लोकनाथन का जो एकोनामिक इंस्टीट्यूट है वह इकट्ठे करता है और तीसरे आपका भी डिपार्टमेंट करता है। हम जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं वह आपके विभाग के आधार पर नहीं रखना चाहते हैं क्योंकि उसके सम्बन्ध में बहुत सी समालोचनायें हुई हैं। इसलिये हम जो बातें रखना चाहते हैं वे नेशनल सैम्पिल सर्वे, जो स्वीकार किया गया है, लोकनाथन का इंस्टीट्यूट आफ एप्लाइड एकोनामिक्स, जो स्वीकार किया गया है, इनके आधार पर रखना चाहते हैं इसलिये कि इनके आंकड़े सही होंगे, इसलिये कि वह किसी सरकार से संबद्ध नहीं हैं, सरकार से सहायता जरूर पाते हैं लेकिन सरकार से संबद्ध नहीं हैं। हम जो आंकड़े दे रहे हैं वह नेशनल सैम्पिल सर्वे के आधार पर दे रहे हैं, आपके विभाग के आधार पर नहीं।

हम उत्तर दे रहे थे माननीय चौधरी साहब का। तो १८ से लेकर २२ फीसदी तक पूर्वी जिलों में सिंचित भूमि थी और ३६ फीसदी—हो सकता है एक आध परसेंट इधर उधर हो—पश्चिमी जिलों में थी। लेकिन हम तो एक दूसरी बात कहना चाहते हैं। अगर आप छूट देना चाहते हैं, खाद पर छूट देना चाहते हैं, तो कितनी खाद हम इस्तेमाल करते हैं ? हमसे १२ गुना खाद का इस्तेमाल पश्चिमी जिलों में होता है। अगर ३ पैसा रुपया भी छूट देते हैं तो हमको तो ३ पैसे की छूट मिली और हमारे ही बगल के भाई जो १२ गुना खाद इस्तेमाल करते हैं उनको बहुत ज्यादा छूट मिली गयी। अगर पानी में भी छूट दी जाती है तो खाद और पानी की छूट से हम समझते हैं कि एक विशेष वर्ग का लाभ होगा दूसरे का नहीं। हो सकता है कि हमारी फीगर्स थोड़ी बहुत गलत हों लेकिन यह करीब करीब सही है कि यह भेद भाव की जो नीति है यह ठीक नहीं है। यह सारा प्रदेश आपका है। भौगोलिक दृष्टि से पिछडेपन की बात नहीं सोची जा सकती है। सारे शरीर की बात सोची जा सकती है। अगर एक पैर लंगड़ा है तो क्या शरीर चल सकता है ? आपने अपनी योजनाओं में कहीं पर यह रखा है कि उनके लिये हम कोई विशेष बात रखने जा रहे हैं। यह बात तो बजट भाषण में आनी चाहिये थी। एक विशेष विकास आयोग बनाने की बात चली थी। यह एक प्रमुख समस्या है और आपके भाषण में उसका जिक्र होना चाहिये था। लेकिन उसकी कहीं भी चर्चा नही है। और बातें हैं।

रीजनल ट्रांसपोर्ट कमेटी में हम हों या न हों, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम चोर हैं तो आपको यह एहसास होगा कि आपकी तरफ भी कुछ चोर हो सकते हैं। अगर हम सब चोर हैं तो आपकी तरफ शायद ६० परसेंट चोर हों। कौनसा इसमें बड़े महत्व का प्रश्न था कि अगर एक पूरे रीजन में जिसमें १२—१४ जिले होते हैं उसमें दो आदमी सम्मिलित हैं और दोनों आदमी बेईमान हैं ? लेकिन क्या यह बात नहीं सोची जा सकती है कि पहाड़ी जिले और बुन्देलखंड पिछड़े हुये हैं जो आप स्वीकार करते हैं ? अगर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को आप स्वीकार करते हैं तो उसमें आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि बुन्देलखंड पिछड़ा हुआ है, पहाड़ी जिले पिछड़े हुये हैं और १६ जिले जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं वह पिछड़े हुये हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इसके लिए क्या किया गया ? इस अविश्वास के प्रस्ताव पर हम सुझाव नहीं दे सकते, जहां तक सुझाव देने की बात है वह हमें देने भी नहीं चाहिये इस अवसर पर, इस प्रस्ताव पर तो जो कुछ है, जो स्थिति है उस पर विचार होना चाहिये। इस पूरे

विचार के बाद हम इस निर्णय पर आते हैं कि यदि इसी तरह से उपेक्षा की नीति अपनाई गई तो नतीजा यही होगा कि गरीब अधिक गरीब होता चला जायगा और धनी अधिक धनी होते चले जायंगे और जिन के लिए स्वचालित व्यवस्था करने की बात कही जाती है वह और चौथे और पांचवीं स्टेज पर उत्तरोत्तर चले जायेंगे । जो आज तक पिछड़ रहे हैं और तीसरे स्टेज पर हैं वे पिछड़े ही रहेंगे और जो टेक-आफ की स्थिति में हैं वे और आगे टेक आफ की स्थिति में चल जायेंगे । इस तरह का दृष्टिकोण हमारे निम्नवर्ग के लिए और इस प्रदेश के लिए एक घातक दृष्टिकोण होगा, इस भेदभाव की भावना से और पूरे प्रदेश को एक आंख से न देखने की भावना से इन १६ जिलों में जहां ४ करोड़ की आबादी पड़ती है और बुन्देलखंड में जहां ६ करोड़ की आबादी है वह सब पीछे रह जायंगे और केवल ३ करोड़ ही आदमी आगे जाते हैं तो अन्ततोगत्वा यह प्रदेश के लिए घातक ही सिद्ध होगा।

राजनैतिक स्तर पर जो दृष्टिकोण हैं या जो दृष्टिकोण दिशाभ्रम के कायम किये गये हैं वे हमें कहीं दूसरे रास्ते पर ले गये हैं, उस के लिए हम भी दोषी हो सकते हैं, हम भी दूसरे रास्ते पर गये हैं, इस दिशाभ्रम और एक शून्य पैदा करने के लिए हम भी दोषी हो सकते हैं लेकिन यदि नेतृत्व में दिशाभ्रम होता है तो उसका उत्तरदायित्व अपेक्षाकृत अधिक होता है। राजनैतिक स्तर पर हम भ्रष्ट हुये है, पथभ्रष्ट हुये हैं। दिशाभ्रम में पड़े हैं। राजनैतिक स्थिति हमने ऐसी पैदा की है कि हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, हम दलबदलू हो गये हैं, कहां रहें कैसे रहें क्या करें यह विभ्रम हमारे सामने बना है, मैं नहीं कहता कि आप कि ही जिम्मेदारी है इसमें इधर के लोगों का भी उत्तरदायित्व है लेकिन यदि यह दिशाभ्रम की स्थिति न होती तो यह तीसरी स्थिति पैदा न होती। राजनैतिक स्थिति का दिशाभ्रम यदि सर्विसेज में भी पहुंच जाय और वह भी डिमारेलाइज हो जायं तो इस से बढ़कर कोई खतरा आगे आने वाली पीढी को और लोकतंत्र और लोकतंत्र की परम्पराओं को नहीं हो सकता। इस तरह से यदि सर्विसेज में अविश्वास चलेगा तो हमारा लोकतंत्र इस रूप में नहीं चल सकेगा, फिर तो हमें भी अमरीकन सिस्टम या कोई और पार्लियामेंटरी सिस्टम अपने यहां क्रियेट करना होगा। किसी की सर्विस को समाप्त करने या सुपरसीड करने या किसी आई०जी०को हटाने या किसी आई०ए०एस० के इस्तीफे की बात नहीं है बल्कि वह एक दृष्टिकोण और भावना की बात है। यदि वह दृष्टिकोण ही भ्रामक या गलत हो गया तो वह बहुत ही घातक हमारी लोकतांत्रिक परम्पराओं के लिये होगा । यह चीज किसी तरह से निकले, यह दृष्टिकोण सही हो, यही एक सोचने की मुख्य बात है ।

अब मैं समराइज करते हुए एक दूसरी बात और कहता हूं कि आर्थिक स्तर पर जो एक भेद-भाव की भावना है उसको हम महसूस करते हैं और वह न रहे उसके लिये हम सदन में जोर देते हैं। जो गिरा है वह ऊपर आये यह हमारा दृष्टिकोण होना चाहिय। एक जिले में एक आदमी की आय साल में १९८ रुपया और दूसरी तरफ इसी प्रदेश में वही आय ३५० रुपया हो तो हमें सोचना होगा कि किस तरह से हम १९८ रुपया आय वालों को ऊपर उठा सकते हैं । जो कुछ इस दिशा में किया जा रहा है वह आज उपहास-सा हो गया है। हमारे चौधरी साहब ने अपने एक भाषण में कहा था कि हमें पूर्वी जिलों को एक चीज देनी है और उन्होंने कहा था कि यहां के लोगों में इनरशिया आ गई है यानी वह कुछ बुजदिल से हो गये हैं, उन में वह शक्ति और बल नहीं है जो एक किसान में होना चाहिये । उसे छोड़कर वह खड़े हों और आगे चलें । उनका यह दृष्टिकोण कृषकों के लिए स्वागत करने लायक है लेकिन जो बच्चा आज पैदा हुआ जिसके पास अभी मजबूत पैर नहीं हैं उससे कहा जाय कि चलना पड़ेगा, जब तक आप उसको साधन नहीं देते, उसको पैरों में बल नही देते तब तक क्या हो सकता है। कोई ताकत तो आप उसको देना नहीं चाहते लेकिन यह कहते हैं कि लड़का काम नहीं करता। कहते हैं कि यह खाता नहीं है, इसलिए यह काम भी नहीं करता। तो एक प्रकार का इनर्शिया आ गया है। उसकी दवा करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के राजनीतिक आशीर्वाद से उसका बल नहीं पहुंचेगा। राजनीतिक आशीर्वाद से उसको बल नहीं दिया जा सकता है। इसलिए कार्यक्रम को तो लें। जो दृष्टिकोण राजनीतिक स्तर पर अपनाया गया है,

[डाक्टर हरी प्रसाद शाही]

आर्थिक स्तर पर जो दृष्टिकोण अपनाया गया है, सामाजिक स्तर पर अपनाया गया है, या न्याय के स्तर पर अपनाया गया है, उसकी चर्चा तो आप के भाषण में है नहीं। क्योंकि उन पर आप विचार नहीं करना चाहते हैं। इन दोनों स्तरों पर आप के कार्यक्रम हैं वे खत्म ही नहीं बल्कि इससे जो हमारी लोकतंत्र की परम्पराएं हैं, वे बिलकुल समाप्त हो जायंगी। इस-लिए ज्यादा अच्छा है कि इस सरकार को अलग हो जाना चाहिए। आप को अच्छी परम्पराओं को डालने का प्रयास करना चाहिए।

श्री अतीकुर्रहमान (जिला बिजनौर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में ५ साल की उम्र से ही इस सदन का पुजारी रहा हूं कभी दर्शक के रूप में और कभी मेम्बर के रूप में। मैंने नेता विरोधी दल की तकरीर को बहुत गौर से सुना। शायद.....

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अतीकुर्रहमान जी से एक बात जानना चाहता हूं। हमारे नियम हैं कि ८ वर्ष से कम आयु के बच्चों की दीर्घा में आने की आज्ञा नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ५ वर्ष की उम्र में ही वे कैसे आया करते थे?

श्री अतीकुर्रहमान---

मैं दर्शक की हैसियत से ५ वर्ष की उम्र में सब से पहले आया था क्योंकि मेरे पिता इस सदन के सदस्य थे और उस समय यह प्रेस गैलरी प्रैजिडेन्ट्स गैलेरी थी। इसके बीच में बैठ-कर मैंने इस हाउस के दर्शन किये थे।

एक सदस्य---

क्या आप को ५ वर्ष की आयु की बातें याद हैं?

श्री अतीकुर्रहमान---

मुझे ५ वर्ष की बात याद है। मान्यवर, मैं कह रहा था कि मैंने माननीय नेता विरोधी दल की तकरीर को बहुत गौर से सुना। लेकिन मैंने इसमें न कोई तर्क पाया न कोई नीति ही पायी। ना ही मैंने यह पाया कि वे किस किस्म का नक्शा, किस किस्म की तस्वीर, किस किस्म का समाज, किस किस्म की स्टेट, किस किस्म का राष्ट्र, शोसलिज्म या उसके विरुद्ध है कैपि-लिज्म या कोई बीच की राह अख्तियार करना चाहते हैं। उन्होंने कोई पौजिटिव बात नहीं कही है। वे बाअसल हैं और दूसरे लोग बेअसूल हैं, सिर्फ मैं उनके भाषण से इतना समझ सका हूं। दूसरे लोगों को जो बेअसूल कहा गया, वह भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। उसके बाद मैंने माननीय आचार्य जी की तकरीर सुनी जो बड़ी जोश से भरी और बड़ी काबलाना तारीफ थी। उनकी तकरीर उस लीजेन्ड्री वकील की तरह से था जो अपने मुवकिल के मुवाफिक पुरी तकरीर कर गये लेकिन जब अपन मुवकिल के खिलाफ बोलने का खयाल आया कि वे खिलाफ बोल गये हैं तो उन्होंने "लेकिन" शब्द लगा कर अपने मुवकिल के पक्ष में जो कुछ हो सकता था, कहा। लेकिन आचार्य जी को अपने पक्ष में "लेकिन" लगाकर भी कुछ कहने का ध्यान न आया। वह तकरीर उनके खिलाफ हो जाती है।

(व्यवधान)

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह गठ-जोड़ और गठ बन्धन आप के गठ-जोड़ और गठ-बन्धन से कहीं अच्छा है जिसमें जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी है.....

एक सदस्य—

आपका गठबन्धन तो लोमड़ी और सारस का है ।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं पूछता हूं कि स्वतन्त्र पार्टी का क्या मकसद है ?

एक सदस्य—

आपकी पार्टी ने गुजरात में क्या किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

स्वतंत्र पार्टी इस देश को किस ओर ले जाना चाहती है ? आप इस मुल्क के पिछड़ेपन को, इस मुल्क की गरीबी को दूर करना चाहते हैं १७वीं और १८वीं सदियों के उसूलों से ? आप को मालूम होना चाहिये कि जब योरप में इन्डस्ट्रियल रेवोलूशन हो चुका, तब वहां की सोसाइटी बदली और हम सदियों पीछे रह गये ।

(व्यवधान)

हम मुल्क के पिछड़ेपन और उस की गरीबी को दूर करना चाहते हैं जिसके लिये प्लान्ड एकोनामी की जरूरत है, सोशलिज्म की जरूरत है। वह वगैर समाजवाद के नहीं दूर हो सकती ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप की पार्टी ने गुजरात में किस पार्टी से गठबन्धन किया है. क्या आप उस पार्टी के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव ला रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

उसकी क्या वजूहात हैं और क्या हुआ है उसकी मुझे खबर नहीं है । इसलिये मैं सदन में आप के कहने से जबरदस्ती कोई गलत बयानी नहीं करूंगा ।

एक सदस्य—

जबरदस्ती कोई कैसे करवा सकता है ।

(व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं कह रहा था.....

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

मैं एक निवेदन करूंगा । जब उनके पिता यहां मिनिस्टर थे तो इन्होंने ५ साल की आयु में सेशन देखा यह नियमों के विरुद्ध था क्योंकि ८ वर्ष की कम आयु के बच्चे सेशन नहीं देख सकते ।

(व्यवधान)

श्री अतीकुर्रहमान—

जब मैं ५ वर्ष का था तो मेरे वालिद मिनिस्टर नहीं थे, यहां सदन के मेम्बर थे और अपोजीशन में बैठते थे.....

एक सदस्य—

किस पार्टी में थे ? क्या मुस्लिम लीग में थे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

वह पार्टी जिसका माननीय सदस्य नाम ले रहे हैं मौजूद नहीं थी, उस वक्त वहां पर स्वराज्य पार्टी थी, लिबरल पार्टी थी चिन्तामणि की लीडरशिप में। और इसके अलावा नेशनलिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी थी जो ट्रेजरी बेंचेज की ओर बैठती थी।

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि एक तरफ आप का गठबन्धन स्वतंत्र पार्टी से है, दूसरी तरफ जनसंघ से है। ये जो आपकी रिश्तेदारी है, ताल्लुकात हैं इससे जनसंघ के वसूल डायल्यूट होने चाहिये थे और पहले होने चाहिये थे वे और कठोर हो गये हैं। आपकी सोहबत का असर यह है कि आपके गठबन्धन के बाद जनसंघ ने मुसलमानों के इंडियनलाइजेशन का रिजोल्यूशन पास किया। खाली मुसलमानों का ही नहीं, इसाइयों का, सिक्खों का और हरिजनों का भी। इन सब के इंडियनलाइजेशन का आपने प्रस्ताव पास किया है इस तारीखी हकीकत को आपको भुला नहीं देना चाहिये। जनता भी इसको भूलने वाली नहीं है। आपका बुनियादी ख्याल ही देश का विघटन करने वाला है। अंग्रेजों की जो पालिसी थी फूट डालो और हुकूमत करो, वही आपकी सियासत का आधार है और उसी बुनियाद पर आप अपनी सत्ता कायम करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

मैं आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, मैं मुखातिब हूं राय साहब की पार्टी से। उनके गठ-जोड़ की बात.....

(व्यवधान)

मान्यवर, वह इससे परेशान हैं, घबड़ा रहे हैं, तभी चीख रहे हैं। लेकिन मैं इससे हटने वाला नहीं हूं। इन्होंने जो मुसलमानों के इंडियनलाइजेशन का प्रस्ताव पास किया मैं कहना चाहता हूं कि वे किसी से कम भारतीय नहीं हैं। उन्होंने इसका सबूत समय-समय पर दिया है। आप को बताना चाहता हूं कि मुसलमान सब कुछ हिन्दुस्तान से वाबस्ता है। उसमें यहां की सभ्यता और संस्कृति जज्ब हो चुकी है। उनकी सभ्यता, संस्कृति, भाषा और आर्ट सभी ऐसी चीजें हैं जिसमें हिन्दुस्तान की छाप है। आपको ऐसी कोई चीज नहीं मिलेगी जिसमें हिन्दुस्तानियत की छाप न लगी हो। इस सबके प्रतीक हैं—हमारा कुतुब-मीनार, देश का ताजमहल, इसका प्रतीक है तालिमे कबीर, इस सब का प्रतीक हैं चैतन्य, नानक और रामानुज, इन सबका प्रतीक हैं मलिक मुहम्मद जायसी और उनके ग्रंथ। ये सब हिन्दुस्तानी संस्कृति को बढ़ाने वाले हैं, उसकी इज्जत करने वाले हैं। हम इस देश की संस्कृति को मिटाने वाले नहीं हैं। वे लोग आप में से ही हैं। प्यार और मोहब्बत को तोड़ने वाले से आपका गठबन्धन है। यही आपका सियासी आधार है। और आप उलटे हम लोगों पर इल्जामात लगाते हैं कि आपका गठबन्धन कम्युनिस्ट पार्टी से है तो यों न हमारा जनसंघ से हो। तो मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में इन दोनों—कम्युनिज्म और जनसंघ जैसी प्रतिक्रियावादी ताकतों, में से किसी एक को चूज करने का मुकाबला हो, तो मैं और हिन्दुस्तान की करोड़ों जनता कम्युनिज्म को कबूल करेगी। वह प्रतिक्रियावादी, विघटनवादी और फाशिस्ट शक्तियों को कभी पसन्द नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में जो कुछ हो रहा है, हिन्दुस्तान में जो जाकिर हुसैन साहब को राष्ट्रपति बनाया, गिरि साहब को राष्ट्रपति बनाया, इन्दिरा गांधी को प्रधान मन्त्री बनाये हुए हैं, यह सब इस बात का प्रतीक है कि हिन्दुस्तान प्रगति के रास्ते पर जा रहा है। यह किसी और तरफ नहीं जाना चाहता।

कुछ लोग इल्जामात लगाते हैं चौधरी साहब पर कि उन्होंने अपनी चीफ मिनिस्टरी की वजह से आपसे गठबन्धन जोड़ा। मुझको नहीं मालूम कि आपकी और उनकी क्या बात हुई लेकिन मुझे यह मालूम है कि आपने अनकंडीशनल सरेंडर किया और उनकी तरफ से कंडीशंस पेश की गयीं जो आपको कुबूल नहीं थीं। मुझे मालूम है कि उनके अमल का परिणाम यह

हुआ कि चौधरी चरण सिंह ने इस प्रदेश को एक स्टेबिल गवर्नमेन्ट दी। उनके अमल का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने इस प्रदेश को मिड टर्म पोल से बचाया। उन्होंने इस मुल्क में कनफ्यूजन और अनारकी बचाने में योगदान दिया। आप अमेरिकन कमेंटेटर्स के कमेंट्स पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि वे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंदिरा जी के अलावा और इंदिरा जी की कांग्रेस के अलावा देश में कोई स्थायी, जमहूरी, प्रगतिशील हुकूमत कायम नहीं रख सकता। चौधरी साहब ने अपने अमल से योगदान दिया। और कमलापति जी के मुताल्लिक यह तारीख लिखी जायगी कि उन्होंने कांग्रेस, जो इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी, उसका लीडर होने के बावजूद चौधरी साहब के नेतृत्व को कबूल किया, एक स्थायी गवर्नमेंट को कायम करने के लिए, इस प्रदेश में एक प्रगतिशील और जमहूरी गवर्नमेन्ट को कायम करने के लिए, और इस प्रदेश में मिड टर्म पोल न होने देने के लिए। और मेरे बुजुर्ग, श्री चन्द्रभानु गुप्त के मुताल्लिक लिखा जायेगा कि उन्होंने हिन्दुस्तान की कीमत पर, प्रदेश की कीमत पर, अपनी पार्टी की कीमत पर अपने साथियों की कीमत पर, अपनी जान की कीमत पर अपनी आन पर मर मिटे। लेकिन, मान्यवर, हम आन पर मिटने वाले नहीं हैं। हमारे कुछ उसूल हैं। हमारी कुछ पालिटिकल रवायात हैं। हमारा एक पालिटिकल रास्ता है और हम उन पालिटिकल रवायात को चेंज करने को तैयार नहीं हैं। उनको साथियों की वफादारी मुबारक, हमको हमारे उसूल मुबारक। हमें उन पार्टियों के साथ जीना है जो हमारे उसूलों के साथ चलेंगी। उधर से मंजूर साहब ने चौधरी साहब पर इल्जाम लगाया कि चौधरी साहब डंडे से वोट लेते हैं। वह अपने सजेशन को मेरे मुंह से कहलाना चाहते थे। मैं खामोश रहा। मेरे पास कोई सबूत नहीं। मैंने कभी कहा नहीं।

शुगर मिल के नेशनलाइजेशन के सवाल पर आपका क्या विचार है वह तब मालूम होगा जब आप उस पर वोट देंगे। इससे बड़ा आज तक कोई सोशलिस्ट कदम इस प्रदेश में उठाया गया है जिसमें किसानों का भला है? कहा जाता है कि आउटमोडेड मशीनरी को ले लिया। इसलिए ले लिया कि किसानों का गन्ना वे आउटमोडेड मशीनरी से नहीं पेर सकतीं। पर तु हम आउटमोडेड मशीनरी का नवीनीकरण करेंगे। हम किसानों को राहत देंगे। हम किसानों का गन्ना पूरी तरह से पेरने का प्रयत्न करेंगे। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होगी। इस सरकार ने इतने थोड़े से जमाने में फर्टीलाइजर से ३ प्रतिशत टैक्स माफ किया। इस सरकार ने इतने छोटे अरसे में अलाभकर जोत से लगान हटाया। अलाभकर जोतों के बारे में बड़े यहां पर व्याख्यान हुये। जो मैथमेटिकल हिसाब चौधरी साहब ने बताया है क्या वह हिसाब गलत है? जब तक कमलापति जी की राय के मुताबिक कमीशन बैठ कर जगह-जगह की जमीन का सर्वे न कर ले और उस सब के बाद वह किसी नतीजे पर न पहुंचे कि कौन-सी जमीन अलाभकर है तब तक चौधरी साहब की बात जरूर सच रहेगी। अलाभकर आप किसको समझते हैं और लाभकर किसको समझते हैं इसमें मतभेद है और हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास रिकार्ड हैं उनके आधार पर उस बात को हम सही समझते हैं जो चौधरी साहब ने कहा था। इन अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)---

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या सदन में बैठकर मुख्य मंत्री किसी फाइल का अवलोकन कर सकते हैं?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)---

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी पक्ष की ओर से जो माननीय सदस्य बोले मैंने बहुत इतमिनान के साथ और गम्भीरता से उनको सुना और उस पर विचार किया। यह जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में अपने विचार रखना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि क्यों इतनी जल्दी यह अविश्वास का प्रस्ताव आ गया? जितने सदस्य यहां पर बैठे हुये हैं

[श्री बांकेलाल---]

ये सब साथी लोग चाहे वे इधर के हों और चाहे उधर बैठने वाले हों जिनकी इन्दिरा नेहरू की सरकार है, वे सब समाजवाद का नाम लेकर जनता को भ्रम में डाल रहे हैं। २२ वर्ष तक कांग्रेस सरकार का राज्य यहां पर रहा और चरण सिंह जी भी उस सरकार में २२ वर्ष तक रहने के बाद आज कहते हैं कि कांग्रेस गलत थी। आज वह दूध के धोये हुये हो गये हैं और कहते हैं कि इतने दिनों तक उन्होंने कोई बुरा काम नहीं किया। २२ वर्ष तक कमलापति जी त्रिपाठी, चरण सिंह जी और गुप्ता जी ने इस प्रदेश पर शासन करके इस प्रदेश को अन्धकार में डाल दिया है। अब इन्दिरा जी इस देश को अन्धकार में डालने जा रही हैं। वह राज महल में रहने वाली राजकुमारी हैं लेकिन आज समाजवाद की बात करती हैं कि जल्दी ही वह समाजवाद इस देश में लाने वाली हैं।

समझ में नहीं आता किस तरह से वह समाजवाद इस देश में लायेंगी ? समाजवादी तो हमारी पार्टी है जो २२ वर्ष तक जेल जाने के बाद, मरने के बाद, खपने के बाद आज भी उसका नाम लेती हैं। हम लोगों ने एक सबक दिया। हम लोगों की एक विचारधारा थी लेकिन कांग्रेस में जब हम एक प्रस्ताव लाये थे तो कहा था कि समाजवादी विचारधारा के लोग कांग्रेस में नहीं रह सकते हैं लेकिन आज स्थिति यह है कि दोनों तरफ से समाजवाद की आवाज आती है। परन्तु मैं यह कहूंगा कि मैं यह जानता हूं कि यह समाजवाद क्या है। लोग चरणसिंह जी को भी समाजवादी कहते हैं। अभी जवानी के मेरे कुछ दिन बाकी हैं, मैं भी देखूंगा। कहा गया कि हम ९६ हैं और तुम ३२ की तादाद में आये हो। हम दरिद्र हैं, गरीब हैं। उनकी ईमानदारी का यह सबूत है कि देवरिया के मिल मालिक से उनके आदमियों ने एक लाख कुछ हजार रुपया ले लिया। गलत बात साबित हो जाय तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा। वह कहें कि रुपया नहीं लिया था और यह बात गलत है। कुरील कलेक्टर थे।

(व्यवधान)

श्री चरणसिंह---

मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं सुन पाया। मेरे कान में यह भनक आई कि मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि मैंने एक लाख रुपया कहीं से लिया।

श्री बांकेलाल---

आपने नहीं, आपके आदमियों ने लिया।

श्री चरणसिंह---

मैं समझा नहीं फिर दोहरा दें।

श्री बांकेलाल---

बी० के० डी० के लोगों ने तथा आपके आदमियों ने १ लाख २६ हजार रुपया वहां के मिल मालिकों से ले लिया था जिसमें २६ हजार लौटा दिया। बाकी रुपया कहां गया ? जब चरण सिंह जी चुनाव के दौरान रामकोला गये थे तो कहा कि उन्होंने ही गन्ने की कीमत बढ़ाई है। आपको बढ़ाने की ताकत होती तो वह ताकत आज कहां गयी ? झूठ बोल कर, जनता को भ्रम में डाल कर यह ९६ की ताकत यहां आई है।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)---

व्यवस्था का प्रश्न है। क्या कोई माननीय सदस्य "झूठ" शब्द का इस्तेमाल कर सकता है ?

श्री उपाध्यक्ष---

माननीय सदस्य किसी सदस्य को "झूठा" कहेंगे तो वह आपको झूठा कहेगा।

श्री बांकेलाल—

किसी व्यक्ति का नाम मैंने नहीं लिया।

श्री महीलाल—

कार्यवाही में आप देख लें। माननीय सदस्य ने यह कहा कि माननीय चरण सिंह जब रामकोला गये तो कहा कि मैंने गन्ने की कीमत बढ़ाई थी। वह झूठ बोलें।

श्री बांकेलाल—

ऐसी तकलीफ है तो मैं वापस लेता हूं। प्रजातंत्र में मुख्य मन्त्री इतने ऊंचे पद पर बैठे हैं कि उनको बर्दाश्त करने तथा सहन करने की आदत होना चाहिये, अगर नहीं है तो मैं कहूंगा कि वे डिक्टेटर हैं और उनको इस्तीफा दे देना चाहिये।

(व्यवधान)

आप इत्तिफाक से आ गये हैं और मैं लड़ कर दुबारा आया हूं। कहा गया कि सवा तीन एकड़ की लगान माफी की जायगी। हिम्मत हो तो चरण सिंह जी इसी सदन में इसी वक्त ऐलान करें कि वह सवा तीन एकड़ पर लगान माफी करते हैं तो हम अविश्वास के इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। विरोधी दलों से मैं हाथ जोड़ कर कहूंगा कि वे इस अविश्वास के प्रस्ताव को वापस ले लें। लेकिन उनमें यह हिम्मत नहीं हो सकती।

राज्यपाल के अभिभाषण में यह सम्बोधित किया गया कि ३० एकड़ तक सीलिंग होगी जिसमें बाग बगीचा भी सम्मिलित होगा। हिम्मत हो तो करें। तब हम भी जाने कि चरण सिंह जी मजबूत दिल के हैं। तब जाने चरण सिंह जी का हृदय मजबूत है। लेकिन रह गये। कुछ नहीं कर सके। उनके २० आदमियों ने कह दिया कि हम उधर चले जायेंगे। इसलिये उनका दिल टूट गया। जो इनका गठबन्धन हुआ है वह भी नापाक हुआ है। गुप्ता जी के लिये कहा जाता है कि उन्होंने बड़ा रुपया लिया है। उनको बदनाम किया जाता है। लेकिन उन्होंने रुपया किसके लिये लिया? उनके लिये लिया जो देश का काम करते हैं। दूसरों के लिये लिया। अपने लिये कुछ नहीं लिया। वह तो पवित्र आदमी हैं। प्रजातांत्रिक आदमी हैं। उन्होंने बहुमत में होते हुए भी इस्तीफा दे दिया। मैं उनकी तारीफ करूंगा। वह बड़े ईमानदार और दृढ़ आदमी हैं। मिल मलिकों से पैसा लिया तो किनके लिये? उन्हीं के लिये। क्या इन लोगों ने नहीं लिया? मुख्य मंत्री इजहार करें। वे ३० एकड़ की सीमा मानें, सवा छः एकड़ तक लगान माफ करें तो हम इनका साथ देने के लिये तैयार हैं? लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। जब उनमें इतनी हिम्मत नहीं तो कैसे समाजवाद ला सकते हैं। मिलों का राष्टीय-करण कैसे होगा? अगर हिम्मत हो तो करें। क्या यही समाजवाद है? मुझे एक शेर याद आ गई "कब तक छिपेंगी कैरियां पत्तों की आड़ में, एक दिन बिकेंगी आकर सरे बाजार में।"

२० साल तक चरण सिंह जी कृषि मंत्री रहे लेकिन अलाभकर जोत की परिभाषा नहीं कर सके। एक तरफ कुछ कहते हैं और दूसरी तरफ कुछ कहते हैं। इनकी रोज-रोज परिभाषा बदलती रहती है? गिरगिट की तरह से यह रंग बदलते रहते हैं। समाजवाद इन लोगों से आयेगा? क्या इंदिरा जी समाजवाद लायेंगी जो नौ लाख रुपये का मिंग कोट पहनती हैं? और बिड़ला जी का हार पहनती हैं? (व्यवधान)। क्या इस तरह से समाजवाद आयेगा? आप लोग उधर न बैठिए। इधर आइए और हमारे प्रस्ताव का समर्थन करें। महीलाल जी ने कहा कि एक महीने के अन्दर ही यह प्रस्ताव आ गया। मैं कहता हूं कि प्रस्ताव क्यों न आता? आज हालत यह है कि परसहवां में ३/४ मार्च को डकैती हुई जिसमें दो आदमी गोली के शिकार हो गये। थाने के पास गांव है। दो आदमी मारे गये और माल लूटते रहे लकिन पुलिस कुछ नहीं कर सकी। इस पर आज तक कुछ नहीं हुआ। मैंने प्रश्न पूछा

[श्री बांके लाल]

तो कोई जवाब नहीं आया और मुख्य मंत्री जी को खेद प्रकाशन करना पड़ा। चकिया फार्म पर १२-१३ मार्च की रात को डकैती पड़ी जिसमें १५ हजार रुपया और एक बन्दूक लूटी गई। खामपार थाने में २ - ३ मार्च की रात को डकैती पड़ी जिसमें १५ हजार रुपया लूटा गया। उसकी रपट तक नहीं लिखी गई। इसके अलावा खामपार का दरोगा लालमुनि सिंह अत्यन्त भ्रष्ट है। उसने लाखों रुपया घूस में लिया है। कसिया के दरोगा की शिकायत मैंने आई० जी०, डी० आई० जी० से की लेकिन श्री राजमंगल पांडेय ने उसको रोक रखा है कि यह भ्रष्ट दरोगा कसिया से न जाने पावे। एक महीने के अन्दर दूसरी डकैती पड़ गई। दो की कौन कहे मैं पचासों डकैती साबित कर दूं। इन्द्रा जी ने बंगाल में जहां इतनी खूंरेजी हो रही है, अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं किया। (एक आवाज—हो गया) हो गया तो अब इन्दिरा सरकार भी चल नहीं सकती। अब कम्युनिस्ट लोग उनका साथ न देंगे। अभी तो केवल स्थगित हुआ है। इतने दिनों तक ऐसा वातावरण होने के बाद भी हिम्मत नहीं हुई। २०-२२ बरस तक जवाहर लाल जी आंखों में धूल झोंकते रहे और अब उनकी बेटी इन्दिरा और उनके सहयोगी कमलापति जी वही करना चाहते हैं। कुछ दिनों तक मजा ले लें। और चरण सिंह जी तो कमलापति जी की टांग पर टिके हुए हैं, वह तो आज जाएं या कल जाएं। और महीलाल जी कहते हैं कि बांके लाल ऐसी बात क्यों कहते हो? हम तो कहते हैं—"फलक देता है जिसको ऐश, उनको गम भी होता है, जहां बजते हैं नक्कारे, वहां मातम भी होते हैं।" तुमको भी एक दिन मातम मनाना पड़ेगा।

एक बार हमारे साथ बैठे थे और आज उधर चले गये हो। स्वच्छ प्रशासन की बहुत बात कही जाती है, गन्ने के दामों की बहुत बात कही जाती है लेकिन जब चौधरी चरण सिंह जी इधर अपोजीशन में बैठते थे तो उन्होंने एक बार भी गन्ने के दामों, की चर्चा नहीं की। उन्होंने तब क्या किया? इसका ट्रान्सफर क्यों कर दिया गया? उसका क्यों कर दिया गया? क्या उन्होंने किसी चीज की कोई सीमा बांधी है कि हमारी सरकार ६ महीने के अन्दर इतना काम कर लेगी? बिना रोजी के लोगों को रोजी दे देगी? क्या उन्होंने दामबांधो नीति को अपनाया है? अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, लेकिन उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। अच्छे शासक क्या इसी से हो जाते हैं कि कलेक्टरों के आगे भाषण दे दिया, एक आई० जी० को हटाकर दूसरे को कर दिया? पहले खुद तो नैतिक बनो, तब दूसरों को नैतिकता सिखाओ जिन कामों की आप आलोचना करते हैं, आप भी उनमें शामिल थे, फिर आप आज कैसे पवित्र हो गये? जो आदमी दूसरों को पवित्र करना चाहता है उसको स्वयं भी तो पवित्र होना चाहिये। यह सरकार अधिक चलने वाली नहीं है, यूं जब तक चल जाय वह बात दूसरी है। इसलिये भले ही चल जाय कि इन्दिरा जी अभी चुनाव न कराना चाहें। अगर उनमें से कुछ ही आदमी इधर आ गये तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं सवा छै एकड़ तक लगान की माफी, अध्यापकों को समय पर वेतन मिलना, बिना रोजी रोटी वालों को रोटी देना, आदि बातों के बारे में जो चौधरी गिरधारी लाल ने अविश्वास का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री हर नरायण (जिला पीलीभीत)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, . . .

एक सदस्य—

यह तो उपाध्यक्ष हैं।

श्री हर नरायण—

मैं उनको अध्यक्ष ही मानता हूं और इसलिये मानता हूं कि अध्यक्ष महोदय से उनकी ताकत ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपनी बात कहिए, क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, यह न कहिए ।

*श्री हर नरायन—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में माननीय नेता, विरोधी दल ने जो अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया है वह मैं समझता हूं कि उनकी दिली भावना नहीं है, वह तो उन्होंने लाल फीताशाही यानी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के दबाव से किया है । एक शेर है—

उन्हीं की महफिल संभालता हूं,
चिराग मेरा और रोशनी आपकी ।

श्रीमानजी, चौधरी साहब ने जब यह सत्ता संभाली तो उस समय इस प्रदेश की हालत एक मरीज जैसी थी जिसका दम निकल रहा था और यहां पर तरह-तरह की समस्याएं थीं ।

एक सदस्य—

तभी तो महंगाई बढ़ गई है ।

श्री हर नरायन—

मैं निवेदन करूंगा कि मैं किसी को क्रिटीसाइज नहीं करूंगा इसलिये मुझे टोका न जाय । मैं कह रहा था कि जब चौधरी साहब ने सत्ता संभाली तो प्रदेश की हालत मरीज जैसी थी जिसकी कि सांस लबों पर हो । चारों तरफ घोर समस्याएं थीं जिनको इधर वालों ने और उधर वालों ने पैदा किया था । चौधरी साहब ने थोड़े दिनो में ही प्रदेश की हालत को काफी संभाल दिया है इसके लिये उनकी सराहना की जानी चाहिये ।

आदरणीय महोदय, मैं न तो पश्चिम में रहता हूं और न पूर्व में रहता हूं । मेरे सामने पूर्व और पश्चिम की समस्या नहीं है । मैं तो बीच में रहता हूं इसलिये इन समस्याओं में नहीं जाता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या माननीय सदस्य जंगल में रहते हैं ?

श्री हर नरायन—

मेरे चारों ओर २६ मील जंगल है और मैं उसमें एक शेर की तरह रहता हूं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

उसके लिये लखनऊ में एक दूसरा स्थान भी है ।

श्री हर नरायन—

मान्यवर, सबसे पहले मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि स्वच्छ प्रशासन लाने के लिये जरूरी है कि यहां के सदस्य ईमानदार बनें । स्टैंडिंग कमेटी २५ रुपया रोज भत्ता लेने के लिये बनती है, यह बन्द की जानी चाहिये । एक एक स्टैंडिंग कमेटी में १६, १६ एम० एल० एज० होते हैं और वह केवल इसलिये बनाई जाती है कि वह २५ रुपया रोज कभी तीन दिन और कभी छः दिन ले सकें । यह समाप्त की जानी चाहिये ।

श्री राम गोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

आप भत्ता लेते हैं या नहीं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हर नरायन—

मैं जो भी भत्ता या तनख्वाह लेता हूं वह अपनी धर्म पत्नी के खाते में जमा कर देता हूं।
(हंसी)

यह असलियत है। वह रुपया सब इकट्ठा हो रहा है और उसका एक-एक पैसा बच्चों की शिक्षा के लिये व्यय होगा। बच्चों का स्कूल खोलने की मैं नींव डाल रहा हूं। वह सारा धन उसी शिक्षा के काम में खर्च होगा। मैं मुख्य मंत्री जी के इस निर्णय पर बहुत ही प्रसन्न हूं कि उन्होंने इतना अच्छा निर्णय लिया कि ट्रांसपोर्ट कमेटियों को भंग कर दिया।

(व्यवधान)

श्री निहाला सिंह (जिला वाराणसी)—

फिर आपका खर्च किस प्रकार चलता है ?

श्री हर नरायन—

मान्यवर, मेरे पास खेती है ३६ एकड़ जमीन है। उससे जो आय होती है उससे मेरा खर्च चलता है।

चौधरी साहब का यह बहुत ही अच्छा निर्णय है कि ट्रांसपोर्ट कमेटियां समाप्त हो जायं। स्टैंडिंग कमेटियों को भी समाप्त हो जाना चाहिये। मैं तो यह कहूंगा कि खुले रूप में सभी लोगों को परमिट मिलें ताकि प्रदेश की जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अधिक सुविधा मिले और उसको कम पैसा खर्च करना पड़े, साथ ही सरकार को रोड टैक्स भी अधिक प्राप्त होगा। जो भी बन्धन है वे समाप्त होने चाहिये।

एक बात मैं चौधरी साहब से और कहूंगा कि प्रदेश में जितनी सरकारी जीपें हैं जिनको सरकारी कर्मचारी प्रयोग में लाते रहते हैं। इन जीपों पर विभाग का नाम अंकित हो ताकि वे सरकारी कर्मचारी उन जीपों को अपने बच्चों को सिनेमा, आदि दिखलाने के लिये न भेज सकें। इस प्रकार का अंकुश बहुत आवश्यक है।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जैसा कि आपने कहा कि आपके पास ३६ एकड़ भूमि है। क्या चौधरी साहब उस भूमि को नहीं ले रहे हैं ?

श्री हर नरायन—

उस भूमि में से मैं अपने लड़के के नाम सवा ६ एकड़ भूमि कर दूंगा। हमारे सोशलिस्ट भाइयों की मांग चौधरी साहब के इस घोषणा से तो पूरी हो गई कि चौधरी साहब ने ३ १/८ एकड़ भूमि का लगान माफ कर दिया है। उनको तो इससे प्रसन्न होना चाहिये। चौधरी साहब जो चीज कहते हैं वह पत्थर की लकीर है। वह कह कर उस पर अमल करते हैं।

(व्यवधान)

एक बात और है। हमारा होली का त्योहार करीब है। हमारे फूड कार्पोरेशन आफ इंडिया के गोदामों में २० हजार कुंतल से अधिक गेहूं पड़ा है। हमको वह गेहूं खाने के लिये नसीब नहीं होता है। इस सरकार की नीति के हिसाब से २० हजार की आबादी वाले टाउन्स में वह गेंहूं खाने को मिल सकता है। हमारी प्रार्थना है कि उस गेहूं की रोटी, खिलाने की कृपा करें।

आज वनस्पति घी का टोटा है। उसका इन्तजाम नहीं हो रहा है। जहां पर दूध घी की नदियां बहती थीं वहां पर आज उनको वनस्पति घी नहीं मिल पा रहा है। मैं तो यह

कहता हूं कि यह सिंडीकेट वाले मिल मालिकों के कारण हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि चौधरी साहब उस पर भी ध्यान देंगे। आज यह हमारे लिये बहुत जरूरी चीज बन गया है। उस दिन मैं लखनऊ के डी० एस० ओ० के आफिस में पहुंच गया और वहां पर मैंने देखा कि हजारों लोग वनस्पति घी के लिये त्राहि त्राहि कर रहे थे।

श्रीमन्, मेरा सरकार से निवेदन है कि वह वनस्पति घी के वितरण और उसकी सप्लाई की ओर उचित ध्यान दे। इस दिशा में मैं चौधरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वे इस दुखद अवस्था को दूर करें ताकि होली के त्योहार पर हमारे प्रदेश की गरीब जनता कम से कम वनस्पति तेल में बनी हुई पूड़ी खाकर उनका नाम तो ले सके। अब मैं चौधरी साहब से वे बातें पेश करूंगा जो नौकरी से संबंध रखती हैं। किसी व्यक्ति को किसी की भी सिफारिश पर नौकरी न दी जाय। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिये। साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक सिपाही जिसकी मासिक तनख्वाह १०० रु० है और एक चौकीदार जिसको केवल ५ रु० ही मिलता है, तनख्वाह बढ़ाई जानी चाहिये। एक सिपाही को केवल ६ रु० ही मकान का किराया मिलता है। उसे साइकिल अलाउन्स भी मिलना चाहिये। गरीब सिपाहियों के साथ ही साथ अध्यापकों के वेतन में भी वृद्धि होनी चाहिये। बड़े-बड़े अधिकारी जिन्हें ५,००० या ३,००० रु० प्रति मास वेतन मिलता है कम मिलना चाहिये। ये बड़े-बड़े अधिकारी केवल १ घंटा ही दिन में काम करते हैं और इतना अधिक वेतन पाते हैं। इनके वेतन में कमी होनी चाहिये।

एक सदस्य—

मंत्रियों के वेतन के विषय में क्या है? क्या उनके वेतन में वृद्धि होनी चाहिए?

श्री हर नरायन—

श्रीमन्, हमारे प्रदेश में सैंकड़ों समस्याएं हैं। आप लोग जो यह प्रश्न करते हैं वह भी एक समस्या होती है। माननीय सदस्यों के सवालों के जवाब में यह होना चाहिये कि वह एक समस्या न बनें बल्कि समस्या का हल होना चाहिये। ऐसा होने से ही प्रदेश में स्वच्छ प्रशासन हो पायेगा। हमको चाहिये कि हम सरकारी कर्मचारियों की खराबियों को दूर करें। हमारा प्रदेश चौधरी चरण सिंह का प्रशासन चाहता है। हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि आप हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, झगड़े पैदा करते हैं, उपाध्यक्ष को खींचते हैं और अध्यक्ष को खींचते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप समाप्त करें।

श्री हर नरायन—

श्रीमन्, थोड़ा भाषण और बाकी है, मुझे थोड़ा समय और दे दें।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

इस सदन में दो चौधरी साहब हैं। माननीय सदस्य का कौन से चौधरी साहब से आशय है?

श्री हर नरायन—

मान्यवर, होम गार्ड्स की कोई जरूरत नहीं है। ये बिलकुल बेकार हैं। होम गार्ड्स को खत्म होना चाहिये। इसके साथ ही साथ मैं निवेदन करूंगा कि आवास परिषद् के अध्यक्ष श्री मुजफ्फर हसन साहब हैं। उनको १,००० रु० मासिक वेतन मिलता है और उन्हें एक कार दी हुई है जिसका खर्चा ३,००० रु० है। इस पोस्ट को समाप्त होना चाहिये। दूसरे इसी प्रकार से श्री नवल किशोर जी हैं जो कि एक पोस्ट होल्ड किये हुए हैं। उस पोस्ट को भी समाप्त करना चाहिये। देश के खून पसीने की कमाई को इस प्रकार लूटा जा रहा है और आप लोग

[श्री हर नरायन]

बैठे देख रहे हैं। आप लोग कुछ भी नहीं देखते हैं। दूसरी बात मुझे म्यूनिसिपैलिटीज के आडिट के विषय में कहनी है। वहां पर बड़ा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैं चौधरी साहब से निवेदन करूंगा कि वे अपनी आडिट की एन्जेसी से इसका आडिट कराएं। वही आडिट सही होगा और वहाँ पर तभी गड़बड़ियां निकल पायेंगी। क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बैठने की आज्ञा दे रहे हैं, इसलिये मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(इस समय २ बजकर ४० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राम चन्द्र विकल, पीठासीन हुए।)

*श्री सजीवन लाल (जिला उन्नाव)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस अविश्वास के प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। यह अविश्वास का प्रस्ताव जिस ढंग से आया है और जो बातें उसमें कही गयी हैं, मैं समझता हूं कि उन बातों के ज्यादातर जिम्मेदार चौधरी गिरधारी लाल जी हैं। इसलिये कि २२ साल तक वे उस कुर्सी पर बैठे जिस कुर्सी से प्रदेश की जनता को लाभ पहुंचाना चाहिये था। क्या अपने वक्त में वे सवा ६ एकड़ के लगान माफी का जो प्रश्न था उस को हल नहीं कर सकते थे? क्या देश की गरीबी व पिछड़ेपन की तरफ वे ध्यान नहीं दे सकते थे? लेकिन उस समय इस प्रश्न को उन्होंने नहीं लिया। तब लिया जब यह देखा कि कांग्रेस दो हिस्सों में हो गयी, एक तरफ सिंडिकेट और दूसरी तरफ इंडिकेट। जब यह देखा कि कांग्रेस की ऐसी हालत में हम शासन नहीं चला सकते तब उस स्थिति में इस प्रश्न को पैदा किया। तो यह, श्रीमन्, आप को भलीभांति मालूम है कि इधर के और उधर के भी, सभी ने यह कहा है कि हमसे गलतियां हुई हैं। जब इनसे गलतियां हुई हैं तो अब इनको सजा भी मिलनी चाहिये। जब २२ साल तक इन्होंने गलतियां की हैं, तो इसके लिये उनको सजा भी मिलना भी अनिवार्य है। अगर इसके लिये कोई कमीशन बना दिया जाय जो इनकी जांच करे, दोनों तरफ की जांच करे जो भूतपूर्व मंत्री रहे हों या जो मौजूदा मन्त्री रहे हों, उनकी जांच होनी चाहिये और अगर उनकी गलती है तो जरूर सजा मिलनी चाहिये।

मैं आपके सामने यह भी कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न चौधरी साहब की तरफ से यहां रखा गया है कि बढ़ी हुई सिंचाई कम नहीं की गयी, किसने की? श्री कमलापति त्रिपाठी नहीं थे उस कैबिनेट के अन्दर, श्री नारायण दत्त तिवारी नहीं थे उसके अन्दर, श्री गुप्ता जी नहीं थे उसके अन्दर, और चौधरी गिरधारी लाल भी मौजूद हैं, इन सब ने मिल कर देश के गरीब किसानों की तरफ, देश के पिछड़ेपन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और सिंचाई सवाया बढ़ा दी। इसलिये इस बात की बहुत जरूरत है कि इस पिछड़े प्रदेश के किसान जिनकी आमदनी बहुत कम है, उन पर बढ़ी हुए सवाया को कम किया जाता। लेकिन जिम्मेदारी किसकी है? यह सरकार को चाहिये था कि बढ़े हुए सिंचाई दर को कम करती। दूसरी बात उसमें यह भी कही गयी है हरिजनों के सम्बन्ध में कि उनको ४५ परसेंट सर्विस में नहीं लिया। जब कि श्री गिरधारी लाल जी मिनिस्टर थे तब यह बात उन्होंने नहीं बतलायी, २२ साल बीत गये लेकिन इस प्रश्न को कभी नहीं उठाया गया और आज इस प्रश्न को उठाया जा रहा है। ठीक है, प्रश्न उठाना चाहिये लेकिन हमारे प्रदेश की जनता को यह नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारे मिनिस्टर्स जो उधर रहे हैं और जिन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं, उन गलतियों पर सबको ध्यान देना चाहिये। जब यह कहा जाता था कि हरिजनों को सर्विसेज में जगहें क्यों नहीं देते हैं उनके परसेंटेज के हिसाब से तो कहा जाता था कि इनमें योग्यता नहीं है, शिक्षा की कमी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि बहुत सी जगहें ऐसी हैं जिनमें योग्यता का ध्यान नहीं रखा जाता —जैसे—चपरासी हुआ, कामदार हुआ, या छोटी छोटी नौकरी करने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाले हुए, इस काम को करने की जो उन की योग्यता है लेकिन वे जगहें भी उन को नहीं दी गयीं। तो जिम्मेदार कौन है ? बीस, बाइस साल सरकार रही, वह इसके लिए जिम्मेदार है।

इस तरह से आबपाशी के मामले और हरिजनों के मामले को आपके सामने रखा। मास्टरों के विषय में यह है कि विद्यालयों को अनुदान मिलते हैं लेकिन यह सही बात है कि जो मास्टर उन स्कूलों में पढ़ाते हैं उन को जो तनख्वाह मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती। दो सौ रुपये पर दस्तखत कराये जाते हैं और दिये जाते हैं सौ रुपये। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए। सरकारी खजाने से यह रकम मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया और नतीजा यह हुआ कि हमारे देश और प्रदेश की शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। कुछ काम चौधरी साहब ने भले किये। एक काम शकर की मिलों के राष्ट्रीकरण का है। इस को हम मानते हैं कि भला काम है। लेकिन इसके साथ साथ जब हम और देखते हैं तो हम देखते हैं कि वह किन्हीं बातों में कुछ पीछे लौट रहे हैं। अब ३० एकड़ वाली बात पूरे तौर से नहीं कही जा रही है कि हम ३० एकड़ की हकबन्दी लागू करेंगे। अब वे, मालूम होता है कि अमीनाबाद वाली बात और अखबारों में निकाले गये बयानों को भूल रहे हैं। उस तरफ इनका ध्यान जाना चाहिये नहीं तो प्रदेश की जनता, मजदूर, भूमिहीन लोग आप को ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी पार्टी का कहना था और मैं आज भी कहता हूं कि ३० एकड़ की जो हकबन्दी है वह वह भी ज्यादा है। जो अच्छी जमीन है उस पर तो १२ एकड़ की हकबन्दी होनी चाहिये और पहाड़ी जमीन है या और तरह से अच्छी नहीं है वहां २० एकड़ होना चाहिए। लेकिन अब ये उस बात से भाग रहे हैं। मेरठ से, लखीमपुर से लोग उनके पास दौड़ रहे हैं। एक और ताज्जुब की बात यह लगी कि यह जो अविश्वास का प्रस्ताव आया इसमें ३० एकड़ का जिक्र नहीं है। पता नहीं चौधरी गिरधारी लाल इसको भूल गये और उनका हरिजन प्रेम नहीं जगा। हमें तो यह भी मालूम हुआ है कि बिजनौर में ये भी बड़े फारमर हैं तो इसलिए ३० एकड़ का जिक्र इसमें नहीं किया। लेकिन मैं कह देना चाहता हूं कि अगर ३० एकड़ की हकबन्दी लागू नहीं की तो प्रदेश की जनता उसका बदला चुकायेगी।

आज प्रदेश का नैतिक स्तर गिर रहा है और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। चोरियां, कत्ल और डकैती बढ़ती जा रही हैं। इसके लिये कोई सख्त कदम उठाने चाहिए जिससे स्वच्छ परम्परा कायम हो। आप स्वच्छ प्रशासन की बात करते हैं लेकिन स्वच्छ प्रशास कैसे आयेगा जब आप खुद ही कभी सवा छः एकड़ की बात से भागेंगे और कभी ३० एकड़ की बात से भागेंगे। चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण से जरूर कुछ किसानों का फायदा होगा और सरमायेदारों पर चोट पड़ेगी। लेकिन सवा छः एकड़ की बात भी माननी चाहिए थी और सिंचाई की बढ़ी हुई दरों को खत्म करना चाहिए था। इस तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिए और अगर ध्यान न गया तो किसी दिन हम लोगों को भी इनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। अभी जल्दी ही हम इनके खिलाफ कोई ऐसी बात करने के लिये तैयार नहीं हैं। इसलिये नहीं तैयार हूं कि मैंने २२ साल तक चौधरी गिरधारी लाल जी को देखा, न यह हरिजनों के निकले, न किसानों के और न मध्यम श्रेणी के रहे। यह तो ज्यादातर पूंजीपतियों का कार्य करते रहे और इन्हीं को इनके वक्त में बढ़ावा मिला। यहां की गरीब जनता तबाह और बरबाद हो गई, दाने-दाने के लिये तरस रही है और इधर उधर मारी-मारी घूम रही है। बेकारी भी उन्हीं के शासनकाल में बढ़ी। एक तरफ लाखों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है और दूसरी तरफ गांव के पढ़े लिखे नौजवान बेकार घूम रहे हैं। अगर उन्हीं को काम मिलता तो हमारे यहां की बेकारी की समस्या का बहुत कुछ हल हो गया होता।

आज भी ऊसर, बंजर और परती जमीन उन गरीब किसानों को नहीं मिल रही है। है और सब से बड़ी बात तो यह है कि जब हमारे माल मन्त्री, श्री चतुर्भुज शर्मा जी, थे तो उन्होंने ११५–डी का आर्डर निकाला। वह प्रदेश के भूमिहीनों पर ही चल रहा है और हजारों रुपये उन पर जुर्माना हो रहा है। जिन हरिजनों के पास कोई जमीन नहीं है अगर उन्होंने

[श्री संजीवन लाल]

थोड़ी सी जमीन तोड़ भी ली तो उनको क्यों अदालतों में तबाह किया जा रहा है ? यह बात न चतुर्भुज शर्मा जी की समझ में आयी और न इस सरकार की समझ में आ रही है। ११५–डी के अन्दर उनको ही बेदखल किया जाना चाहिये था जो बड़े बड़े आदमी हैं, जिनके पास हजारों और सैकड़ों बीघे जमीन है, लेकिन उस किसान को जिसने अपने बाहु बल से ऊसर और बंजर जमीन को तोड़ कर अनाज पैदा किया है और उसके अलावा एक विस्वा भी जमीन जिसके पास नहीं है, उसके ऊपर हजारों रुपये जुर्माना हो रहा है। ११५-डी की चोट बी० के० डी० की तरफ से भी बढ़ती जा रही है। आप इस चोट को रोके । अगर भूमिहीनों ने कुछ जमीनें तोड़ ली हैं तो उनका पट्टा उनके नाम हो जाना चाहिये । सरकार ने कहा था कि ३० जून तक भूमिहीनों के पट्टे हो जायंगे । लेकिन मालूम होता है कि घपला है, नहीं कर पायेंगे ३० जून तक । मालूम होता है कि ज्यादा दिन तक टालेंगे । तो अब प्रदेश के भूमिहीन खेतिहर मजदूर ज्यादा दिन तक बरदाश्त नहीं करेंगे। वे मैदान में निकलेंगे और जबरदस्ती जमीनों पर कब्जा करेंगे और अपनी जीविका के लिये आगे बढ़ेंगे । इतना ही नहीं, अगर यह सरकार इस तरफ कदम नहीं उठायेगी तो कोई न कोई रास्ता, चाहे आन्दोलन के रूप में हो या किसी दूसरे रूप में हो, ये लोग अपनायेंगे । इस सरकार के अन्दर जो कमियां हैं, वह पुरानी सरकार की देन है । इस तरफ कमलापति जी हैं । क्या वह उस समय नहीं थे जब सिंचाई के रेट बढ़ाये गये थे ? और क्या वह उस समय नहीं थे जब भ्रष्टाचार पनप रहा था ?

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस तरफ ध्यान देगी और मैं अविश्वास प्रस्ताव के साथ नहीं हूं ।

*श्री भानु प्रताप सिंह (जिला बस्ती)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं विरोध पक्ष की ओर से जो अविश्वास का प्रस्ताव वर्तमान सरकार के विरुद्ध रखा गया है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इसलिये नहीं कि विरोध पक्ष में हूं । इसलिये भी नहीं कि म स्वतंत्र पार्टी से चुन कर आया हूं । मैं इस सरकार का विरोध केवल इसलिये कर रहा हूं कि एक किसान हूं और किसानों के प्रति वफादार हूं । मैं सदन में इस तरफ बैठने वाले और उधर बैठने वाले अपने सभी साथियों से आग्रह करना चाहता हूं कि वे भी अपनी उस बुनियादी वफादारी को जो किसानों के प्रति होनी चाहिये उसको जगायें। अब समय आ गया है कि हम नेताओं के राजनैतिक जाल में न फंसे रहें । आज नेताओं ने किसानों के प्रति अपनी वफादारी को भुला दिया है और उन के जो राजनैतिक आचरण सामने आये हैं क्या उससे यह स्पष्ट नहीं है कि वे हमें केवल अपने मोहरों की तरफ अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये ही इस्तेमाल करते हैं? जो थोड़ी बहुत कसर थी उस को अब श्री जगजीवन राम जी ने पूरा कर दिया है। उन्होंने अभी कहा है कि अगर स्वतंत्र पार्टी गुजरात में चाहे तो सरकार बना ले उनके दल वाले यानी इन्डीकेट उनका समर्थन करेगा। उन्होंने श्री निजलिंगप्पा जी पर आरोप लगाया कि वह जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी से सांठगांठ करते हैं । तो इस तरह से आज अधिकांश नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिये राजनीति को चला रहे हैं । मैं माननीय सदस्यगण से निवेदन करूंगा कि वे आज की स्थिति में अपने कर्त्तव्य को देखें और समझें । इस सम्मानित सदन के अधिकतर सदस्य ऐसे हैं जो अपने निजी जीवन में और सार्वजनिक जीवन में ग्रामीणों की बदौलत, उन्हीं की कृपा पर यहां हैं ।

मैं इस सरकार को किसान विरोधी सरकार मानता हूं । सत्ता लेने के बाद एक सप्ताह के अन्दर इस सरकार ने दो प्रहार किसानों पर किये । पहला तो यह कि सवा ६ एकड़ तक के किसानों को जो मालगुजारी से मुक्ति दी गई थी, जो किसी भी कारण से पहली सरकार ने दी थी उसको इन्होंने वापस लिया । यह तो छोटे किसानों के साथ व्यवहार हुआ और बड़े कहाने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वाले किसानों के लिये उन्होंने यह किया कि सीलिंग की सीमा ४० एकड़ से घटाकर ३० एकड़ की जायगी। मैं केवल सीलिंग की ही बात नहीं कहूंगा बल्कि सदन से यह भी कहूंगा कि समाजवाद के नाम पर जो प्रक्रिया चल रही है उसके यही परिणाम निकल सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को निम्न कोटि का या द्वितीय श्रेणी का नागरिक बनाया जाय और यह २–३–४ तरीकों से हो रहा है। एक तो कर-आरोपण से, दूसरे कानफिसकेशन आफ प्रापर्टी से यानी सम्पत्ति की जाब्ती से और तीसरे मूल्यों के निर्धारण से। कृषि उपज के मूल्य ऐसे निश्चित किये जाते हैं कि उनका सम्बन्ध न तो उत्पादन के व्यय से होता है और न उन चीजों के मूल्यों से होता है जो किसान को अपनी जरूरतों के लिये खरीदनी पड़ती है। उपेक्षा की नीति यह है कि गांव में जो होता है होने दो, लड़के पढ़ें न पढ़ें, दवा दारू उनकी हो न हो, इससे कोई सरोकार नहीं, हर तरह से उन की उपेक्षा की जाती है। मैं चारों बातों को एक एक कर के लूंगा।

जहां तक टैक्स की बात है चौधरी साहब ने कहा कि ३ १/८ एकड़ से ऊपर किसान औसत होल्डिंग से ज्यादा के हैं और यह लगभग उसके बराबर है इसलिये उनके ऊपर कर लगाना अनुचित नहीं है। एक बात उन्होंने और कही जिस से मैं बहुत ही भयभीत हो गया, माननीय शिवराज सिंह शायद मेरे बाद बोलें वह कृपा कर के सफाई करें कि वह जमीन का मालिक किसको मानते हैं? चौधरी साहब का कहना है कि भूमि भगवान की देन है, इसलिये वह सरकार की सम्पत्ति है। यह बहुत ही खतरनाक विचारधारा है। यदि वास्तव में चौधरी साहब का यह विचार है तो उनको यह पुस्तक नहीं लिखनी चाहिये थी, जो केवल पेजेन्ट प्रोप्राइटरशिप के लिये ही लिखी गई थी। हम सब मनुष्य भी भगवान की देन हैं तो क्या हम सब भी सरकार की सम्पत्ति हो गये? मैं आपकी आज्ञा से अब एक छोटी-सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक छोटा किसान था उसने बहुत मेहनत व मुशक्कत से एक बंजर और परती जमीन तोड़ी, उस में कुआं बनवाया, वह बीज लाया, सिंचाई की। जब उसमें फसल लहलहाने लगी तो वह अपने गांव के एक पादरी को बुला लाया। यह एक विदेशी कहानी है, और कहा कि देखिए हमने इतनी मेहनत और मुशक्कत की है और यह कितनी अच्छी फसल लगी है। लेकिन पादरी महोदय ने बार बार यही कहा कि भगवान की कृपा है या भगवान की अनुकम्पा है कि इतनी अच्छी फसल हुयी लेकिन वह किसान तरसता ही रहा कि पादरी महोदय ने एक बार भी किसान की प्रशंसा नहीं की तो ऊब कर उसने कहा कि, श्रीमन्, आपको उस समय इस भूमि को देखना चाहिए था कि जब भगवान ही इसका प्रबन्ध कर रहे थे। तो भगवान ही की देन है कि उत्तर प्रदेश में ३६ लाख एकड़ भूमि कृषि योग्य है लेकिन खेती नहीं होती है––साधनों की कमी के कारण। कोई जमीन छोड़ने वाली नहीं है,। पहले तो यह भी कहा जाता था कि इसको तोड़ने में इतना खर्चा होगा कि इसे तोड़ना अनएकोनोमिक होगा लेकिन अब जमीन की कीमतें बढ़ गयी हैं, और अगर सरकार कोई योजना बनाये तो उसी कीमत के अन्दर वह खेती योग्य बन सकती है और बिक सकती है। उस समय भगवान् की ही देन थी कि लाखों एकड़ भूमि ग्रामसमाज की दूसरे के हाथों में चली गयी। वास्तविक बात यह है कि यह प्रस्ताव केवल वोट लेने की बात है।

हमारे माननीय जगवीर सिंह जी ने कहा कि आप लोगों को खुशी होनी चाहिए कि आज उत्तर प्रदेश का मुख्य मन्त्री एक किसान का बेटा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई है लेकिन बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि किसान का बेटा अनाज की खेती के बजाय आज वोटों की खेती करने लगा है। वे केवल वह कदम उठाते हैं कि उन को वोटें मिल सकें। श्रीमन,

India's poverty and its solution के पृष्ठ १२४ पर उन्होंने लिखा है। मैं उसे पढ़े देता हूं: वह इस प्रकार है :—

"In order to determine the area of land a family may be allowed to retain, we will have to look to its labour resources. Indian agriculture has a labour force of 41 per cent. so that an average farming family of five per-

[श्री भानु प्रताप सिंह]

sons has a labour force of 5X41/100 or 2.05 men-equivalents. Therefore, for an average family land-holding, we arrive at a ceiling of (27.5X2.05)—56.40 acres. If we take the area of 25 acres as the ceiling for one worker, the corresponding figure for an vaverage family will stand a t about 50 acres."

आगे उन्होंने मेकेनाइज्ड फार्म्स के बारे में कहा है :

"As far mechanised farms, according to Dr. L. Dudley Stamp, Professor of Social Geogarphy in London Shcool of Economics and World authority on soil use, 100 acres are the optimum for efficient management, so that in the case of mechanised farms a ceiling can, with reason, be placed at 100 acres."

एक सदस्य—

इसे हिन्दी में बताने का कष्ट करें।

श्री भानु प्रताप सिंह—

इसका अर्थ यह है कि "इस बात का निर्णय करने के लिए कि एक परिवार के लिये कितनी भूमि छोड़ी जाय, हमें यह देखना पड़ेगा कि पविार के कितने लोग काम करते हैं ? भारतीय कृषक परिवारों में ४१ प्रतिशत काम करने वाले होते हैं। इसलिए ५ व्यक्तियों के औसत परिवार में दो काम करने वाले माने जा सकते हैं। इस प्रकार औसत परिवार के लिए जोत की सीमा ५६.४ एकड़ होनी चाहिये।

आगे चल कर उन्होंने लिखा अपनी पुस्तक के पृष्ठ १२६ पर कि "यंत्री कृत भूमि के लिए १०० एकड़ की सीमा निश्चित करना तर्क संगत होगा।" मैं केवल सीलिंग की चर्चा नहीं करना चाहता हूं। यह तो एक प्रक्रिया है। यदि इनमें नैतिक साहस है तो शहरी सम्पत्ति को निर्धारित की जाय जो ग्रामीणों की सम्पत्ति के बराबर हो। मैं इस बात का हामी हूं कि गरीब और अमीर का अन्तर कम होना चाहिए लेकिन उनमें वह साहस नहीं है। चौधरी चरण सिंह की पार्टी ने शहरी क्षेत्र में ५ लाख रुपये तक की सम्पत्ति रखने की सिफारिश की है। कहां ५ लाख रुपये और कहां ३० एकड़ जमीन। क्या यह किसानों के बेटों के साथ अन्याय नहीं है ? मान्यवर, मैंने जो हिसाब जोड़ा है उसके हिसाब से इस सदन के प्रत्येक सदस्य को जो वेतन, भत्ते तथा सहूलियतें मिलती हैं वह सब मिला कर करीब १० हजार रुपये सालाना होता है। कौन सा नैतिक कारण है जिसके आधार पर हम यहां बैठ कर ग्रामीणों के लिये ऐसी सीमा निर्धारित करें जो माननीय सदस्य को मिलने वाली सहूलियतों और वेतन, आदि से भी कम हो ? क्या यह इस बात का प्रमाण नहीं है कि ग्रामीण लोगों को आप दूसरी श्रेणी का जीव समझते हैं और उनको उन्नति का कोई अवसर नहीं देना चाहते हैं ?

अब मैं टैक्सेशन की बात पर आता हूं। जमीन किसकी है ? जब जमींदारी उन्मूलन हुआ था उस समय कहा गया था कि जमीन जोतने वाले की है। अगर जमीन जोतने वाले की है तो फिर उससे किराया किस बात का लिया जाता है ? अगर किराया नहीं लेते तो माननीय शिवराज सिंह जी क्यों नहीं इस बात की पैरवी करते कि जब तक किसान की आमदनी ५ हजार से ज्यादा न हो जाय तब तक उससे टैक्स न लिया जाय और उसके बाद उससे उसी सलैब के अनुसार टैक्स लिया जाय जिस सलैब से अन्य व्यवसायों में लगे लोगों से लिया जाता है ? मान्यवर, वे बात तो सही कहते हैं मगर तर्क गलत प्रस्तुत करते हैं। किसान की आमदनी जब तक ५ हजार से ज्यादा नहीं होती उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिये। अगर मैं गलत कहता हूं तो माननीय शिवराज सिंह जी बतायें, केवल भगवान वाली बात न कहें। एक तर्क यह दिया गया कि सवा तीन एकड़ औसत होल्डिग है इसलिये इसके ऊपर वाले जो हैं वे औसत से ऊपर हैं। श्रीमन्, एक औसत नौकर की आमदनी तीन साढ़े तीन, सौ रुपये माहवार हैं। इस तरह से आपने

देखा कि इनके टैक्सेशन का मापदण्ड दूसरा हैं, सम्पत्ति रखने का मापदंड दूसरा है। इन दोनों की मार से जब किसान बचता है तो मूल्यों की वृद्धि की मार उस पर पड़ती है।

हमारे समाजवादी भाई बड़े खुश होते हैं कि अब गल्ला-व्यापार को सरकार अपने हाथ में लेने जा रही है। बम्बई में ऐसा फैसला भी लिया जा चुका है इन्डीकेटरों के द्वारा। मान्यवर, मोनोपाली बेसिस पर सरकार द्वारा जो गेहूं वसूल किया जाता है उसका रुपया ६६ रुपये से ७२ रुपये तक प्रति क्वीन्टल निर्धारित किया गया है होल-सेल बेसिस पर। प्रत्येक वर्ष १० फीसदी मूल्य हर चीजों के बढ़ जाते हैं जिनको कि किसानों को खरीदना पड़ता है। फिर यह समझ में नहीं आता कि पिछले साल के मुकाबले में गेहूं के दाम इस वर्ष क्यों कम रखे गये हैं जब कि और चीजों के मूल्य बढ़े हैं? १ जमीन किसान की है, किसान उसमें जोतता बोता है और जमीन में जो कुछ वह पैदा करता है उसको यह सरकार मोनोपोली ढंग से ले लेती है जब कि सरकार को उसे लेने का कोई अधिकार नहीं है। अगर यही प्रथा चालू रहती है तो किसान सरकार का गुलाम बन जायगा।

यहां पर स्कीमें कंज्यूमर्स ओरिएन्टेड गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती हैं। अनेक बार बैठकें हुई, दिल्ली में बैठकें हुईं, लेकिन किसान के हित का कभी ध्यान नहीं रखा जाता है। मैं शिवराज सिंह व चौधरी चरण सिंह से पूछना चाहता हूं कि कृषि के मूल्यों का क्या आधार है और इसको किस सीमा तक सरकार यह कार्यान्वित करेगी? चौधरी साहब ने यह अवश्य किया, गुड़ के किसानों के लिए यह किया कि गुड़ का निर्यात खोला जाए, भले ही उसका इस्तेमाल शराब बनाने के लिए ही क्यों न किया जाए। अपने प्रदेश में वह शराबबन्दी करना चाहते हैं, क्योंकि वह गांधी वादी बनते हैं, लेकिन दूसरे प्रदेशों में शराब बनाने के लिए ही क्यों न हो, गुड़ भेजने में कोई आपत्ति नहीं समझते हैं। आपने प्रदेश के बाहर गुड़ का निर्यात करने के लिए और अपनी सरकार बचाने के लिए बार-बार भारत सरकार से पैरवी की। ठीक है, इससे उनको उचित मूल्य मिल जायगा, लेकिन वह चावल और धान को पैदा करने वाले किसानों को क्यों भूल गये? हिन्दुस्तान में ही नहीं प्रदेश में जोन्स बने हुए हैं और एक जोन से दूसरे जोन में चावल और धान नहीं जा सकता है। क्योंकि जहां सरप्लस है वहां सरकार मनमाने भाव पर इन्डाईरेक्ट प्रक्योरमेंट करती हैं।

कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)---

यह आप किस जमाने की बात कह रहे हैं?

श्री भानु प्रताप सिंह—

इसी जमाने की बात कह रहा हूं। चौधरी साहब ने तो वह काम किया जो किसी ने भी नहीं किया। जब यह सत्तारूढ़ थे तो गेहूं का इन्होंने प्रक्योरमेंट किया और ७२ हजार किसानों पर मुकदमें चलाए। इन्होंने छोटे किसानों पर हमला किया और बड़े किसानों पर हमला किया। जब भी कोई किसान कहलाने वाला व्यक्ति अपनी सरकार बनाए तो उसका पहला एलान होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की धरती सिंचाई के साधनों से परिपूर्ण बनाई जाएगी। क्या उनमें है साहस ऐसा कहने का? जो मालगुजारी, अलाभकर जोतों से माफ करने की बात है, उसके विषय में सरकार को घोषणा करनी चाहिए, यदि वह माफ न हो कि इस प्रकार से जमा सारा पैसा किसानों के लिए सिंचाई के साधन जुटाने में केवल मात्र खर्च किया जायगा। तो यह किसानों के हित में होगा और देश के हित में होगा। यदि ऐसी घोषणा वह कर दें तो मैं मान जाऊंगा, इधर के बैठने वालों को मना लूंगा और उनको भी मना लूंगा।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। वह यह है कि आपने छोटे किसानों की बात कही और बड़े किसानों की बात कही, क्योंकि आप कृषक समाज के नेता हैं लेकिन जो खेतिहर मजदूर हैं, जिसकी हालत सबसे ज्यादा बदतर है, जिसके दम पर कृषि होती है और खेती में दिन रात अपना

[श्री गंगा प्रसाद]

खून पसीना बहाता है, उसके लिए उसकी तनख्वाह के बारे में आपने कुछ नहीं कहा। यह मेरा आपके ऊपर आक्षेप है।

श्री महीलाल—

उनके बारे में कहने से तो अपने पर असर पड़ जाएगा।

श्री भानु प्रताप सिंह—

उसके बारे में भी कहूंगा। अभी भी तो मैं बोल ही रहा हूं। उस पर भी आऊंगा। तो मैं कह रहा था कि इस मालगुजारी के झगड़े को बिलकुल समाप्त किया जा सकता है, यदि चौधरी साहब इसके बारे में सहमत हो जाएं कि यह २२–२४ करोड़ रुपया केवल छोटे किसानों के लिए सिंचाई साधनों पर खर्च होगा। १० वर्ष तक यह क्रम चलता रहे तो उत्तर प्रदेश में एक एकड़ भूमि भी असिंचित नहीं रह सकती है। लेकिन उन्होंने इसकी कोई घोषणा नहीं की। गंगा प्रसाद जी ने जिस ओर ध्यान दिलाया, मैं उसको बहुत जरूरी समझता हूं।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

मैं इनको सूचित कर देना चाहता हूं कि अभी उसी दिन चौधरी साहब ने इस सम्बन्ध में एक एलान किया है।

श्री बांकेलाल—

चौधरी साहब बाहर ऐलान कुछ और करते हैं और भीतर ऐलान कुछ और करते हैं। उनकी बात का ठिकाना नहीं है।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैं गंगा प्रसाद जी से कहूंगा कि मैं कृषक समाज का सदस्य नहीं हूं। मैं उससे त्याग-पत्र दे चुका हूं। कृषक समाज, जिसके अध्यक्ष, चौधरी चरण सिंह हैं और मंत्री शिवराज सिंह जी हैं, उसने अभी तक कोई प्रस्ताव पास नहीं किया। किसान संघ जिसकी स्थापना मैंने की है, उसने १३ तारीख को प्रस्ताव पारित किया है और वह इस प्रकार से है कि सरकार तत्काल गांव प्रबन्धक समितियों को भंग करे और विशेष अधिकारियों को माल विभाग में नियुक्त करे जो गांव गांव जाकर, अभियान चला कर, जितनी खेती योग्य भूमि है उसको भूमिहीन मजदूरों में निश्चित समय के अन्दर उनके साथ प्रबन्ध कर दें। यही नहीं, प्रदेश में और भी बहुत बड़ा अन्याय, इससे भी अधिक ज्यादती होती है। मैं इस बात का हामी हूं कि बटाई खेती भी नहीं होनी चाहिए। गंगा प्रसाद जी ने एक ही बात कही। इस प्रदेश में खेती बड़े पैमाने पर होने लगी है। सचमुच यदि पीजैंट प्रोपराइटरशिप को बचाना है तो इस बटाई खेती का भी अन्त होना चाहिए। मैं सरकार को एक ऐसा गांव बता सकता हूं जिसमें गांव का गांव बैल रखे हुए है। खेती करता है। लेकिन एक आदमी का भी नाम नहीं लिखा है। बटाई काश्तकार हैं।

श्री महीलाल—

जिले का नाम बता दें।

श्री भानु प्रताप सिंह—

बता दूंगा आपको। मुझे जरा भी संकोच नहीं होगा। अब शिक्षा की उच्चतर व्यवस्था की ओर भी देखें। यदि मैं कभी भी ताकत में आऊंगा, ऐसा होने की सम्भावना नहीं है क्योंकि मुझे तिकड़मबाजी आती नहीं है और अवसरवादी नहीं हूं। (व्यवधान) इस देश में सबसे बड़ा अन्याय जो हो रहा है वह गांव के बच्चों के साथ है। किसी भी देश का भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? गांव के स्कूलों का यह रेकार्ड है कि जो बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें आठ में सात बच्चे बाहर हो जाते हैं। जितने माननीय सदस्य हैं

उनमें से कोई भी ऐसा है जो अपने बच्चों को गांव के स्कूल में भेजना पसन्द करता है ? अगर आपको कोई भी सामाजिक न्याय की चिन्ता है तो उस उपेक्षा के रवैये को छोड़ कर आपको इन स्कूलों की ओर ध्यान देना चाहिए। एक बात मैं फिर कहूंगा अपने ग्रामीण क्षेत्रों से आये माननीय सदस्यों से कि यह जो प्रक्रिया चल रही है, ग्रामीण सम्पत्ति की जब्ती, मूल्यों की हेराफेरी, और उपेक्षा इसके प्रति ध्यान दें अन्यथा वे और उनके साथ ग्रामीण क्षेत्र के निवासी निम्न श्रेणी और मध्यम श्रेणी के नागरिक बन कर रह जायेंगे। अगर माननीय चरण सिंह इसकी घोषणा कर दें कि वे इन चारों प्रक्रियाओं को बन्द कर देंगे, टैक्सेशन द्वारा सम्पत्ति की जब्ती, मूल्यों की उलट जो रही है उसकी, उपेक्षा जो हो रही है उसको रोकें तो माननीय चरण सिंह जी के साथ मैं वोट करने को तैयार हूं अन्यथा समझूंगा कि उनको भी कोई हक नहीं है किसानों का वोट पाने का।

*कृषि मंत्री (श्री शिवराज सिंह)—

अधिष्ठाता महोदय, प्रस्तुत प्रस्ताव को पेश करते हुये नेता, विरोधी दल, वैकल्पिक सरकार के मुख्य मंत्री तथा माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी, नेता, जनसंघ तथा भानु प्रताप सिंह जी, नेता, स्वतन्त्र पार्टी के भाषणों को मैंने बहुत गौर से सुना। नेता, विरोधी दल के भाषण को सुनकर मुझे जितनी निराशा की आशा थी उससे कहीं ज्यादा निराशा हुई। शेष दो माननीय सदस्यों के, जिनके नाम मैंने अभी लिये उनके भाषणों को सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई। मुझे साथ ही साथ तकलीफ भी हुई कि नेता, विरोधी दल को अभी यह अहसास नहीं है कि वह सरकारी पक्ष को छोड़कर अब वह विरोधी दल के नेता हैं। अब आप इस प्रस्ताव के गठन को देखें। इस प्रस्ताव के माध्यम से अनधिकार चेष्टा की गई है सरकारी नीति के निर्माण करने की।

(इस समय ३ बजकर २१ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह ठीक था कि जब वह सरकार में थे वह ऐसा करते लेकिन उनकी मजबूरी थी। वह २० वर्ष सरकार में रहे तब वह करते लेकिन अब भी इस प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं कि सरकारी नीतियों का निर्माण करें और उसको कार्यान्वित करायें हम से। इस पर मुझे खेद है, आश्चर्य है और उनके ऊपर दया भी आ रही है।

श्रीमन्, जहां तक भानु प्रताप सिंह जी की बात है, उनको सुनकर मुझे एक अंग्रेजी की कहावत याद आ गई :

"He was trying to hunt with the hound and run with the hare."

वह यह कोशिश कर रहेथे कि शिकारी कुत्ते से शिकार भी खेल लें और हिरन का पक्षपात करके उसके पीछे दौड़ते भी चले जायं। वह बड़े किसानों की मदद की बात करते रहे और छोटे किसानों की हिमायत भी करते रहे। मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको सुनकर मुझे एक उर्दू का शेर याद आ गया कि:—

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का
चीरा तो यक कतरये खूं न निकला"।

पेशतर इसके कि मैं उनकीं उठाई हुई आपत्तियों का जवाब दूं, मैं आपकी और सदन की सहायता चाहता हूं कि मेरी बातों को कृपया सुनें। इस सम्बन्ध में मेरी जो भ्रान्ति है, उसको दूर करने की चेष्टा करें। मान्यवर, देखें कि इस सदन का निर्माण किस प्रकार से होता है और सरकार का निर्माण किस प्रकार से होता है ? जाहिर है कि मैनिफेस्टो के आधार पर और चुनाव के आधार पर और संविधान में जो सरकार बनाने की व्यवस्था है, उसके अनुसार हम सरकार बनाते हैं। निश्चय रूप से उसी तरह से इस वक्त जो सरकार है, वह पदासीन है। जो भी सरकार पदासीन है वह अपने मैनिफैस्टो के अनुसार नीतियों का निर्माण कर रही है। यह प्रथा रही है कि उन नीतियों की घोषणा हर वर्ष महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में और चुनाव के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवराज सिंह]

पश्चात् भी जब आम चुनाव होते हैं उन नीतियों की चर्चा होती है और उन नीतियों के अनुरूप दो प्रकार से बजट बनाकर वित्तीय परियोजनाओं के माध्यम से और अधिनियम बना कर उन नीतियों को नियोजित करती है। यह जम्हूरियत का उसूल है। कभी भी विरोधी दल को नीतियों के निर्माण करने का अधिकार नहीं है। यह जम्हूरियत के खिलाफ है, पार्लियामेंटरी पद्धति के बरअक्स है कि विरोधीदल में बैठकर नीतियों का निर्माण करें और जो सरकार सामने बैठी हुई है उसको हुकुम दे कि तुम उन नीतियों को चलाओ।

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जहां तक सदन की प्रक्रिया नियमावली का सवाल है मैं आपकी आज्ञा से नियमावली के नियम १११ को पढ़े देता हूं जो इस प्रकार है—"प्रस्ताव की पुनरावृत्ति—अन्यथा उपबंधित अवस्था को छोड़कर यदि कोई प्रस्ताव लम्बित हो अथवा निस्तीर्ण किया जा चुका हो तो यथास्थिति प्रस्ताव के लम्बनकाल में अथवा उसके निस्तारण की तिथि से ६ महीने के भीतर कोई ऐसा प्रस्ताव या संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जायगा जिसमें सारतः वही वाद-विषय या प्रश्न उठाया जाय जो पूर्व प्रस्ताव में अन्तर्निहित था।" क्या यह सही नहीं है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन पेश किये गये उन संशोधनों के अन्दर क्या वह सब के सब अंग मौजूद नहीं थे जो इस प्रस्ताव के अन्दर हैं? क्या वह सभी संशोधन गिरा नहीं दिये गये? इतना ही नहीं दूसरी बार जब इस सदन में लेखा अनुदान के प्रस्ताव आये तो हूबहू यही प्रस्ताव संशोधन के रूप में उस वक्त भी पेश किया गया और कुछ ही समय के अन्दर इसी आदरणीय सदन में वे संशोधन के प्रस्ताव भी गिरा दिये गये। यह तीसरा प्रयास है। तो क्या, श्रीमन्, यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? क्या इस प्रकार से ५ रोज इस आदरणीय सदन को चला कर जनता के धन का अपव्यय नहीं है? इस प्रस्ताव को लाकर निश्चित रूप से जम्हूरियत का हनन किया गया है, पार्लियामेंटरी प्रोसीजर के यह प्रतिकूल है, हमारे नियमों के भी प्रतिकूल है और ५ रोज तक इस सदन को चला कर कोई जनहित भी नहीं हुआ है, जनता का अहित ही हुआ है।

अब कुछ बातें जो यहां कही गयीं उनका जवाब मैं देने की कोशिश करूंगा। माननीय त्रिपाठी जी ने कहा था कि वर्तमान किसान छोटे किसानों के हामी नहीं हैं। क्या सबूत वह चाहते हैं मैं समझ नहीं पाया? मैं उनके सामने कुछ चीजें रिकार्ड से जो उनके सामने पेश की जा चुकी हैं पुनः प्रस्तुत करता हूं। क्या यह सही नहीं है कि ३.१/८ एकड़ तक के लगान की माफी का ऐलान यह सरकार कर चुकी है? इसमें संशय की बात नहीं है। माननीय सदस्य वार्षिक विवरण देख लें जो रिसीट की धनराशि है उस में हमने केवल ९ करोड़ १० लाख ८४ हजार आंका है। तो जो घोषणा लगान माफी की है उसे हम कार्यान्वित करने जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है जो उनके मन में शंका है कि एक बात कह दी, पता नहीं यह सरकार करेगी या नहीं करेगी? मैं जायसवाल जी की सेवा में यह साहित्य प्रस्तुत करता हूं। जब चर्चा की गयी छोटे किसानों की तो इसी आदरणीय सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुये मैंने निवेदन किया था कि चार जिलों में एक पायलट प्रोजेक्ट हम चलाने जा रहे हैं—बस्ती, गोंडा, प्रतापगढ़, चौथा नाम याद नहीं है। पिछले ३० वर्षों में कृषकों को मिलने वाली सुविधाओं के लिये जितनी भी प्रायोजनायें चलाई गयीं उनमें बड़े किसान ही मुस्तफीद हुये, छोटे किसान तक उसके अज्ञान, धनाभाव तथा रिसोर्सेज की कमी के कारण जो लाभ उसको उस वक्त की सरकारें देना चाहती थीं नहीं पहुंच सका। इसलिये इस प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं कि इस प्रदेश में छोटे किसान को लाभ देने के लिये क्यों न हम ऐसा कारपोरेशन बनायें जिसका मुख्य उद्देश्य केवल छोटे किसान को ही लाभ पहुंचाना हो।

इस आदरणीय सदन में यह भी कहा गया कि जो पिछड़े हुए क्षेत्र इस प्रदेश में हैं उनके लिये यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। मैं पुनः इसी सदन में बजट व लेखा अनुदान के समय दिये गये साहित्य की ओर माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें २५ लाख रुपया हमने

सप्लीमेंटरी ग्रांट में रखा है। इसलिये कि हम तीन कार्पोरेशन की स्थापना करना चाहते हैं। पूर्वांचल बुन्देलखंड तथा पर्वतीय विकास निगम की स्थापना। इस हेडिंग के अन्तर्गत प्रदेश में विकास कार्यक्रमों की गति को तीव्र करने तथा संस्थागत वित्तीय साधनों को एक स्थल पर एकत्रित करने के उद्देश्य से यह प्रदेश के पूर्वांचल, बुन्देलखंड तथा पर्वतीय क्षेत्र में एक एक विकास निगम स्थापित करने का निश्चय किया गया है। जिस सप्लीमेंटरी बजट को आपने पास किया है उसमें २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। हर एक निगम में दो करोड़ का शेयर होगा और आहिस्ता-आहिस्ता हम कृषि विभाग द्वारा लाने की चेष्टा करेंगे।

मैंने इसलिये कहा कि वर्तमान सरकार की नीति छोटे काश्तकारों को राहत देने के लिये है। बहुत-सी बातें कही गईं, उनका जवाब तो चौधरी साहब देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यहां पर कहा गया कि चौधरी साहब छोटे किसानों के मददगार नहीं हैं। इससे ज्यादा अन्याय और कोई उनके साथ नहीं हो सकता है। मैं उनको याद दिलाऊंगा कि सारे भारत के अन्दर एक स्टेट उत्तर प्रदेश ही ऐसी है, मैं इसमें केरल को भी शामिल करता हूं। वहां जमींदारी राइट आफ रिडम्पशन दिया गया है। यदि वे चाहें तो खुदकाश्त के लिये किसानों से जमीन छीन लें और अपनी जोत में ले लें। मेरे साथ केरल का एक जमींदार डेलीगेशन में था। उसने मुझे बताया कि तमाम काश्तकारों को धमका कर कि हम तुम से जमीन छीनने जा रहे हैं, सबसे पैसा वसूल कर लिया है। श्रीमन्, छोटे किसानों की हिमायत करने की दृष्टि से राइट आफ रिडम्पशन जमींदारों को हमारे यहां नहीं दिया गया है। जो किसान जमीन जोतते थे चाहे उनका गासिबाना ही कब्जा क्यों न हो उनको अधिकार दे दिया गया है। इस से ज्यादा हिमायत छोटे काश्तकारों की और क्या हो सकती है? कहने को अपना वाक्य है, अपनी शक्ति है, कुछ भी कह सकते हैं लेकिन इसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है कि चौधरी साहब जिन्दगी में कभी भी छोटे काश्तकारों के मुखालिफ रहे हों या ऐसी बात सोच सकते हों। मुझे भानुप्रताप जी की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। वह उस सरकार के जमाने के आरोप हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। इस सरकार ने धान के जाने पर कौन-सी रोक लगाई, यह मेरी समझ में नहीं आया।

मान्यवर, कहा गया कि सीलिंग के बारे में अभी सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है, बात सही है। विचारों में भिन्नता हो सकती है। हमारी सभ्यता विचारों की भिन्नता की आधार शिला पर बनी है। अगर हम सब का एक विचार हो जाय तो भेड़ियाधसान हो जायगा। हम कुछ सोच पाये हैं और अभी सोचना बाकी है। कोई कदम उठाने से पहले हम काफी विचार-विनिमय करेंगे, बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा कि विरोधी दल के लोगों से भी विचार करेंगे, यह बात सही है। मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने माननीय नेता, विरोधी दल के शब्दों को नोट कर लिया है। उन्होंने यह कहा कि २४ मार्च से जमीन के क्रय-विक्रय पर रोक लगा दी, बन्द कर दी।

मान्यवर, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमने कोई प्रतिबन्ध जमीनों के आदान-प्रदान में नहीं लगा रखा है और जहां तक सब-रजिस्ट्रारों द्वारा जमीन के क्रय-विक्रय को बन्द किया हुआ है, वह निश्चित रूप से अपनी जिम्मेदारी पर कर रहे हैं। आज प्रदेश में कोई भी रोक किसी सरकारी आदेश के अनुसार नहीं लगायी गयी। आदेश यदि पुराने हों, जिनमें लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट के संबंध में साढ़े बारह एकड़ से किसी के पास ज्यादा भूमि नहीं हो सकती, तो अगर उसके अन्तर्गत कुछ हुआ है, वह उस अधिकार के अनुसार है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)---

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मान कर कि बरेली और मेरठ में रजिस्ट्रार विवाह-शादियों के लिये १-१ एकड़ जमीनों के लिये भी रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं। क्या मंत्री जी उस संबंध में कोई ऐसे आदेश देंगे कि इतनी कम जमीनों के बेंचने पर कोई पाबन्दी न लगायी जाय?

श्री शिवराज सिंह—

मैं आभारी हूं माननीय मित्र का कि उन्होंने मेरी जानकारी २–३ जिलों के लिए कराई । लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं कि सरकार की ओर से जमीनों के बेंचने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है । लेकिन एक बात सही है कि जो यह सदन निश्चय करेगा हम वही करेंगे क्योंकि हम डेमोक्रेट हैं । जिस प्रकार का विधेयक यहां से पारित होगा, वह हमें करना होगा । यह बात हमने साफ कर दी है कि पिछली तारीखों में कोई ट्रांसफर न किया जाय । जिस तारीख में बेची जाय, उसी तारीख में रजिस्ट्री का हिसाब-किताब रखा जाय ।

वर्तमान सीलिंग के संबंध में कल चौधरी साहब कुछ कहेंगे, इसलिये मुझे उस संबंध में और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। केवल इतना ही कहूंगा कि इस प्रश्न को अभी अंतिम रूप से तय नहीं किया है । अभी तो उस पर विचार–विनिमय हो रहा है, अपने दल के बीच में और दूसरे दलों के साथ भी। सब के साथ बातचीत करने के बाद जो आखीर में तय पायेगा, वैसा कदम हम उठायेंगे । उसके बाद इस सदन को मौका मिलेगा कि उस पर वह अपनी राय दे ।

एक सदस्य—

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि महामान्य राज्यपाल के भाषण में जो ३० एकड़ की निश्चित रूप से घोषणा कर दी गयी थी क्या वह बिना सोचे समझे कर दी गयी थी ?

श्री शिवराज सिंह—

हमारा विचार उसी प्रकार का था और है लेकिन अब भी हमारा विचार खुला हुआ है ।

श्री गोविन्द सिंह (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

क्या माननीय मंत्री जी ने जो ३० एकड़ की घोषणा की, उसको वापस ले लिया है ?

श्री शिवराज सिंह—

वापस ले लिया है, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में निश्चित रूप से यह घोषणा की गयी थी, कि जोत की अधिकतम सीमा ४० एकड़ से घटा कर ३० एकड़ कर दी गयी है और उसमें जो पहले छूट दी गयी थी, उसको भी समाप्त कर दिया जायगा ।

श्री शिवराज सिंह—

मान्यवर, माननीय मित्र किस नियम के अनुसार बोल रहे हैं ? मैं अभी बैठा नहीं हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर आपके स्पष्टीकरण को सुनना वे पसंद करेंगे तो बैठ जायेंगे, लेकिन वे खड़े हुए हैं, बैठे नहीं हैं ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

ये माननीय मंत्री जी हैं उनको हमारा स्पष्टीकरण सुनना ही पड़ेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप को भी तो बोलने का मौका मिलेगा ।

श्री शिवराज सिंह—

(कुछ शोर मचने पर) जब आप व्यवधान करना चाहते हैं तो यह कला हमें भी आती है ।

माननीय त्रिपाठी जी ने अपने भाषण में यह भी कहा कि यह प्रांत की जनता की मांग है। मान्यवर, मैं त्रिपाठी जी को श्रेष्ठ और पार्लियामेंटरी पद्धति में माहिर मानता हूं। श्रीमन्, मैं उनसे यह जानने की चेष्टा करूंगा कि उन्होंने कौन-सी ऐसी मतगणना की, कहां-कहां जल्से किये कि जिनसे पता लगे कि इस सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उनके विरोध में जनता की यह मांग है कि सरकार हटाई जाय। श्रीमन्, मैं प्रदेश के किसी भी जिले में जहां पर कि माननीय सदस्य बतलावें जाने को तैयार हूं और इस सरकार ने जो भी कदम उठाये हैं उनको जनता के बीच रखने को तैयार हूं और फिर उस पब्लिक मीटिंग का नतीजा देख लें। मैं इस संबंध में किसी भी माननीय सदस्य को दावत देता हूं।

मान्यवर, कहा गया कि यह सरकार राजनैतिक चालों में लगी हुई है और अपनी शक्ति संचय करने का प्रयास कर रही है। मैं इस संबंध में दो बातें कहूंगा। यदि उनको आप तर्क समझ लेंगे तो मालूम हो जावेगा कि सत्य बात क्या है। क्या यह सत्य नहीं है कि आर० टी०ए० कमेटी की मेम्बरशिप अच्छी समझी जाती है और उस पर नियुक्त करने का माननीय सदस्यों का अधिकार वर्तमान सरकार को है लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। क्या यह सही नहीं है कि कोआपरेटिव संस्थाओं में मनोनीत करने का अधिकार इस विधान सभा के सदस्यों का सरकार के अधिकार की बात थी परन्तु ऐसा होते हुए भी प्रदेश के विभिन्न कोआपरेटिव संस्थाओं में किसी माननीय सदस्य को मनोनीत नहीं किया गया। जिन हथकंडों का प्रयोग पूर्वगामी सरकार करती आई है अपनी शक्ति संचय करने के लिए हमने उनका इस्तेमाल नहीं किया है। यह दो ही प्रमाण काफी हैं। हम सिद्धांत: जीवित रहना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव पेश किया है वह डेमोक्रेसी के खिलाफ है और जो तर्क पेश किये गये हैं वे केवल सुझाव मात्र दिये गये हैं। मैं भानु बाबू की स्पीच सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि वह अविश्वास पर बोल रहे हैं, कि बजट भाषण हो रहा है? उन्होंने जो सुझाव दिये हैं उन पर मैं विचार करूंगा। इतना कहने के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि नेता, विरोधी दल महसूस करेंगे कि उन्होंने यह प्रस्ताव लाकर सदन का समय बरबाद किया है और तुरन्त इसको वापस ले लेगें।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बाद में बोलेंगे।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

हमारी तरफ से एक ही सदस्य अभी तक बोला है और ३-४५ का समय हो रहा है, तो इसका खयाल रखा जाय।

कई सदस्य--

केवल एक ही सदस्य बोला है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी किसी से कम समय आपको नहीं मिला है।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी माननीय शिवराज सिंह का भाषण सुन रहा था। उस में जो सीलिंग के संबंध में उन्होंने दलील दी और उस पर जो प्रश्न हुये और स्पष्टीकरण अनन्त राम जायसवाल जी मांगना चाहते थे कि राज्यपाल जी ने अपने संभाषण में स्पष्ट रूप से

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

कहा था कि ३० एकड़ सीलिंग हुई और एक्जम्पशन्स समाप्त हुये और अब माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि अन्य बातों के अलावा इसके ऊपर संशोधन करेंगे । राज्यपाल जी के भाषण में निश्चित रूप से कहा गया है कि एक परिवार जिसमें खातेदार, उसकी पत्नी अथवा उसका पति व उसके नाबालिग बच्चे शामिल होंगे, कुल मिलाकर ३० एकड़ से अधिक भूमि न रख सकेंगे और बागों व सहकारी समितियों को जो अधिकतम जोत सीमा से छूट मिली है, वह समाप्त हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, इतनी स्पष्ट घोषणा इस नीति की एक ओर राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में करवाई गई और दूसरी ओर जब माननीय त्रिपाठी जी का जादू चला तो नीति बदलने लगी। उस दिन मैंने भी प्रश्न किया था और अल्प सूचित तारांकित प्रश्न किया था और उस दिन माननीय मुख्य मंत्री जी यहां उपस्थित थे और स्पीकर साहब के इतना कहने पर कि सरकार उत्तर नहीं दे रही है आप जो चाहें निष्कर्ष निकाल लें, इस वाक्य को कहने के बाद भी सरकार की ओर से स्पष्टीकरण उसका नहीं हुआ। माननीय शिवराज सिंह जी से पूछा गया कि क्या आपकी अधिकतम सीमा की नीति बदलने लगी तो उसको भी स्पष्ट नहीं किया गया। यही कारण है कि अविश्वास का प्रस्ताव आप के विरुद्ध आया । दूसरा कोई कारण नहीं है।

(मेजें थपथपाई गईं)

सरकार की जो इस प्रकार से नीति विहीनता है वही सबसे बड़ा कारण है इस अविश्वास के प्रस्ताव के लिए और इसी से सरकार का पतन होगा। जब कोई नीति होती है और उस पर किसी प्रकार का पोलिटिकल प्रेशर दूसरी तरफ से पड़ता है, आज जिनकी कृपा पर यह माइनारिटी की सरकार है, जिन पर वह आधारित है उनका जब प्रेशर पड़ने लगा तब नीति खिसकने लगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कहते हैं कि इधर राजा लोग बैठे हैं तो उधर भी बहुत से राजे बैठे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिवराज सिंह जी ने जो प्रश्न किया कि इतना सब होने के बाद भी अविश्वास का प्रस्ताव क्यों आया इसके बारे में मैं फिर यही कहूंगा कि नीति विहीनता ही इसका आधार है और इसी आधार पर विचार करना है। मैं चाहता था कि जब चौधरी साहब यहां पर हों तब मैं अपनी बात कहता । मेरा चौधरी साहब से आत्मीय संबंध है। शिवराज सिंह जी भी इस बात को जानते हैं । मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, करता था और आज भी करता हूं । दो बातें उनकी आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं । जब वह रेवेन्यू मिनिस्टर थे और इधर से चकबन्दी विभाग के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप होने लगे उस समय चौधरी साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं माननीय सदस्यों का आवाहन करता हूं कि यदि वे किसी भी भ्रष्ट कर्मचारी के बारे में निश्चित रूप से जानकारी करके लिखित रूप में शिकायत देंगे तो मैं तुरन्त ही उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही करूंगा । यदि उसकी शिकायत सही पाई गई तो उसको निकाल दूंगा । उनके यह शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं । श्रीमन्, आज उसके बिल्कुल विपरीत आचरण हो रहा है।

दूसरी बात उन्होंने यहां पर तब कही थी जब वे पुलिस मंत्री थे । जिस समय यहां पर ला ऐंड आर्डर का प्रश्न उठा था चौधरी साहब ने स्पष्ट कहा था कि मैं सारे सदस्यों से प्रार्थना करता हूं, चाहे वे किसी दल के हों, कि ऐंटी सोशल एलीमेंट्स को संरक्षण न दे; और आज मुख्य मंत्री होते ही केसेज के विदड्राल शुरू हो गये। विदड्राल क्यों हुए, क्या कारण है ? जो व्यक्ति नैतिकता का इतना प्रबल समर्थक हो, खड़े हो कर सदन में कहे और कहे ही नहीं बल्कि कदम भी उठाये, आज वही व्यक्ति मुख्य मंत्री बनते ही ऐसा क्यों झुक गया कि न्यायालयों से केसेज का विदड्राल शुरू कर दिया । केसेज अगर झूठे थे और गलत थे और पोलिटिकल परसिक्यूशन हुये थे, तो उन्हें न्यायालयों में झूठे साबित होने देने चाहिये थे । अगर वे

केसेज सही थे तो न्यायालयों में चलने देने चाहिये थे। यह तो उन्होंने वही कृत्य कर दिया जो श्री चन्द्रभानु गुप्त मुख्य मंत्री बनते ही किया करते थे। मुझे इसके कहने में जरा भी हिचक नहीं है, क्योंकि जनसंघ पार्टी और हम जौनपुर के निवासी उसके भुक्तभोगी रहे हैं। माननीय कमलापति त्रिपाठी इस बात से भलीभांति परिचित हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब चौधरी साहब की इतनी बड़ी प्रतिष्ठा थी तब उन्होंने न्यायालयों से केसेज का विदड्राल कैसे शुरू कर दिया। यदि केसेज झूठे थे तो न्यायालयों में झूठे साबित होने देने चाहिये थे। विदड्राल की क्या आवश्यकता पड़ गयी और विदड्राल के लिये क्या जल्दी पड़ गयी? मैं मान लेता हूं विचार करने के लिए कि केसेज झूठे रहे होंगे तो उन केसेज को चलने देते, झूठे साबित होने देते। आपने क्यों विदड्राल किया? आपने वही कदम उठा लिये जिनकी आप कड़ी से कड़ी आलोचना करते थे, मंत्री पद पर रह कर भी और इधर बैठ कर भी। मुझे इसका दुख है। मुझे तो यह देखने को आज मिल रहा है कि दो प्रकार के चौधरी चरण सिंह हो गये हैं एक तो वह चौधरी चरण सिंह जो नैतिकता की बात करते हैं और दूसरे वे चौधरी चरण सिंह जो कुर्सी पर बैठकर नैतिकता को भूल चुके हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज उन्हीं के मुख्य मंत्रित्व काल में आंकड़े छपे। एक महीने के अन्दर जरायम की संख्या २०० है। क्यों जुर्म बढ़े। वह घोषणा कहां चली गयी कि हमारे मुख्य मंत्रित्व काल में गल्ले के दाम गिरेंगे। आज एक किलोग्राम गेहूं १ रु० ४० पैसे और १ रु० ५० पैसे बिक रहा है। ये दाम क्यों बढ़ गये हैं? घी का अकाल पड़ गया है। घी के लिए लाइन लगती है। श्रीमन्, एक आश्चर्यजनक बात है इस सिलसिले में। आज ही उधर के एक माननीय सदस्य ने, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, वे चाहेंगे तो नाम भी बता दूंगा, बताया कि कानपुर कोआपरेटिव मिल्क सप्लाई यूनियन नामक एक संस्था है। इस संस्था में करीब २०,०००–२२,००० लीटर्स घी पड़ा हुआ है। क्यों नहीं उस घी को लाकर बाजार में बेचा जा रहा है? उसके न बेचने का कारण यह है कि किसी घी के दलाल या ब्लैक मार्केटियर से कुछ सांठगांठ है और इसलिये उसको मार्केट में नहीं लाया जा रहा है। सांठगांठ इसलिये है कि अगर मध्यावधि चुनाव हो गया तो कुछ सहयता हो जायेगी। यह हालत है, मान्यवर। क्या यह प्रशासन कुशल है? चौधरी चरण सिंह के प्रशासन कुशलता की बात मैंने देखी है। घटना के पहले ही कदम उठा लिया करते थे और आज शहरों में आग लग रही है क्यों यह दुर्व्यवस्था फैल रही है। क्या कारण है कि वही चौधरी साहब नैतिकता से हट गये हैं और आज अनैतिकता की बात करते हैं? अनैतिक गठबंधन होता है। तो श्रीमन्, प्रेशर के कारण आदमी काम नहीं कर सकता है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, परन्तु माननीय त्रिपाठी जी से पूछता हूं कि आपका और चौधरी साहब का गठबंधन कैसे हुआ।

श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला वाराणसी)—

जैसे आपका और सिंडीकेट का।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

हम तो बिना समाजवाद के हैं। आप तो समाजवादी हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन गठबंधनों के बारे में भगवान ही जाने। इनका तो समाजवाद का नारा है और चौधरी साहब समाजवाद में बिलकुल विश्वास नहीं करते हैं।

श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा)—

राजा साहब का समाजवाद से क्या वास्ता? राजा लोग तो बराबर गरीबों पर डंडे मारते थे और सताया ही करते थे।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

शायद मेरे मित्र को पता नहीं है और वे अनर्गल भाषण ही दे रहे हैं। मैं अपनी रियासत की बात कहता हूं कि मेरी रियासत में एक भी हरिजन भूमि हीन नहीं रह गया है, सब को जमीन मिल गयी है और मैं चुनौती देता हूं कि अगर इसके लिए प्रमाण चाहिये तो माननीय

[श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे]

त्रिपाठी जी से पूछ लें । जब कोई अनर्गल बातें करने लगता है तो पता लगता है कि मनुष्य की बुद्धि में दिशा भ्रम हो गया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय त्रिपाठी जी और चौधरी साहब अनैतिक समाजवाद का नारा लगा रहे हैं। एक ओर तो समाजवाद के लिए अन्तरात्मा की पुकार है, भगवान जानें वह कैसा समाजवाद है और दूसरी ओर गांधीवादी समाजवाद का नारा है। गांधीवादी समाजवाद में तो अर्थ व्यवस्था स्वदेशीकरण की है। स्वदेशीकरण में यह है कि हमारी योजना, रचना, आचरण सब स्वदेशी हो । लेकिन आपका यह समाजवाद कैसा है ? एक तरफ तो अन्तरात्मा की पुकार के नाम पर समाजवाद की बात करते हैं और दूसरी तरफ दलबदल का रास्ता अपनाते हैं जो अनैतिकता और पतन के मार्ग पर जाने वाला है।

मैं घोषणा में नहीं जाता, समाजवाद तो ऐसा होना चाहिये जो व्यवहारिक हो । गांधीवादी समाजवाद तो वह है जिसमें सत्य का पूर्ण मूल्य मिले, जो बात कही जाय उस पर अडिग रहें । पहले तो हम रणछोड़ की बात सुना करते थे लेकिन अब बात छोड़ भी होने लगे । मुझे क्षमा करें यह कहने के लिए कि आज प्रचार होता है, व्यक्तिगत बातचीत होती है और दूसरी ओर कुर्सी है जो अनैतिक पतन का समाजवादी चोला है। यह समाजवाद केवल अनैतिकवाद और कुर्सीवाद बन कर रह गया है, दूसरा कुछ नहीं है। गांधीवादी समाजवाद और अनैतिकता के पुजारी जो चौधरी साहब हैं उन्होंने कुर्सीवादी समाजवाद से कैसे गठबंधन कर लिया । पहले चौधरी साहब कहा करते थे कि मुख्य मंत्री के ऊपर कोई नहीं होना चाहिये लेकिन आज समन्वय समिति बना दी और माननीय त्रिपाठी जी का जो मधुर शब्दों में भाषण हुआ, उसमें उन्होंने कहा था कि सवा ६ एकड़ तक का लगान माफ कीजिये अन्यथा मैं यहां नहीं रहने का। एक तरह से यह उनका थ्रेट था। नकेल उधर, सरकार इधर । यह तो वह प्राणी हो गया श्रीमन्, जिसको सृष्टि में न संतान होती है, न गर्भ रहता और न आगे ही संतान की आशा रहती है। चौधरी साहब ने और माननीय त्रिपाठी जी ने, मुझे बड़ा दुख है कहते हुये, हालांकि मैं माननीय त्रिपाठी जी का बड़ा आदर करता हूं "आत्मा की पुकार" शब्दों के खेल में, 'समाजवाद' शब्द के खेल में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को प्रश्रय दिया। इससे कितना नैतिक पतन हुआ है।

(लाल बत्ती होने पर)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी तो मैंने अपनी बात कही ही नहीं। बहुत-सा समय तो दूसरों के जवाब देने में ही निकल गया। मैं नैतिक पतन की बात कह रहा था। इस नैतिक पतन के कारण सारे देश में विघटन हो रहा है। बंगाल में देखिये जहां ऐसे लोग हैं जो चीन से अस्त्र लेकर वितरण करने में गर्व अनुभव करते हैं। मद्रास में डी०एम०के० की लूस फैडरेशन की मांग क्या है ? इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दीजिये। आज हमने नैतिकता का आधार छोड़ दिया। भ्रष्टाचार इसीलिये बढ़ा और इस भ्रष्टाचार में लोग हीनता का अनुभव नहीं करते बल्कि गौरव का अनुभव करते हैं। आज जब ऐसी स्थिति है कि देश में भ्रष्टाचार फैल रहा है तो हमने नैतिकता का अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिये त्याग कर दिया और अनैतिक आचरण का आदर्श देश और प्रदेश के समक्ष खड़ा कर दिया। आप मुझे क्षमा करेंगे यह कहने के लिये कि यह जो बेमेल सरकार बनी है यह केवल डिफेक्शन (defection) से बनी है। क्या डिफैक्शन नैतिक है ? मैं किसी एक दल से जीत कर आता हूं। विचारों में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन अगर मैं विचारों में परिवर्तन के कारण अपने दल को बदलता हूं तो मुझे अपनी सीट से इस्तीफा देना चाहिये और फिर वोटर के सामने जाना चाहिये। नैतिकता के मायने यह नहीं कि कुर्सी के लालच में कभी इधर कभी उधर। आज तो नैतिकता रह ही नहीं गयी, वह कुर्सी का व्यापार बन गयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब एक बड़ा प्रश्न है सवा छः एकड़ की लगान माफी का। चौधरी साहब जब अभिभाषण पर (राज्यपाल के) बोल रहे थे तो उन्होंने बड़े जोर से कहा कि सवा छः एकड़ की जोत अनइकनोमिक नहीं रह गयी है। उनका यह विचार हो सकता है। लेकिन

मैं एक दूसरा विचार उनके सामने रखता हूं। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूं। आजकल एक्सपर्ट की बड़ी कद्र है। अगर वह दिन को रात कह दे तो हम सभी दिन को रात कहनें लगें। श्रीमन्, थोड़ा विचार कीजिये कि आज किसान की रीयल परचेजिंग पावर क्या है। मान लीजिये सन् ३० में उसको जमीन से ४० रुपया मिलता था। लेकिन उससे वह क्या खरीद सकता था? पांच रुपये में ४० गज आम छाप मारकीन कपड़ा, २५ या ३० रुपये में बढ़िया से जोड़ी बैल ले सकता था और दैनिक जीवन के व्यवहार की चीजें भी उतनी सस्ती थी जैसे दो रुपया मन गल्ला मान लीजिये। लेकिन आज उसने दस मन गल्ला पैदा कर लिया और ४० के हिसाब से बेचा तो ४०० रुपये पाये। लेकिन उसका बाकी खर्चा क्या हो गया? २५ रुपये जोड़ी बैल पांच सौ का हो गया।

एक सदस्य (सरकारी बेंच की ओर से)—

राजा साहब को बैलों की कीमत नहीं मालूम।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

अब वे फुट्टैल बैल हो गये, कौन खरीदेगा।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

राजा साहब एक को भी नहीं खरीद सकते।

श्री यादवेंन्द्र दत्त दुबे—

खरीदने लायक हो तो खरीदें।

श्री महीलाल—

खेतिहर मजदूरों का रोजगार छीनने के लिये ट्रैक्टर हैं।

श्री यादवेन्द्र दत्त दुबे—

ट्रैक्टर तो आपके पास हैं, हमारे पास तो हैं नहीं। क्यों परेशान होते हैं महीलाल जी? मुझे तो महीलाल जी का वह दिन भी याद है कि जब इधर थे तब क्या बोलते थे और जब उधर हैं तब क्या बोलते हैं। सृष्टि में एक चीज जो रंग बदलती है उससे भी तेज यह रंग बदलते हैं।

मैं कह रहा था कि आज उसके जीवन-स्तर को रखने के लिये खर्चा भी उसका बढ़ गया है। यदि आमदनी २० गुना बढ़ी है तो महंगाई भी २० गुना बढ़ गयी है। तो वास्तव में देखें तो उसके नेट इन्कम आज वही है जो १९३० में थी और १९३० में अगर सवा ६ एकड़ अनएकोनामिक थी तो आज कोई कारण नहीं है कि वह न हो। यह जो आज इन्फ्लेशनरी पालिसी चली है जिसके कारण मुद्रा स्फीति हो गयी है उसकी वजह से सवा ६ एकड़ आज भी अनएकोनामिक है और चौधरी साहब को इसे मानना चाहिये।

मैं एक बात और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। चौधरी साहब ने और शिवराज सिंह जी ने भी गन्ना मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात कही। वह राष्ट्रीयकरण है या राज्यीकरण है, भगवान जाने क्या है, परन्तु मैं एक पूछता हूं कि जब वनस्पति घी का इतना जबरदस्त अकाल पड़ा हुआ है तो सूबे के अन्दर जो वेजिटेबिल घी की फैक्टरियां हैं उनको क्यों नहीं चौधरी साहब ने नेशनलाइज किया? क्या इसका यह कारण है कि मोरी साहब भी उससे अफेक्टेड होंगे? अगर जनहित की बात आप कहते हैं तो जनहित इसमें है कि जो उद्योग समाज के लिये समस्या पैदा करे उसे सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिये वह नहीं किया। इसीलिये कहा जाता है कि आपका कार्य जनहित में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप एक मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे—

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। अभी हाई कोर्ट में एक जजमेंट हुआ जिसमें जस्टिस मिश्रा ने कहा है कि 'टैम्परिंग आफ वोट्स इन हाई कोर्ट"। आज इस प्रकार के क्राइम बढ़ रहे हैं। यह मानना पड़ेगा कि बैलट बाक्स के माध्यम से जो शासनतन्त्र चलाये जाने का एक प्रयास हुआ उसमें एक क्रान्ति हुई, देश के आदमी का सोचने का तरीका, गलत या सही यह दूसरी बात है। उस क्रान्ति के मार्ग में भी बाधा पड़ने लगी और टैम्परिंग होने लगी। उस जजमेंट के बाद जिन्होंने टैम्परिंग किया उनके विरुद्ध आपने क्या कदम उठाये? कोई भी कदम नहीं उठाये। जजमेंट हो गया, एक जीत गया, दूसरा हार गया। यह इम्मैटीरियल है। जिन्होंने टैम्परिंग की उसके लिये उनको क्यों नहीं दंड दिया गया? इस सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया इस कारण इस सरकार में विश्वास नहीं है और इसीलिये यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है। यह कहना कि अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया गया, वही बातें कही गयीं, तो बातें वह नहीं हैं। आपके एक महीने के शासन ने इस प्रदेश में बेहद महंगाई बढ़ा दी है, सारे प्रदेश में अशान्ति पैदा हो गयी है। लोगों के अन्दर एक प्रकार का भय पैदा हो गया है जिसे प्रदेश की और समाज की अन्तर-शान्ति खतरे में पड़ गयी है। आपने अनैतिकता को प्रश्रय दिया है। इसलिय यह अविश्वास का प्रस्ताव आया है और इन शब्दों के साथ में अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री चतुर्भुज शर्मा (जिला जालौन)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल को बधाई देता हूं कि उन्होंने यहां एक लम्बा भाषण दिया। मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे पुराने मित्र और साथी चौधरी गिरधारीलाल जी इस समय नेता विरोधी दल हैं। जहांतक मुझे याद है वह इस सदन में सबसे पुराने मंत्री हैं जो मंत्री लोग मौजूद हैं उन में। गुप्ता जी और श्री चरण सह जी से भी पहले वह मंत्री बने थे और वह कांग्रेस सरकार के जमाने मे बने थे। मैं इसलिये कांग्रेस सरकार का नाम ले रहा हूं क्योंकि हम सब को मेज पार्लियामेंटरी पद्धतियों को मानना चाहिये, हम जब उनकी बात करते हैं तो जहां तक हो सकता है हम उनको मानते भी हैं लेकिन हिन्दुतान में कांग्रेस ही एक ऐसी संस्था है कि जिसने ऐसी परम्परायें कायम की हैं कि आज कोई चाहे किसी दल में भी हो लेकिन कभी न कभी उसका सम्बन्ध किसी तरह से कांग्रेस से था। उन्हीं परम्पराओं से हमने जनतन्त्र और समाजवाद का सबक सब को सिखाया है। कांग्रेस ने ही आज लोगों को जनतन्त्र के प्रति अच्छी आस्था दी है।

मुझे अफसोस है इस बात का कि आज हमें नैतिकता की शिक्षा वह लोग देते हैं कि जिनको हम लोग कभी नैतिकता की शिक्षा दिया करते थे। ताल्लुकेदार साहबान और राजा साहबान जिन्होंने बड़े-बड़े अनैतिकता के काम किये और यू०पी० में जो खास तौर से उनके काम हुये और उनके जिन अत्याचारों और अन्यायों का निर्मूलन कांग्रेस सरकार ने किया और जो नई पद्धतियां यहां डालीं हैं उनकी ओर ध्यान न देकर हमारे चौधरी साहब' ' 'चौधरी साहबतो दोनों हैं, इधर नेता सदन है तो उधर वह नेता विरोधी दल है, दोनों आमने-सामने बैठे हैं, लेकिन चौधरी के माने होते हैं 'विवेकशील' पंच जो लोगों के झगड़ों का निबटारा करे। इसलिये चौधरी साहबान जरा धैर्य अपने में पैदा करें चाहे इधर के हों या उधर के हों। पहले जब कांग्रेस सरकार यहां थी तो उसमें चौधरी साहब, हम और लक्ष्मी रमण जी सभी शामिल थे और जब तक हम उसमें शामिल थे और उस वक्त अच्छे बुरे जो भी काम हुये उन सबकी हम जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन अफसोस हमें इसबात का है कि जबसे हमारे साथी उधर गये हैं उनको एक छूत की बीमारी लग गई है, वह सेन्ट्राफोबिया की खतरनाक बीमारी हमारे दोस्तों को लग गई है लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने उस बीमारी के लिये ऐसे डाक्टर की सलाह ली जो पहले से ही उस बीमारी में मुबतला था। तो इस बीच में जो काम हुये वे उन के नये डाक्टर की सलाह से हुये। नेता विरोधी दल हमारे पुराने साथी हैं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन उनकी इस बीमारी का परिणाम यह हुआ कि आधे कांग्रेस के लोग इधर बैठे हैं और आधे उधर बैठे हैं। फिर भी हम तो वहीं हैं, हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी है जगह तो उन्होंने छोड़ी है लेकिन आज भी उनके लिये यहां स्थान सुरक्षित है।

यह वह माइनारिटी गवर्नमेंट नहीं है जिस तरह से कि उधर के लोगों ने ढाई माह तक माइनारिटी गवर्नमेंट चलाई और जो ऐसी गवर्नमेंट थी कि जिसने असेम्बली का मुंह ही नहीं देखा। असेम्बली नहीं थी और असेम्बली जब बैठीतब वे बिदाहो गयेथे क्योंकि मौत दिखाई देती कि मौत आने वाली है। उसके डर से बहुत हाथ पैर खींचे लेकिन सन्निपात की बीमारी हो गयी थी। तो उस समय इन्होंने वे काम किये कि सब संतुलन ही खो दिया। आज यह बीमारी इस प्रदेश को सही रास्ते पर ले जाने के बजाय गलत रास्ते पर ले गयी। दूसरे इन्होंने लांछन लगाते वक्त नहीं सोचा कि उसके हम ही जिम्मेदार हैं हम चाहे केन्द्र में हों, या प्रदेश में हों। आज भी मैं अपने मित्रों को आमंत्रित करता हूं कि सही रास्ता अपनायें और जहां उनका स्थान है वहीं आकर बैठें।

माननीय नेता विरोधी दल ने अपने व्याख्यान में कहा कि इस शासन को लकवा लग गया है। यह मैजोरिटी गवर्नमेंट है, माइनोरिटी नहीं। यह बात इस हाउस में साबित हो गयी है और कल भी साबित हो जायगी और बराबर साबित होती रहेगी। आखिर लकवे का क्या मतलब है? मान्यवर, लकवा लगा था इनकी सरकार को जब इन्होंने ३ महीने के अन्दर न जाने कितने ऐसे काम कर डाले जो शोभनीय नहीं हैं। मैं अपने जिले जालौन की बात जानता हूं कि वहां पर डिस्टिक्ट मैजिस्टेट को इसलिये ट्रान्सफर किया गया कि उससे कहा गया था कि तुम प्रयास करो कि एक सदस्य उनकी तरफ हो जाय। फिर सिफारिश होने पर ट्रान्सफर कैंसिल हुआ। उसके बाद ७–७ मंत्री जालौन में जाते हैं और कोशिश करते हैं और कहते हैं डिप्टी कलेक्टर से कि सदस्य को हमारी ओर कराओ। वह मना कर देता है और कहता है कि सदस्य बहुत बड़ी चीज है मैं तो एक सरकारी छोटा-सा अधिकारी हूं। फिर उसका चमोली में तबादला होता है। अन्दाजा लगाइये कि उसका ट्रान्सफर जालौन से चमोली किया गया क्योंकि वह आज्ञा का पालन नहीं कर सका। इसी प्रकार से न जाने सैकड़ों काम हुये हैं। तब उनकी सरकार को लकवा लगा था कि किस प्रकार से उन्होंने माइनारिटी की गवर्नमेंट को चलाया और उसको बचाने के लिये जो कुछ भी करना था, सही या गलत, किया और आज यहां पर नैतिकता की दुहायी दी जाती है। इस ओर बैठने वालों को कुर्सियों की परवाह नहीं है लेकिन कोई दल अगर सरकार में आता है तो अपनी पालिसी के अनुसार सरकार में काम करता है। सरकार के द्वारा ही हर दल अपनी पालिसियों को चलाने का प्रयास करता है।

आज जनसंघ के नेता ने श्री हिदायतउल्ला साहब के बयान का हवाला देते हुये कहा कि जहां पर ऐसी हरकतें हो रही हों, वहां पर कैसे नैतिकता बर्ती जा सकती है। माननीय नेता विरोधी दल से, जिन्होंने बहुत दिनों तक हमारे साथ बैठ कर काम किया है, प्रार्थना करना चाहता हूं कि क्या कभी उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में, जिस प्रकार की बातें यहां पर राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय से लेकर रोज बरोज सदन में हुयी है, देखी हैं।

(व्यवधान के बीच)

श्री बाकेलाल—

जब चौधरी चरणसिंह नेता विरोधी दल थे तो क्या उनकी तरफ से जूते नहीं फेंके गये थे? आपके साथ जो नैनीताल में घटना हुई, जो आपने मंत्री रहते हुये नैनीताल में किया, सतिया कांड हुआ, वह सब क्या था?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

यह कहा गया कि यह सरकार हरिजन विरोधी है। मैं इसे नहीं मानता। उसका सबूत मैं देता हूं और वह यह है कि आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें जितने हमने हरिजन

श्री चतुर्भुज शर्मा]

उम्मीदवारों को खड़ा किया है उतना किसी अन्य पार्टी ने नहीं किया। आज हमारी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वे एक तपेतपाये हरिजन नेता ही हैं। जो प्रगतिशील लोग हैं चाहे वे कम्युनिस्ट हों, चाहे सोशलिस्ट हों, आज वे हमारे साथ हैं (व्यवधान)।

श्री रियासत हुसैन—

मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जगजीवनराम आदि का नाम लिया, क्या वे नेता विरोधी दल को कोई इन्वीटेशन तो नहीं दे रहे हैं, उनकी तरफ आने का ?

(व्यवधान)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वह तो है ही, आपके लिए भी है। जो चाहे इधर आ सकता है।

हां, तो हरिजन विरोधी बात पर मैं कह रहा था कि यह सरकार हरिजन विरोधी है मैं यह नहीं मान सकता। मैं चौधरी साहब से यह कहना चाहता हूं कि अभी तो कोई काम हुआ ही नहीं है। हमें समय कितना मिला है ? लेकिन मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे हरिजन हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे छोटा किसान हो, हम उन नीतियों को चलायेंगे जिनसे उनका फायदा होगा। अगर यह नहीं होगा तो फिर समाजवाद नहीं होगा। वह चाहे गांधियन समाजवाद हो, चाहे कोई समाजवाद हो। हमारा प्रयास सदैव छोटे लोगों को ऊपर उठाने का रहेगा और उसी के लिये हम कोशिश करेंगे।

एक बात मैं और अर्ज कर देना चाहता हूं। आज कांग्रेस की तीन पार्टियां हो गयी हैं, लेकिन जितने लोग यहां बैठे हैं उनमें ९० फीसदी कांग्रेसी हैं। तीनों की रेखायें एक हैं, इनका कलर एक है, इनके विचार एक हैं। (व्यवधान) क्या यह सही नहीं है कि चौधरी चरण सिंह को आप भी मुख्य मंत्री बना रहे थे ? चौधरी चरणसिंह जी ने प्रगतशील दल के साथ गठबन्धन करना ठीक समझा और उन्होंने इसी में प्रदेश का हित समझा।

(व्यवधान)

अब श्रीमन्, सवा छः एकड़ की बात बारबार कही जाती है। वह एक आदर्श वाक्य बन गया है। इसमें तो जनसंघ भाई भी सबसे आगे हो गये। भाई इसमें हमीं ने शुरुआत की थी। हमारे समाजवादी भाई जिनको मैं मानता हूं कि वह भी हमसे निकले हुये हैं, उन्होंने इस पर ज्यादा बल दिया। लेकिन हमारे साथियों ने देखा होगा कि जब छोटे-मोटे किसानों की बातें आती हैं तो हम लोग कितने जागरुक रहते हैं, हमारे चौधरी साहब और उनकी सरकार उस ओर कितना अधिक ध्यान देती है। सब से पहले हम लोग चाहे जो बात किसानों के हित में हो उसकी हिमायत करते हैं। एक छोटी-सी बात जोत–बही की कीमत लगाने की बात थी। ५ रुपया शुरू में कीमत लगाई गई। ५ करोड़ रुपया हर साल छोटे किसानों से लिया जाता, उसको हमने प्रोटेस्ट करके कम कराया और अब इसको एक रुपया कराया है। आप समझ लीजिये किसानों के लिये हमें कितनी हमदर्दी थी। मैं आप से कहना चाहता हूं कि हरिजन, बैकवर्ड या भूमिहीन जमीन चाहता है या लगान माफी चाहता है ? किसको पहले चाहता है ?

श्री अनन्तराम जायसवाल—

किसान बेचारा शर्मा जी की बेगार करना चाहता है।

श्री चतर्भुज शर्मा—

वह जमीन चाहता है और साथ में कृषि के उन्नतिशील साधन चाहता है। आज जोर इस बात पर होना चाहिये कि जो जमीन लोगों ने धोखाधड़ी से हथिया रखी है, उसे उनके कब्जे से निकाला जाये। चीनी मिल मलिकों ने सैकड़ों एकड़ जमीन हस्तगत कर रखी है, उसको

निकालना चाहिये था । गांव समाज की १० लाख एकड़ जमीन निकली थी मेरे समय में । २–३ महीने और रह जाते हम लोग तो उसको भूमिहीनों में बंटवा देते । लेकिन उसके बाद में कुछ काम नहीं हुआ ।

हमने, हमारी इस सरकार ने सवा छः एकड़ के बजाय ३ १/८ एकड़ भूमि पर से लगान माफ किया है । तो क्या सवा तीन एकड़ भूमि वाले बड़े किसान हैं ? तो फिर क्यों कहा जाता है कि हम बड़े किसानों के हिमायती हैं ? साढ़े बारह एकड़ के किसान की माफी कहीं नहीं है, एक आदमी ने भले कह दिया हो । जो हुआ है वह देखो । इस लगान माफी से ७० फीसदी किसानों को अर्थात् १ करोड़ २२ लाख परिवारों को छूट मिल जायेगी । सवा छ एकड़ की माफी से छूट ८५ प्रतिशत किसानों को मिलती । तो केवल १५ प्रतिशत का अन्तर है । अभी यह हमने एक छोटा-सा एक्सपेरीमेंट किया है । एक दम से गला नहीं काटा तो क्या गलत किया है ? सवा छः एकड़ की लगान माफी, आबपाशी की दरों में छूट, अध्यापकों को ज्यादा तनख्वाहों और उन्हें कोषागार से वेतन देने सम्बन्धी सभी घोषणायें उनके द्वारा सन्निपात की अवस्था में की गई थीं, जब वे स्वस्थ नहीं थे । जोरों से अस्वस्थ थे, सन्निपात से पीड़ित थे । सन्निपात की अवस्था में कही गई बात मिसाल नहीं बन सकती, उस पर कोई विश्वास नहीं कर सकता । स्वस्थ अवस्था में कही गई बात का का ही महत्व हो सकता है । सवा छः एकड़ की बात कोई आदर्श वचन नहीं है । जिस समय सवा छः एकड़ की बात कही गई थी उस समय भाव दूसरे थे और जमीन में पैदावार भी कम होती थी, किन्तु आज काफी तरक्की हुई है । आज किसानों को पानी और खाद की आवश्यकता है । नेता विरोधी दल ने सब कुछ माफ करने की बात कही, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि फलां-फलां जगह टैक्स लगा देना चाहिये, जहां नहीं लगे है या कम लगे हैं । ताकि बजट पूरा हो । प्रोफशनल टैक्स भी खत्म हो जाय । लेकिन कैसे ? अपना गला काट लें । स्कूल बन्द कर दोगे, कालेज बन्द कर दोगे, सड़कें बन्द कर दोगे, पुलिस बन्द कर दोगे सब बन्द कर दोगे, केवल टैक्स माफ करते जाओगे, यह सरकार चलाने का तरीका है ?

श्री कल्पनाथ सिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, कितना समय दिया गया है माननीय सदस्यों को ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं यह कह रहा था कि जन संघ ने बड़े जोर से कहा कि माननीय त्रिपाठी जी ने चार्ज लगाया कि मुसलमानों के भारतीयकरण की मांग है । मुसलमान अपना धर्म छोड़ दें, यह कतई चार्ज नहीं लगाया गया है । लेकिन अगर आप कहते हैं कि भारतीयकरण करना है तो आप मानते हैं कि भारतीय नहीं हैं । अगर इतने बड़े समुदाय को जो ६–७ करोड़ हैं, उनको जो चार्ज लगाया जाता है कि वह भारतीय नहीं हैं, उनका भारतीयकरण होना चाहिये । (व्यवधान) यह बिलकुल गलत है । इसका सबूत यह है कि जब पाकिस्तान की लड़ाई हुई तो हमारे मुसलमान भाइयों ने सबसे पहले अपनी जान दी है । कोई ऐसा मौका नहीं आया है जहां उन्होंने देशभक्ति का सबूत नहीं दिया । आप जनता के लिये कह सकते हैं । जनता में गद्दार निकल सकते हैं, ईसाइयों में गद्दार निकल सकते है लेकिन किसी समुदाय को यह कहना कि वह भारतीय नहीं है, जो अपने को राष्ट्रीय दल कहता है, उसके लिये शोभा की बात नहीं है ।

हिन्दी के बारे में एक बात कह कर खत्म करूंगा । हिन्दी से हम सब को प्रेम है । लेकिन विरोधी दल के नेता से मैं कहूंगा कि इतने दिन वह मंत्री रहे, ज्यादातर पी० डब्ल्यू० डी० और इर्री गेशन उनके पास रहा है । कितने ऐसे इंजीनियर्स हैं जिन्होंने हिन्दी सीखी ? अंग्रेजी में चिट्ठियां जाती थीं जिनको हमनें रोका । हिन्दी चलाने की कोशिश की । लेकिन कौन दल ऐसा है जो हिन्दी नहीं चाहता है ? तो यह चीज कहां से हो गयी कि इस सरकार ने हिन्दी बन्द कर दी ? मैं कहता हूं कि आप थोड़ा-सा अपने दिल और दिमाग को स्वस्थ करें ।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

मैं आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि अगर हम लोग इस सरकार में रहेंगे, और समर्थन देंगे, तो कोई भी नीति गलत कायम नहीं होगी, सही-सही काम किया जायगा और जनता का हित किया जायगा। यही चौधरी साहब से आशा है ।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

माननीय सदस्य ने एक गलतबयानी की है उसका मै स्पष्टीकरण करना चाहता हूं । यह कहा है उन्होंने कि जन संघ ने मुसलमानों के भारतीयकरण के लिये कहा है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठिए ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

हमारा कहना यह है कि उन सब का भारतीयकरण होना चाहिये जो विदेशों से . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

आप अधिष्ठाता हैं । आपको बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये । मैंने श्री बृजराज सिंह को बुलाया है ।

*श्री ब्रजराज सिंह (जिला हमीरपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे समय में बोलने का मौका दिया कि जब मेरे पूज्य बापू शर्मा जी अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं क्योंकि वह बुन्देलखंड की तरफ से बोल रहे थे और मैं भी वहीं का रहने वाला एक छोटा सा सदस्य हूं । स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई चलने से आज तक हमारे बापू जी, जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, लगातार कांग्रेस के मेम्बर रहे और शायद जब से स्वतंत्रता मिली तब से ही कुछ समय को छोड़ कर लगातार मन्त्री रहे लेकिन मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने बुन्देलखंड के लिये क्या किया ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शर्मा जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि जब स्वामी प्रसाद सिंह जी उधर सदन में बैठते थे और न्याय मंत्री थे तो वे हमारे जिले में गये थे और वहां जाकर जेल का मुआयना किया था और जेलर को इस अपराध में पकड़ा था कि वह कैदियों को आधा खाना देता था । हमारे स्वामी प्रसाद जी ने यहां आकर मुख्य मंत्री को रिपोर्ट की तो उस समय हमारे चतुर्भुज शर्मा को बड़ी परेशानी हुई और उन्होंने मुख्य मंत्री पर इस बात का दबाव डाला कि उस जेलर को वहां से बदला न जाय । वह जेलर इनके इलेक्शन में लड़ने के लिये पूरा खर्चा इनको दिया करता था । वह जेलर उस राशन से कटौती करके उस धन को बचाया करता था जो इनको देता था । अगर यह चीज गलत हो तो स्वामी प्रसाद जी अभी आपके सामने इसकी सफाई दे सकते हैं ? यहां तक हुआ कि स्वामी प्रसाद जी पर माननीय त्रिपाठी जी ने इस बात का दबाव डाला कि वह अपनी शिकायत को वापस ले लें लेकिन स्वामी प्रसाद जी उस शिकायत को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हुये तो उनसे कहा गया कि तुमको मालूम है कि तुमको मिनिस्टर किस तरह से बनाया गया । स्वामी प्रसाद जी ने इसका जवाब दिया कि मैं अपनी किस्मत से मिनिस्टर बना हूं लेकिन वह किसी तरह से भी उस शिकायत को वापस लेने के लिये तैयार नहीं हुये । लेकिन उसके बाद भी उस जेलर को बचाया गया । जब एक आदमी इस प्रकार का जुर्म करता है कि आधा खाना कैदियों को देता है और अगर कोई कैदी शिकायत करता है तो उसको पिटवाता है तो वह किस कदर अपराधी है यह आप समझ सकते हैं ? इसके बाद शर्मा जी यहां पर गरीबों की दुहाई देते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह विषय सदन के सामने नहीं है। आप अपने को विषय तक ही सीमित रखें।

श्री ब्रजराज सिंह—

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि उन्होंने जो शब्द कहे थे मैं उनका ही जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने यह बात कही कि राजा और जमींदारों ने कितने अत्याचार किये हैं। लेकिन मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि हम जानते हैं कि इन्होंने भी कितने अत्याचार किये हैं। क्या ये जमींदार नहीं थे? इन्होंने गरीबों की हजारों बीघा जमीन जो वहां पर परती पड़ी थी उसको जमींदारों के हाथ में बांट दिया। जो जंगल थे वे आज भी जमींदारों के हाथ में हैं। वहां पर गरीब लोग एक एक इंच जमीन के लिये तरह रहे हैं

(व्यवधान)

चूंकि माननीय शर्मा जी ने इस तरह की बातें कहीं हैं तो मैं उनका जवाब दे रहा हूं। एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि लोग खेती नहीं करते लेकिन सैकड़ों बीघे दूसरे के नाम कराये हैं और फिर समाजवाद का नारा लगाया जाता है। इलेक्शन में गुन्डों को इस्तेमाल किया जाता है और मेरे जिले से कौन कौन से गुन्डे इलेक्शन में जाते हैं मैं उनके नाम बतला सकता हूं लेकिन समाजवाद की बड़ी दुहाई दी जाती है। छोटे किसानों की दुहाई दी जाती है। ६२ में इलेक्शन लड़ कर आया था। हमारे यहां चौअन्नी लगान का प्रस्ताव आया था। मने पार्टी मीटिंग में उसका विरोध किया तो चौधरी चरण सिंह ने कहा कि यह नया कांग्रेसी मालूम होता है। जब उनको मालूम हुआ कि मेरे पिता पराने कांग्रेसी हैं तो उन्होंने कहा कि फिर यह किस तरह से इसका विरोध कर रहा है?

सीलिंग लगाई गई है इसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन एक तरफ मेरठ में खेत खेत पर जगह-जगह ट्यूबवेल लगे हुए हैं। किसानों को अच्छे साधन उपलब्ध हैं। एक एक फसल में २०, २५ मन फी बीघा की पैदावार वहां होती ह लेकिन बन्देलखंड में साल भर में एक फसल होती है और फी बीघा केवल २ मन अनाज पैदा होता है। वहां पर तो ८० के बजाय ४५ कर दिया है और मेरठ में ३० बीघा कर दिया गया। वहां पर बड़ा किसान नहीं होता। मैं चाहता हूं कि बुन्देलखंड में सीलिंग कर दी जाय लेकिन मेरठ में जो सुविधायें किसानों को दी जा रही हैं वही आप बुन्देलखंड के किसानों को भी उपलब्ध कराये। स्वतंत्रता के बाद बुन्देलखंड में एक भी सड़क नहीं बनाई गयी, न नहर निकाली न ट्यूबवेल बनाये गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

गिरधारी लाल जी से पूछिये?

श्री ब्रजराज सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी की बात का समर्थन करता हूं लेकिन मैंने गुप्ता जी को बुन्देलखंड के सुधार के लिये रजामन्द कर लिया था कि वहां का एक आयोग बनाया जायगा लेकिन इस सरकार ने उसे विघटित कर दिया, तो आपसे किस बात की आशा की जाय?

आपके यहां और प्रदेश के दूसरे इलाकों में सब जगह जमीन एक सी है लेकिन बुन्देलखंड में जमीन पथरीली है, वहां पैदावार नहीं हो पाती। गरीब किसान जानवर चरा कर गुजारा करते हैं लेकिन जब उन जमीनों पर सीलिंग हो जायगी तो किस तरह से वह गुजारा कर कर सकते हैं? एक तरफ आप लाटरी पर इनाम देते हैं ५ लाख, ३ लाख का दूसरी तरफ आप सीलिंग करते हैं और गरीब किसान अपने पसीने को बहाकर जमीन जोत कर गल्ला पैदा करता है लेकिन उसे आप जमीन से महरूम करने जा रहे हैं। बड़े बड़े पूंजीपति खेती भी करेंगे, बाग भी लगायेंगे

[श्री ब्रजराज सिंह]

और मिलें भी लगायेंगे उन पर कोई कंट्रोल नहीं होगा लेकिन छोटे किसान पर सब प्रकार के कंट्रोल लगाने आप जा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जिस तरह की सुविधायें आप सारे उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं वैसी ही सुविधायें आप बुन्देलखंड को भी पहले दे दीजिये और फिर सीलिंग लगा दीजिये।

उधर के एक साथी ने कहा कि बापू जी ने कहा था और उसके मुताबिक हम जवानों को बढ़ावा देना चाहते हैं लेकिन जब बापू ही कुर्सी के लिये लड़ झगड़ रहे हों तो कैसे वह जवानों को बढ़ावा दे सकेंगे ? आज इन से कह दिया जाय कि आपको कुर्सी नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि फौरन दल बदल लें। मैं इस बात की उनकी तारीफ कर सकता हूं कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी है। लेकिन न जाने कितनी बार उन्होंने दल बदला है। इसकी वह दुहाई नहीं दे सकते हैं। गुप्ता जी के जब दिन अच्छे थे तो यह उनके साथ रहे और इसके बाद वे यह देख कर कि हो सकता है कि उधर उनको कुर्सी न मिले वे उधर चले गये। उन्होंने आज तक बुन्देलखंड का कुछ भला नहीं किया है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों पर लगान की जो छूट दी गई है उसमें समानता नहीं है। आज जमीनों के देखने की जरूरत है। कहीं लगान जमीन पर बहुत कम है तो कहीं बहुत ज्यादा है। हमारे यहां चराने वालों की जमीन का लगान एक बीघे पर आठ आने या चौदह आने है तो दूसरी तरफ कहीं-कहीं १४–१५ रुपये प्रति बीघा के हिसाब से है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इसमें समता नहीं है। इस तरह से कैसे समाजवाद लाया जा सकता है। हमारे यहां कहीं-कहीं पत्थर पड़ गये हैं। उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है। कोई वहां देखने नहीं गया है। आज उनकी हालत यह है कि वे खाने के लिये मुहताज है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। मैंने कई बार कहा है। स्वतंत्रता के बाद भी आज तक पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की गई है।

मैं जानना चाहता हूं किसानों को पास बुक दिये जाने की बात थी। उसका क्या हुआ ? हमारे यहां लेखपाल लोग बड़ी-बड़ी गड़बड़ी करते हैं और १०–१५ रुपये जरा-जरा सी बात पर किसानों से ले लेते हैं। इसीलिये पास बुक दिये जाने का हम लोगों ने निश्चय किया था और कुछ बांटी भी गई थीं। लेकिन इस काम में शिथिलता आ गई है। मैं जानना चाहता हूं कि उनको पास बुक दी जायेंगी या नहीं ?

श्री शिव कुमार (सुल्तानपर)—

सस्ते दामों में यानी एक रुपये में दी जायेंगी।

श्री ब्रजराज सिंह—

क्या आप भी उम्मीदवार हैं।

श्री महीलाल—

आप क्या नाउम्मीद हो गये हैं।

श्री ब्रजराज सिंह—

मैं नाउम्मीद नहीं हुआ हूं। मैं आपकी तरफ आ जाता लेकिन आपके यहां हमारे बहुत से भाई पहुंच गये है। जब हमारे भाई हो जायंगे तो हो सकता है कि मुझे लालच आ जाय। लेकिन आप की बात पूरी नहीं हो सकती है। आज कल इन लोगों को प्रदेश की तरक्की का कुछ ख्याल नहीं है। सिर्फ अपनी कुर्सी के लिये रोजगार चला रहे हैं। इससे प्रदेश का नुकसान हो रहा है। ये लोग रुपया खर्च करके यहां आते हैं तो चाहते हैं किसी तरीके से कुर्सी मिल जाय। मेरी बुजुर्गों तथा नेताओं से प्रार्थना है कि वे लोग समाजवाद का नाम लेकर प्रदेश को बर्बाद न करें।

बे प्रदेश के साथ इस तरह से खिलवाड़ न करें। वे पूरे मठाधीश बने हुये हैं और आज भी वे लोग घूमते रहते हैं। वे लोग संगठन की तरफ ध्यान दें और कुर्सी का लालच छोड़ दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक प्रार्थना करता हूं कि हमारे सयाने नेता कुर्सी का मोह छोड़ कर जवानों को यह कुर्सिया दें और अगर कोई जवान गलती करता है तो उनको सुधारने का काम करें। जैसा कि हिन्दस्तान की पद्धति में होता चला आया है। वे लोग अपनी गलती को मानने के लिये तैयार है। ऐसा न हो कि वे लोग कुर्सी से चिपके रहे और यह कोशिश करें कि जब मरघट में जाने लगें तो भी मंत्री पद हमारे साथ जाय। इस प्रकार से मंत्रिपद की खिल्ली न उड़ाई जाय। इस प्रकार से प्रान्त के साथ खिलवाड़ न करके नवयुवकों को मौका दिया जाय। एक बार उनको मौका देकर तो देखा जाय, जैसा कि माननीय गुप्ता जी ने किया था। मैं इन शब्दों के साथ अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री हबीबुर्रहमान (जिला आजमगढ़)—

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे खुशी है और मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे इस अविश्वास के प्रस्ताव के सिलसिले में बोलने का मौका दिया है। सही बात तो यह है कि १३ तारीख को अचानक हमारे विरोधी पक्ष के नेतागण लोग एक दम इस अविश्वास के प्रस्ताव को ले आये। उससे ऐसा महसूस हुआ कि रातों रात मानों उन्होंने कोई ख्वाब देखा हो जिसकी ताबीर ढूंढ़ने के लिये उन्होंने यह कर डाला हो। लेकिन जब मैंने १७ तारीख से विरोधी पक्ष की तकरीरों को सुना तो ऐसा लगा कि शायद किसी बेख्याली में वे यह गलती सरजद कर बैठे हों। जब वे लोग बोलते है तो ऐसा महसूस होता है कि उनकी जबान दिल की तर्जुमानी नहीं कर रही है या फिर यह हो सकता, है जैसा कि मेरे एक सिंडीकेटी दोस्त ने कहा कि नोमानी साहब कि इससे चाहे और कुछ न हो, मेम्बरान का भत्ता तो बढ़ ही रहा है। हम तो आप लोगों का फायदा ही कराना चाहते हैं। मेरे दोस्त १९४७ से आज तक फायदा कराने के चक्कर में ही पड़े रहे। मुल्क की आजादी के बाद हमारा जो प्रान्त पहले दूसरे नम्बर पर था वह एक दो सूबों को छोड़ कर सबसे पिछड़ गया है। यह हमारे ही कर्मों का फल है। यह अपनी जगह पर हकीकत है। चन्द्रभान गुप्ता जी जो १३ तारीख तक मुख्य मंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, वह १९४७ से उस दिन तक चाहे मुख्य मंत्री रहे हों या और किसी विभाग के मंत्री हों, मुख्य मंत्री की कुर्सी उनके कब्जे में रही। वह गुप्ता जी के इशारे के खिलाफ नहीं चल सकती थी और अगर किसी ने यह हिम्मत की भी तो वह आगे मंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सका।

नतीजा यह है कि आज हमारा प्रदेश पिछड़ा हुआ है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, गरीबी बढ़ी है और अमीरों और गरीबों के बीच की खाई ज्यादा चौड़ी हुई है। इसका जिम्मेदार कौन है। सीधी बात है, कल तक जो लोग इस कुर्सी पर थे और जिनके हाथ में इस प्रदेश की कमान थी वह लोग हैं। जुमां जुमां ८ दिन नहीं हुये जबकि किसान का बेटा इस कुर्सी पर बैठा है तो आपको सब्र नहीं होता है और आप अविश्वास का प्रस्ताव लेकर आये हैं। नैतिकता की बातें की जाती हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि चौधरी साहब आपसे मिलकर सरकार बनाते तो अनैतिकता नहीं होती और अगर उन्होंने कांग्रेस के अपने उन भाइयों से मिल कर सरकार बना ली जिनके ऊपर मुल्क के सभी लोगों की निगाह लगी हुई है और पूरा मुल्क जिन्हें प्रगतिशील समझता है और समाजवादी कहता है, तो अनैतिकता हो जाती है। तो कौन सा वह तराजू है, मैं पूछना चाहता हूं, अपने दोस्तों से जो उधर बैठे हुये हैं।

श्रीमती राजेन्द्र किशोरी (जिला बस्ती)—

दोस्तों शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है, यह शब्द गलत है, यहां पर महिलायें भी बैठी हुई हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

दोस्तों दोनों के लिये इस्तेमाल हो सकता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री हबीबुर्रहमान—

बहरहाल मैं यह कह रहा था कि जो नैतिकता और अनैतिकता की बातें की जाती हैं वह जो लोग भी करें उनके सामने पैमाना एक होना चाहिये, तराजू एक होना चाहिये। जो आपके लिये नैतिकता है वह हमारे लिये भी होना चाहिये। आइना एक होना चाहिये, अलग अलग नहीं होना चाहिये। तो मैं कहना चाहता हूं कि बहरहाल इस प्रदेश की खुशकिस्मती थी कि यहां इन्कलाब आया, चाहे वह आन्तरात्मा की पुकार पर आया हो, या कोई भी बात हो, लेकिन वह सही रास्ते पर आया है। जन संघ के नेता, श्री त्रिपाठी जी, बंगाल और केरल की बात कर रहे थे। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जिस अन्तरात्मा की पुकार की आप मजाक बनाते हैं यह उसी के कारण है कि वह सैलाब यहां तक नहीं आया और रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मुल्क में जहां कहीं अराजकता पैदा हुई है वह जो हमारे मित्र उधर बैठे हुये हैं उन्हीं की देन है, चाहे वह बंगाल में हो, केरल में हो या मद्रास में हो। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस सूबे में एक नई सरकार बनी है।

चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में जो सरकार बनी है त्रिपाठी जी के समर्थन से वह सरकार सही रूप में जनता की सरकार है, वह सरकार आवाम की सरकार है और सारे प्रदेश की जनता की निगाहें उस सरकार की तरफ लगी हुई हैं। जनता चौधरी चरण सिंह को बड़ी-बड़ी आशाओं के साथ देख रही है।

श्री उपाध्यक्ष—

यदि आप अपने भाषण को दो मिनट में समाप्त कर लें तो आप बोलते रहें और नहीं तो कल वह समय मैं आपको दे सकता हूं।

श्री हबीबुर्रहमान—

माननीय डिप्टी स्पीकर साहब, मैं अभी बहुत-सी बातें कहना चाहता हूं। दो मिनट में सभी बातों को नहीं कह सकूंगा। मुझको, अगर आप इस समय उठ रहे हैं, तो कल फिर मौका दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष—

अब इस समय हम उठते हैं और कल प्रातः ११ बजे फिर यहीं पर एकत्र होंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगल दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२० मार्च, १९७०।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२६ पर)

विधान सभा वर्तमान सत्र के ३रे शुक्रवार के लिये श्री नौनिहाल सिंह द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न सं० १९ के उत्तर से संबंधित तालिका

	उ० प्र० पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन महाविद्यालय, मथुरा		कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर नैनीताल	
	६७–६८	६८–६९	६७–६८	६८–६९
पशु चिकित्सा स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या	६१	७७	७३	६३
पशु चिकित्सा के पद पर नियुक्त किये गये स्नातकों की संख्या	४६	४९	४७	३९

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३२८ पर)

राज्य पशु एवं कृषि क्षेत्र हस्तिनापुर, जिला मेरठ पर १९६७–६८ और १९६८–६९ में आय व्यय का विवरण

वर्ष	व्यय			आय		
	कृषि अनुभाग	पशु अनुभाग	योग	कृषि अनुभाग	पशु अनुभाग	योग
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१९६७–६८	४,१७,०००	५,१०,०००	९,२७,०००	२,८४,०००	१,३३,०००	४,१७,०००
१९६८–६९	४,६८,०००	४,३७,०००	९,०५,०००	३,२७,०००	१,३६,०००	४,६३,०००

राज्य पशुधन एवं कृषि क्षेत्र, हस्तिनापुर, जिला मेरठ पर १९६७–६८ और १९६८–६९ में हुए हानि के कारणों का विवरण:–

हस्तिनापुर फार्म के १३५१.०३ एकड़ के कुल क्षेत्रफल में से केवल ८४५ एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिस पर खेती की जाती है। कृषि योग्य भूमि में केवल ३१६ एकड़ (अर्थात् ३७.४%) भूमि पर ही सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध हैं। कुल क्षेत्रफल का २९% भाग अर्थात् ३९१.०३ एकड़ ऊसर है, जो कृषि योग्य न होने के कारण, चरागाह के रूप में प्रयोग किया जाता है। चारागाह पशुक्षेत्र का एक मुख्य अंग है।

फार्म का केवल कृषि अनुभाग ही बाणिज्यिक घोषित किया गया है तथा पशु अनुभाग विकास कार्यक्रम में रखा गया है। यह अनुभाग अवाणिज्यिक (नान-कार्मशियल) है। कृषि अनुभाग में वर्ष १९६७–६८ और १९६८–६९ में क्रमश: १,३३,००० और १,४१,००० रु० की हानि हुयी जिसके मख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(क) जो भूमि कृषि योग्य है उसमें भी ऊसर के खण्ड जहां तहां हैं, जिनका प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है, क्योंकि जुताई, वुआई आदि कार्य अपरिहार्य रूप से पूरे प्रक्षेत्र में करने पड़ते हैं किन्तु ऊसर भाग से उत्पादन नहीं मिलता।

(ख) कुछ हानि प्रक्षेत्र में बाढ़ आने के व भूमि नीची होने के कारण भी होता है।

(ग) जल-स्तर ऊंचा होने के कारण रबी की बुआई देर से हो पाती है जिससे व्यय अधिक और उत्पादन कम होता है।

(घ) ट्रैक्टर, मशीनों के पुर्जे व तेल आदि के भाव बढ़ने तथा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ने से भी व्यय बढ़ गया है।

(ङ) व्यय की धनराशि में ब्याज, ह्रास, आडिट और पेन्शन चार्जेज से संबंधित धनराशि भी सम्मिलित की जाती हैं। कृषि अनुभागों में यह धनराशि १९६७–६८ और १९६८–६९ में क्रमश: ७२,००० रु० और ६९,००० रु० थी जिसे निकाल देने पर इस अनुभाग में वास्तविक हानि क्रमश: ६१,००० रु० और ७२,००० रु० रह जाती है।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ ३३९ पर)

मूल्यांकन समिति की संस्तुतियों का (जो शासन द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं) विवरण

समिति की रिपोर्ट के अध्याय १२ का उद्धरण		कार्यान्वयन का विवरण	
क्र०सं०	संस्तुतियों का सारांश	क्र० सं०	अनुच्छेद सं०
१	२	३	४	५
२२—जिला हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी को स्थानीय निकायों द्वारा संचालित तथा अन्य मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के निरीक्षण करने का अधिकार दिया जाय। इस प्रकार जिन संस्थाओं में छात्रवृत्ति के धन को विद्यार्थियों को समय पर न देने या पूरा न देने या उस धन को संस्था के निजी खर्च में लाने के आरोप सही पाये जायं उनके खिलाफ शिक्षा विभाग द्वारा हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारी की राय के अनुसार उचित कार्यवाही की जाय।		५०	७४-३	हरिजन तथा समाज कल्याण अधिकारियों को शिक्षा संस्थाओं के हरिजन कल्याण विभाग द्वारा दिये गये अनुदानों के लेखों की जांच एवं निरीक्षण करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है।
२४—शासन उच्च शिक्षा के लिए विशेष कर इन्जीनियरिंग व टेक्नोलोजी के अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पर्याप्त छात्रवृत्ति देकर विदेशों में भेजने की व्यवस्था करें। फिलहाल प्रति वर्ष १० छात्रवृत्तियां शिल्पिक अध्ययन के लिये तथा ४ छात्रवृत्तियां अन्य विषयों के उच्च अध्ययन के लिये देना उचित होगा।		५०	७५	विदेशों में उच्च अध्ययन के लिए जाने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों क लिये छात्रवृत्ति देने का प्राविधान इस वर्ष कर लिया गया है।
७९—	विज्ञान के सफल अध्ययन के लिये आवश्यक पुस्तकों एवं उपकरणों को क्रय करने हेतु शासन अभावर्तीय सहायता का यथेष्ठ प्राविधान करें।	६४	९५-३	मेडिकल, इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलोजी पाठ्यक्रम लेने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को उपकरण एवं पुस्तकें आदि क्रय करने के लिए प्राविधान किया जा रहा है।

१	२	३	४	५
१३५–	कुटीर उद्योग धंधे के लिए व्यक्तिगत अनुदान की निम्नतम धनराशि बढ़ा कर ५०० रु० तथा सहकारी समतियिों की अनुदान की धन राशि ५,००० रु० कर दिया जाय और किसी भी हालत में अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से इस धनराशि को कम न किया जाय अथवा कई लोगों में विभाजित न किया जाय शासन इस सम्बन्ध में स्पष्ट आदेश जारी कर दें ।	७७	१११–१	कुटीर उद्योग धंधों के लिये अनदान की धनराशि ५०० व्यक्तिगत और ५,०००रु० सहकारी समितियों के लिये कर दी गई ।
१७६–	भूमि क्रय के लिए वर्तामान स्वीकृत दरें बहुत कम है । गृह हेतु भूमि के लिये कम से कम ५०० रु० तथा कार्यस्थल हेतु भूमि के लिए १,००० रु० की दर निश्चित कर दी जाय ।	९१	१३५–३	गृह स्थल एवं कार्य स्थल क्रय करने के लिये अनदान की धनराशि को बढ़ाकर ७५० रु० कर दिया गया है।
२०७–	आश्रम पद्धति विद्यालय योजना के अन्तर्गत संचालित पाठशालाओं में से कुछ को उच्च माध्यमिक स्तर पर कर दिया जाय, जहां विज्ञान, कृषि तथा शिल्पिक विषयों में शिक्षा दी जाय ।	९९	१४८–२	अब तक दो आश्रम पद्धति विद्यालयों को हाई स्कूल स्तर तक कर दिया गया है और एक पाठशाला को इस स्तर पर करने को स्वीकृत दे दी गई है ।
२६५–जिला स्तर की समितियों को अधिक उपादेय बनाने के लिये इनका गठन अनच्छेद १८२ और उनका कार्य अनुच्छेद १८३ के अनुसार हो ।		१२३	१८२	जिला हरिजन सहायक समितियों का पुनर्गठन कुछ संशोधन केसाथ कर दिया गया है ।
समिति के अंतरिम सिपारिशें	हरिजन कल्याण योजनाओं का कार्यान्वयन क्षेत्र समितियों के माध्यम से हटाकर जिला स्तर पर हरिजन सहायक समिति द्वारा कार्यान्वित किया जाय ।	१२८	२०५	कृषि उत्पादन योजना को छोड़ कर विकेन्द्रीकरण योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय समितयिों को सौंपे गये अन्य कार्य अब जिला हरिजन सहायक समिति की संस्तुति के आधार पर कराया जा रहा है ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या २–३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३४४ पर)

परिशिष्ट 'क'

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कृषि विषय में मान्यता हाई स्कूल/इन्टर	विधान सभा प्रश्न — कृषि विषय के लिए कितनी भूमि उपलब्ध है	विधान सभा प्रश्न — विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	खेर इन्टर कालेज' खेर	हाई स्कूल स्तर तक	एकड़ ५	
२	गांधी स्मारक इ० का०, भरतपुर वझेड़ा।	,,	६	
३	आदर्श कृषि इ० का०, सारोल	,,	५	
४	पटेल स्मारक इ० का०, जटारी	,,	१६	
५	सर्वोपयोगी इ० का०, पलसेड़ा	,,	१०	
६	मोहनीमनि आदर्श इ० काले०, वाढ़ोन।	,,	१७	
७	आदर्श लगसमा उ० मा० वि०, कैमथल।	,,	७	
८	कमला नेहरू उ० मा० वि०, सोंगरा।	,,	१०	
९	आदर्श इ० का०, महौ।	,,	३	
१०	विद्या मन्दिर इ० का०, मऊ चिरायल।	,,	१८	
११	लक्ष्मी राज इ० का०, गभाना	,,	५	
१२	पी० बी० ए० एस० इ० का०, हाथरस।	,,	५,५	
१३	राष्ट्रीय उ० मा० वि०, कुग्रार्सी	,,	५,५	
१४	महेश्वरी इ० कालेज, अलीगढ़	,,	३	
१५	आदर्श इ० का०, मीरपुर	,,	३५० बीघा कच्चा ७० एकड़	इन्टर कक्षाओं के संचालन की अनुमति अभी शर्तों की अपूर्ति के कारण प्राप्त नहीं है

१	२	३	४	५
			एकड़	
१६	लगसमा इ० का०, गोंडा	इन्टर स्तर तक	५०	
१७	के० एल० जैन इन्टर कालेज, अतरौली ।	,,	४	
१८	राधेलाल इन्टर कालेज, एहन	,,	३४.०५	
१९	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, अलीगढ़	,,	१०.५०	लगभग सब १५ एकड़ भूमि है जिसमें पुनर्व्यवस्था की भूमि सम्मिलित है।
२०	गोपीराम पालीवाल, इ० का०, अलीगढ़ ।	,,	१०	
२१	जवाहर इ० का०, इगलास	,,	१२	,,
२२	के० एल० इ० का०, सासनी	,,	..	पुनर्व्यवस्था योजना में दी गयी भूमि से काम चलाया जा रहा है जो ७.७६ एकड़ है।
२३	गांधी इ० का०, चन्डोस	,,	३०	,,

परिशिष्ट 'ख'

क्रमांक	विद्यालय का नाम	कृषि विषय में मान्यता हाई स्कूल इन्टर	१ अप्रैल, ६७ से ३१ मार्च, ६९ तक कृषि के लिए तथा बैल के लिए और कृषि अध्ययन से संबंधित दूसरे कार्यों के लिए दिये धन का विवरण	विवरण
१	खेर इन्टर कालेज, खेर	हाई स्कूल स्तर तक	२,५०० रु० सन् ६८-६९ में फार्म के काटेदार तार के लिए।	
२	गांधी स्मारक इ० का०, भरतपुर, वझेड़ा।	,,	१—यात्रादि हेतु १,००० रु० २—पशु आदि हेतु २,००० रु० ३—नलकूप हेतु ४,००० रु०	
३	आदर्श कृषि इ० का०, सारोल।	,,		
४	पटेल स्मारक इ० का०, जटारी।	,,		
५	सर्वोपयोगी इ० का०, पलसेडा	,,		
६	गोहिनी आदर्श उ० मा० विद्यालय, बाढ़ोन	,,	४,००० रु० नलकूप हेतु ६८-६९ में	
७	आदर्श लगसमा उ० मा० वि० कैमथल	,,		
८	कमला नेहरू उ० मा० वि०, सोंगरा।	,,		
९	आदर्श इ० का० महो	,,		
१०	विद्या मंदिर इ० का०, मऊ चिरायल।	,,	१,५०० रु० कृषि क्षेत्र में हेतु २,००० रु० पशु क्रय हेतु। ४,००० रु० बीज भंडार पशुपालन हेतु।	
११	लक्ष्मी राज इ० का०, गमाना	,,		
१२	पी० वी० ए० एस० इ० का०, हाथरस।	,,		
१३	राष्ट्रीय उ० मा० वि०, कुआर्सी।	,,	१,८०० रु०	कृषि विभाग से। ६७-६८।

१	२	३	४	५
१४	महेश्वरी इ० का०, अलीगढ़	हाईस्कूल स्तर तक	८,००० रु० कृषि गोदाम	१९६७–६८
			२,००० रु० पक्की नाली	कृषि विभाग से ६७–६८
१५	आदर्श इ० कालेज, मीरपुर	,,	..	इन्टर कक्षाओं को संचालन की अनुमति अभी शर्तों की अपूर्ति के कारण प्राप्त नहीं है।
१६	लगसमा इ० कालेज, गोंडा	इन्टर स्तर तक	४,२०० रु० प्रेसर तथा फेन्सिग हेतु।	कृषि विभाग से।
१७	के० एम० बी० इंटर कालेज, अतरौसी।	,,	२,५०० रु० फेन्सिग ग्रांट।	
१८	राधेलाल इन्टर कालेज, एहन।	,,	..	
१९	डी० ए० वी० इन्टर कालेज, अलीगढ़।	,,	..	
२०	गोपीराम पालीवाल इन्टर कालेज, अलीगढ़।	,,	..	
२१	जवाहर लाल इन्टर कालेज, इगलास।	,,	..	
२२	के० एल० इ० का०, सासनी।	,,	..	
२३	गांधी इ० का०, चण्डोस	,,	..	

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १८ एल० ए०—१९७०—८४५।